खण्ड-346, अंक-1
मंगलवार, 25 भाद्रपद, शक संवत् 1902
(16 सितम्बर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 346 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1–4
प्रश्नोत्तर ..	5–46
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	47
साधन सहकारी समिति मरवटिया, विकास क्षेत्र भनवांपुर, जनपद बस्ती में गबन के सम्बन्ध म नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48–49
देवरिया में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के व्यक्तिगत परीक्षा फार्मों को अधिक मूल्य पर बेचे जाने तथा श्री सुधाकर गुप्त द्वारा विरोध किए जाने पर मारपीट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	49
ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी आदेशों के बावजूद विद्युत परिषद् द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण पर रोक लगाने के आदेश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	49–50
आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में बाढ़ से तबाही तथा राहत की माँग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	50
मुरादाबाद जिले में भीषण सूखा तथा सिंचाई की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	51
उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा (विच्छिन्नता का निवारण) विधेयक, 1980 (पुरः स्थापित किया गया) ..	51
उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 (पुरः स्थापित किया गया) ..	51–53
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	53
1980–81 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 52––कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 53–– कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या 93––कृषि विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 120––कृषि विभाग– ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 59––पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 60––पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 98––पशुधन विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99–– पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122––पशुधन विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	54–122

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया) .. 122

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. 122

बस्ती जनपद में दस लाख रुपये मूल्य का गेहूं फर्जी नाम से बिहार के लिए तस्करी में ले जाते हुए पकड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 123–129

प्रदेश में अभ्यास पुस्तिकाओं एवं पुस्तकों में प्रयोग होने वाले कागज के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा .. 130–142

नस्थियां . 143–150

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---330

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (ललू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
उपेन्द्र बहादूर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० माइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
खवाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)

चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू (उर्फ दीप नारायण), श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशी धर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर, श्री (देवरिया)
बैनो बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
ब्रज वल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)

भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताह सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्र, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, (गाजियाबाद)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मंजूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकन्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)

राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम असेरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
डा० राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम सजीवन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सेवक, श्री, (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)

रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
बासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकरसिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बख्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैयद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी सिंह, श्री ((बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 16 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

शिक्षा विभाग के कार्यालय के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति धनराशि

*1—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के दस जिलों में शिक्षण कार्यालयों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आवास निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन से 64·30 लाख रुपये का जो अनुदान स्वीकृत हुआ था, उनमें किन 10 जिलों को लिया गया ? उनके चुनाव का आधार क्या रहा है ? क्या यह सही है कि उन दस जिलों की सूची में बलिया जनपद को नहीं शामिल किया गया जबकि बलिया में शिक्षा का प्रतिशत शायद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आवास निर्माण हेतु कोई स्वीकृति नहीं दी गई है । बल्कि संलग्न सूची में उल्लिखित प्रदेश के 10 जनपदों तथा संम्भागीय शैक्षिक कार्यालयों के सम्मिलित भवनों के निर्माण हेतु 64·30 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 24 मार्च, 1980 को दी गई थी । इस सूची में जनपद बलिया सम्मिलित नहीं है । जनपदों के चुनाव का आधार विभागीय सरकारी भूमि की उपलब्धता की सूचना एवं प्रस्तावित निर्माण कार्यों की मांग शिक्षा निदेशक के कार्यालय में समय से प्राप्त होना था ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 143 पर ।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मेरा प्रश्न था कि किस आधार पर इन जिलों का चुनाव किया गया था । मन्त्री जी ने उत्तर देते समय कहा कि नोट कर लीजिए और बलिया नहीं शामिल है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बलिया जनपद क्यों उपेक्षित रहा, जबकि वहां पर सबसे ज्यादा शिक्षा का प्रतिशत है और वह पिछड़ा हुआ जिला है ? इसके अलावा जो सरकार की नीति है कि क्षेत्रीय विषमता मिटाई जाए, उसको देखते हुए भी यह आवश्यक था, तो निदेशक को इन्सेन्टिव लेना चाहिए, कोई आधार बनाकर यह इंसेटिव लेना चाहिए, तो क्या मंत्री जी बताएंगी कि निदेशक महोदय ने कोई क्रायटेरिया क्यों नहीं बनाया ?

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

असल में मैं तो यह इंतजार कर रही थी कि कब काशीनाथ मिश्र की वाणी को सुनें और कब यह मांग उनके मुख से सुनाई पड़े । अब उन्होंने यह

मांग की है, मुझे उसके प्रति यह कहना है कि बलिया के बारे में जो सूचना मिली, उसके अनुसार यह फरवरी, 1980 में है वहां भूमि प्राप्त होने की जानकारी मिली है और यह खुशखबरी देना चाहती हूं कि इस विषय में काम चल रहा है, नक्शा बन चुका है और प्रारम्भिक स्टेज की सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी है और मैं समझती हूं कि अगले माह तक पूरी स्वीकृति मिल जाएगी और पी0 डब्लू0 डी0 को आदेश दे दिये जाएंगे कि वह वहां पर भवन का निर्माण कराये। म समझती हूं कि 1980-81 में भवन का निर्माण हो जाएगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि चुनाव का आधार क्या रहा और यह 10 जिले कौन से हैं और क्या उसमें हरदोई जिला भी शामिल है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे कहां उठता है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि जिन जिलों का चयन किया गया है, उनका आधार क्या है और इन 10 जिलों के क्या-क्या नाम हैं और क्या इनमें हरदोई भी शामिल है ?

श्री अध्यक्ष--

आप उत्तर पढ़ लें। इसमें दिया हुआ है कि जनपदों के चुनाव का आधार विभागीय सरकारी भूमि की उपलब्धता की सूचना एवं प्रस्तावित निर्माण कार्यों की मांग शिक्षा निदेशक के कार्यालय में समय से प्राप्त होना था। आधार यह है।

श्री राम आसरे वर्मा--

यह तो उपलब्धता की बात बतायी। जिन अधिकारियों ने भूमि के उपलब्ध होने की सूचना नहीं दी तो उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है ? इसका दूसरा आधार भी बनाया गया होगा क्योंकि 10 जिले ही चुने गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, जो आधार आपने उत्तर में बताया क्या उसके अतिरिक्त और भी कोई आधार था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो जिले हमने चुने हैं वे हैं उन्नाव, बदायूं, ललितपुर, आगरा, झांसी, हमीरपुर, गोरखपुर, लखीमपुर-खीरी, फैजाबाद, और बुलन्दशहर है। यह वर्ष 1979-80 की है। यदि आपको कहीं और भवन निर्माण की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना हमको दे दी जाय और भूमि की उपलब्धता का भी आश्वासन दिया जाय तो हम अवश्य ही कार्यवाही करायेंगे ?

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जो नार्म्स उन्होंने मुकर्रर किये हैं, जिलों के डी० आई० ओज ने या अन्य अधिकारियों ने शासन को कब लिखा और कितने मामलों में भूमि की उपलब्धता की सूचना समय से आ गयी, जिनमें से आपने 10 जिलों को ही चुना ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हमारे पास 16 जिलों की सूचना आयी थी 10 जिलों की सूचना पूरी आ गयी थी और इन्हीं 10 जिलों में काम किया है । शेष जिलों के बारे में करेन्ट इयर में हम विचार करेंगे ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि 16 जिलों से सूचना आयी थी, ये शेष 6 जिले कौन से हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इन 6 जिलों की सूची भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी ।

श्री मुईद अहमद--

सुल्तानपुर जनपद के लिए वर्ष 1977-78 में 146 लाख रुपया भवन के लिए स्वीकृत हुआ था । सार्वजनिक निर्माण विभाग ने टेन्डर भी आमंत्रित किए थ लेकिन उसके बाद यह रुपया कैन्सिल कर दिया गया और सार्वजनिक निर्माण विभाग को रोक दिया गया । तो इस जनपद में जहां पर रुपया भी स्वीकृत हो गया था, जमीन भी शिक्षा विभाग अर्थात् राजकीय इन्टरमीडिएट कालेज को उपलब्ध है, तो भवन निर्माण क्यों नहीं कराया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इसकी जांच हम करा लेंगे ।

जिला पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा के हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण

*2--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 1979-80 में जिला चमोली, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा नैनीताल के जिन-जिन हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों का प्रान्तीकरण किया गया है, उनके अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के वेतन स्वीकृति के आदेश प्रत्येक विद्यालय के प्रान्तीयकरण के कितने माह पश्चात् भेजे गये हैं और इन आदेशों को भेजने में जो देरी हुई है उसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शिक्षा सत्र 1979-80 (जुलाई, 1979 से जून, 1980 तक) जिला चमोली तथा नैनीताल में किसी संस्था का प्रान्तीयकरण नहीं किया गया ।

जिला पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में उक्त अवधि में प्रान्तीयकृत हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों की सूची संलग्न है । इन संस्थाओं के प्रान्तीयकरण के कितने समय पश्चात् पदधारकों का वेतन आहरण-वितरण अधिकार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को दे दिया गया था इसमें जो भी समय लगा, उसकी छानबीन की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 144 पर)

[दिनांक 16 सितम्बर, 1980 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में अवनिार्य शिक्षा लागू किये जाने के सम्बन्ध में स्कूलों को दो पाली में चलाने की मांग

*1--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में दो पाली चलाकर वर्तमान अध्यापकों और स्कूल की इमारतों से ही प्रदेश के 14 साल से कम उम्र के सारे लड़के व लड़कियों को अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करने की सोच रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ?

क्योंकि दो पाली चला कर प्रदेश के 14 साल से कम उम्र के लड़के व लड़कियों को अनिवार्य शिक्षा का सम्पादन सम्भव नहीं है और इससे शिक्षा के स्तर में और गिरावट आने की सम्भावना है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

इस बात को जानते हुये कि संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिये शिक्षा अनिवार्य करने का प्राविधान है और इतने उम्र से कम बच्चे लगातार 3 घंटे से अधिक समय तक नहीं पढ़ सकते हैं, तो इन दोनों बातो को देखते हुये क्या मन्त्री जी इस प्रश्न पर पुनः विचार करेंगी कि दो पाली में ही शिक्षा कर दी जाय ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह प्रश्न ऐसा था कि इसे पढ़ कर मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरी अन्तर्आत्मा को बहुत सन्तोष मिला । इन प्रश्न के लिये मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहती हूं । इस प्रश्न के पीछे यही भावना है कि हमारी शिक्षा सार्वभौमिक हो और प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो । इस भावना के प्रति तो हमारी पूरी संवेदना है, पूरी हमदर्दी है, (हंसी) लेकिन शिक्षा सार्वभौमिक हो उसके लिये दो पाली कर देना ही इलाज नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

अभी माननीया मन्त्री जी ने इस भावना के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की कहीं मन्त्री जी माननीय सदस्य के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त न करने लगें ।

(हंसी)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हमारी शिक्षा सार्वभौमिक हो यह उद्देश्य दो पाली कर देने से पूरा नहीं होगा ।

श्री ऊबल--

सन् 1960 से, इस प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा हो जानी चाहिये थी, जो नहीं हो पायी है और आज भी लड़कों का शिक्षा का प्रतिशत 30 है और लड़कियों का 12 है, तो मैं जानना चाहता हूं कि अनिवार्य शिक्षा करने की दिशा में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिये हम वचनबद्ध हैं । अनिवार्य करने की हमारी योजना नहीं है, हम चाहते हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो । अनिवार्य करने से शिक्षा का उद्देश्य ही डिफीट हो जाता है । गांव का मजदूर अपने बच्चों को नहीं भेज पाता क्योंकि वे उसकी मदद करते हैं, उसके साथ काम करते हैं तो क्या आप उस पर जुर्माना लगायेंगे ?

श्री मोहन सिंह--

आप यहां क्या दीक्षान्त भाषण करवा रहे हैं या कि उत्तर दिलवा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब पाली सिस्टम चल रहा है, तो उसको सार्वभौमिक बनाने में क्या कठिनाई है ? जहां पर इस समय यह सिस्टम चल रहा है, वह किस नियम से चल रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जूनियर हाई स्कूलों में जहां पर पाली सिस्टम बनाया गया है, वहां पर हमने यह नियम कर दिये हैं कि दूसरी पाली में बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई रूल नहीं है । इसको हम डिस्टेन्स की वजह से कम्पलसरी नहीं कर सकते हैं। हमने इसका एक सलूशन यह निकाला है कि जहां पर 150 से 300 की आबादी है, वहां पर अगर पाली सिस्टम कर देते हैं, तो कोई सुविधा नहीं होगी, इस लिये दो पाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया कि शिक्षा में गिरावट आ गयी, अब और गिरावट वह नहीं चाहती है । तो क्या यह सही है कि शिक्षा की गिरावट का सबसे बड़ा कारण यह है कि 6 घन्टे बच्चों को शिक्षा सम्भव नहीं है और न बच्चे 6 घन्टे समय शिक्षा में दे सकते हैं, क्योंकि उससे मानसिक विकास नहीं हो सकता, तो माननीय मन्त्री जी इसको रोकने के लिए 8 से 11 और 1 से 4 बजे तक की पाली कर सकेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो आपने कहा है, उसकी हमने अनौपचारिक रूप से व्यवस्था की है । जो हमारे स्कूल चल रहे हैं वह तो चलेंगे और उनका स्तर हम गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं । सार्वभौमिक करने के लिए जो बच्चे पूर्णकालिक नहीं आ सकते, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा के रूप में हमने एक प्लान बनाया है, जिसमें हर जिले में 100 केन्द्र हम खोलेंगे और वहां पर कुल संख्या जो हमें खोलने है, वह केन्द्रों की है 5,600 केन्द्र, तो हम खोलेंगे, उन बच्चों के लिये, जो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे हैं, 16 केन्द्र, 11 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, दो घन्टे तक उसमें उन्हें पढ़ना होगा । इस तरह से हम शिक्षा को सार्वभौमिक बना सकेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी सार्वभौमिक रूप से दो सुझावों पर विचार करेंगी ? क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी जानकारी है कि प्रशासन की ओर से समस्त स्थानीय निकायों को यह आदेश है कि वह 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा कर दें । क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के 80 से 90 ऐसी नगरपालिकायें हैं जहां पर ये आदेश अभी तक नहीं गये हैं और प्राइमरी स्कूल जो खुलते हैं, उनको मान्यता पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है निजी स्कूलों के लिये तो क्या निजी स्कूलों को भी मान्यता इस अनिवार्यता को देखते हुये मिल सकेगी और माननीय मन्त्री जी इस प्रतिबन्ध को वापस लेने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शिक्षा के प्रसार के लिए कहीं से भी जो भी अच्छे सजेशन आयेंगे, उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगी ,

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

पहले का क्या उत्तर है मान्यवर, 80 से 90 नगरपालिकायें हमारे प्रदेश में ऐसी है, जहां पर शिक्षा अनिवार्य नहीं है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शिक्षा को कम्पलसरी करने का हमारा अभी विचार नहीं है । यह तो हम भी चाहते हैं कि शिक्षा अनिवार्य हो । लेकिन इसके लिए हम कोई कानून नहीं लागू कर सकते हैं । वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा सार्वभौमिक हो, लेकिन किसी प्रकार के प्रोपगन्डे या प्रचार आदि से नहीं सुविधाओं से करना चाहते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि हम कम्पलसरी एजूकेशन को लागू नहीं करने जा रहे हैं । यह तो मान्यवर, जैसा कि अभी श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा कि यह संविधान की नीतियों के खिलाफ है । देश के हर बच्चे को शिक्षित करने का हमारा काम है । और इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपिल को एडाप्ट करना चाहिए । जैसे कि केरल के स्कूलों में हम को देखने को मिला कि वहां 6 साल से 11 साल के बच्चों को एक वक्त का खाना स्कूल में ही दिया जाता है । जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और अभिभावकों को भी, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मन्त्री जी यहां भी

6 साल से ले कर 11 साल के छोटे बच्चों के स्कूलों में एक वक्त का खाना देने की कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जैसा कि इन्होंने कहा कि 3 सौ की आबादी के ऊपर लगभग डेढ़ कि0 मी0 के अन्दर एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह व्यवस्था प्रदेश के अन्दर कितने समय में लागू कर देंगे ?

श्री स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह शीघ्र ही किया जायेगा । जहां तक मैं उम्मीद करती हूं कि यह 2-3 सालों के अन्दर ही हो जाना चाहिए ।

*2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

साकेत डिग्री कालेज, फैजाबाद के छात्रों का आन्दोलन

*3--श्री मित्रसेन--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत साकेत डिग्री कालेज के हजारों छात्रों ने कोई सत्याग्रह आन्दोलन वर्ष 1980 में किया था और जेल गये थे ? यदि हां, तो आन्दोलनकारी सत्याग्रही छात्रों की मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं ? उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मिश्र सेन--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में फिर यही कह दिया कि अभी सूचना एकत्र की जा रही है । इससे पहले भी यह प्रश्न आया था, उस समय भी यही कह दिया गया था कि अभी सूचना एकत्र की जा रही है और इस बार फिर यही कह दिया गया । जबकि मान्यवर, इसमें कोई लम्बी चौड़ी सूचना नहीं आनी है, केवल फैजाबाद जनपद के साकेत डिग्री कालेज के जिन हजारों छात्रों ने सत्याग्रह आन्दोलन किया था और यह आंदोलन किन मांगों के तहत किया गया था, केवल इतनी सूचना ही आनी थी ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न 15 दिन के बाद फिर आयेगा । अब इसके अनुसार सूचना मंगाकर उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए ।

*4--श्री हरिवंश सहाय--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

*5--श्री जटाशंकर सिंह--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

*6--श्री अम्बा प्रसाद तथा श्री राम आसरे वर्मा--

[4 थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय जिलों के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा समाप्ति

*7--डाक्टर शिवनन्द नौटियाल (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य के 8 पर्वतीय जिलों में जो तदर्थ शिक्षक माध्यमिक विद्यालयों में शासन की स्वीकृति से नियुक्त किय गये थे, उनकी सेवाएं 30 जून, 1980 को समाप्त किये जाने सम्बन्धी सूचना दी गयी है जिसके कारण पौड़ी तथा अन्य स्थानों में इन अध्यापकों का गत दो माह से क्रमिक अनशन चल रहा है ? यदि हां, तो इन तदर्थ अध्यापकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अनशन 20-6-80 को समाप्त हो गया । सत्रान्त तक के लिये तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों को 30-6-1980 के बाद भी कार्यरत रखने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

*8--श्री लालसा--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

*9--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

*10--श्री मोहन सिंह--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

सुल्तानपुर जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के भवन विहीन स्कूल एवं टाट-पट्टी की आपूर्ति

*11--श्री जैराज गौतम--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद में कितनी बेसिक पाठशालाएं भवन हीन हैं एवं इनमें साज-सज्जा का क्या प्रबन्ध हुआ है ? यदि नहीं हुआ, तो कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद सुल्तानपुर में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित 459 प्राइमरी स्कूल और 92 जूनियर हाई स्कूल भवन हीन हैं जिनमें से 116 प्राइमरी स्कूल और 7 जूनियर हाई स्कूल के भवनों का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जा रहा है ।

प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में टाट-पट्टी एवं साज-सज्जा क्रय हेतु 170 रु0 प्रति वर्ष आवर्तक अनुदान दिया जाता है । अनुदान से तथा अन्य अनावर्तक अनुदान

से वर्ष 1979–80 में जो सामान क्रय किया गया उसकी आपूर्ति मई, 1980 के अन्त में हुई । उस समय विद्यालय प्रीष्म अवकाश हेतु बन्द हो गये । जुलाई, 1980 से अति वृष्टि के कारण उनको वितरण सम्भव नहीं हो सका । अब उनके वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जैराज गौतम––

माननीय मंत्री जो के उत्तर से सम्बन्धित श्रीमन्, इसमें मंत्री जी ने बताया कि 459 प्राइमरी स्कूलों में 116 प्राइमरी स्कूल तथा 92 जूनियर हाई स्कूल में से 7 जूनियर हाई स्कूल के भवन के निर्माण का आदेश हुआ है, तो शेष 343 प्राइमरी स्कूल तथा 85 जूनियर हाई स्कूल जिनके पास भवन नहीं हैं, इन विद्यालयों के भवन कब तक बनवाने का आदेश देंगी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

अब हमने यह नीति बनाई है कि जो नये विद्यालय खोले जायेंगे, उनका भवन भी साथ ही साथ निर्मित किया जायेगा और जो पुराने है, जिनके पास भवन नहीं हैं उनके बनवाने की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पुराने थोड़े-थोड़े करके जितना हमारे पास पैसा होगा भवनों का निर्माण कराया जायेगा ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी––

श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह तो आगे की योजना इन्होंने बताई जो पिछले स्कूल हैं, जो पहले से खुले हुये हैं और भवनहीन हैं, उनके बारे में क्या विचार सरकार कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय पिछले वर्षा में क्षतिग्रस्त हुये थे, उसमें से 133 प्राइमरी स्कूल और 7 जूनियर हाई स्कूल का निर्माण हो रहा है और 17 प्राइमरी स्कूल के भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष 116 और 7 जूनियर हाई स्कूल का कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा किया जा रहा है । प्रति वर्ष कई नये पुराने विद्यालय भवन हीन हैं, उनकी व्यवस्था करने का हमने विचार किया है ताकि जो पुराने स्कूल है उनके भवन का निर्माण हम कर सकें और उनका उद्धार कर सकें ।

श्री जैराज गौतम––

श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो विद्यालय में साज सज्जा–अति वृष्टि के कारण नहीं पहुंच सका । 5 महीने हो गए सभी माननीय सदस्य इस सदन के जानते हैं कि स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए टाट–पट्टी नहीं होती है और बच्चे अपने घरों से बोरा ले जाते हैं, तो 5 महीने से अब तक उसे वितरित नहीं किया गया, कब तक यह साज–सज्जा का सामान स्कूलों में वितरित करने का कष्ट करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

इसकी व्यवस्था की जा रही है । बाढ़ की वजह से परेशानी हो गई थी, अब सब सामान भेज दिया जायेगा ।

श्री मित्रसेन--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले विद्यालय जिनके भवन की अनुमति नहीं दी गई है, उन भवनों की लागत का अनुमान 8 वर्ष पूर्व बना है और वह स्टीमेट कम है, इसलिये उनका निर्माण नहीं हो रहा है। क्या उन भवनों के लिए अतिरिक्त धन स्वीकृत करने की मंत्री जी कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था कर रही हैं। अतिरिक्त धन लगेगा, तो लगायेंगी।

श्री मित्रसेन--

पिछले विद्यालयों में लागत कम लगाई गई है और अब स्टीमेट गढ़ गया है, धन कम है, इसलिए न तो कोई ठेकेदार उसको बनाने के लिए तैयार है न डिपार्टमेन्ट बना रही है। श्रीमन्, मेरी जानकारी है कि स्टीमेट कम है, तो क्या अतिरिक्त धन स्वीकृत करेंगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सुलतानपुर जिले का प्रश्न है। श्रीमन्, मेरी जानकारी है कि वर्ष 78 में बाढ़ के समय जब श्री कालीचरन यादव, शिक्षा मंत्री थे उस समय कई करोड़ रुपया यूनिसेफ से जो विद्यालय क्षतिग्रस्त हुये थे, उनके भवनों के निर्माण के लिये मिला था और उत्तर प्रदेश को करोड़ रुपया मिला था क्या बाढ़ में क्षतिग्रस्त इलाके के विद्यालयों सुलतानपुर, गाजीपुर, बलिया में भवनों का निर्माण कराया गया। श्रीमन्, मुझे जानकारी है कि एस0 डी0 आई0 और टीचर्स मिलकर करोड़ों रुपया खा गये हैं और भवनों का निर्माण नहीं हुआ है। क्या इसकी जांच करायेंगी कि कहां-कहां, किन-किन भवनों का निर्माण कराया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो बहुत विस्तृत सूचना आपने मांगी है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी सुल्तानपुर की विशेष स्थिति को देखते हुए जो एक जिले का प्रश्न है, पूरे सूबे में टाट-पट्टी इत्यादि की यही हालत है, इस सम्बन्ध में जिला परिषद् बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि सब लोग पैसा खा डालते हैं, तो क्या इसमें कोई जांच करायेंगी कि कहीं ये सब खा पका तो नहीं गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

पीछे जो हुआ तो वह मैंने कल ही कहा था कि बहुत लम्बी लाइबिल्टीज मेरे सिर पर पड़ी हैं। वह तो धीरे-धीरे ही दूर होगी और धीरे-धीरे ही हम

कर्जे से मुक्त होंगे। आगे हमने व्यवस्था बनायी है पंचायत उद्योग से टाट-पट्टी खरीदी जायेंगी। डाइरेक्टर एजूकेशन इसका इन्तजाम करेंगे ?

*12.--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

राधे हरि महाविद्यालय, काशीपुर, नैनीताल के प्रवक्ताओं का स्थायीकरण

*13--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राधे हरि महाविद्यालय, काशीपुर (नैनीताल) जिसका शासन द्वारा प्रान्तीयकरण जुलाई, 73 में हो चुका था, प्रान्तीयकरण के पूर्व के अस्थायी प्रवक्ताओं को अभी तक तदर्थ रूप से अस्थायी रखा गया है ? क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालयों के तदर्थ रूप से नियुक्त प्रवक्ताओं की सेवाओं को विनियमित शासनादेश दिनांक 22 मई, 1980 द्वारा करा दिया गया है ? यदि हाँ, तो राधे हरि महाविद्यालय, काशीपुर (नैनीताल) के लम्बी सेवा वाले प्रवक्ताओं के साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। दिनांक 1 जनवरी, 1977 से पूर्व के नियुक्त ऐसे प्रवक्ताओं का विनियमितीकरण शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के आदेश 22 मई, 1980 द्वारा किया गया।

इनका प्रकरण लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के विचाराधीन है।

श्री सन्त बक्स रावत--

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि एक जनवरी, 1977 के पूर्व नियुक्त ऐसे प्रवक्ताओं का विनियमितीकरण शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा के आदेश, दिनांक 22 मई, 1980 द्वारा किया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि 1973 में इसका प्रान्तीकरण हो गया था। राधे हरि महाविद्यालय, काशीपुर (नैनीताल) के प्रवक्ता जिनकी नियुक्ति इससे पूर्व हुई है, उनका विनियमितीकरण न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वह अगर इसके अन्दर ले आयेंगे, तो मान्यवर, उनका ही नुकसान होगा। क्योंकि विनियमितीकरण करने में अगर हमने 22 मई, 1980 को किया, तो उनकी जो सीनियारिटी है, वह 1980 से गिनी जायेगी, लेकिन जो राधे हरि महाविद्यालय, काशीपुर की बात है, वह बहुत पुराने प्रवक्ता हैं। 1973 में हमने प्रान्तीयकरण किया था उस समय हमने लोक सेवा आयोग से कहा था कि उनका एप्रूवल होता है, तो उनकी सीनियारिटी एक जुलाई, 1973 से गिनी जायेगी।

श्री सन्त बक्स रावत--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि काशीपुर नैनीताल के राधे हरि महाविद्यालय के प्रवक्ताओं को लोक सेवा आयोग को कब भेजा गया और उस पर कब तक कार्यवाही पूरा हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं शीघ्र ही उनको रिमाइण्डर भेजूंगी, शीघ्र ही हो जायेगा । लेकिन 1973 से उनको सीनियारिटी होगी ।

श्री पंचानन--

7 वर्ष हो गये प्रान्तीयकरण हुए, कितने वर्ष और लगेंगे उनको विनियमितीकरण करने में ?

श्री अध्यक्ष--

यही प्रश्न हो चुका है ?

श्री पंचानन--

श्रीमन् 7 साल हो गये, अध्यापक हैं ... ।

श्री अध्यक्ष--

कह तो दिया कि जल्दी होगा, उत्तर आ चुका है ।

*14--श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित] ।

*15--श्री मुहम्मद आजम खां--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित] ।

*16--श्री ऊदल--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित] ।

*17--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित] ।

गोरखपुर जिले के महाराजगंज में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय के स्थापना की स्वीकृति

*18--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या न्याय मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के महराजगंज उपनगर में मुन्सफी अदालत खोलने का निर्णय सरकार ने वर्षों पहले ले लिया है ? यदि हां, तो अब तक अदालत न खुलने के क्या कारण हैं एवं अदालत कब तक खुलेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

गोरखपुर जनपद की महाराजगंज तहसील में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव 1971 से शासन के विचाराधीन था, परन्तु अभी तक न्यायालय की स्थापना न किये जाने का मुख्य कारण यह था कि वहां पर न्यायालय कक्ष एवं आवास के लिये कोई किराये का उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं हो सका ।

अब शासनादेश, दिनांक 29 दिसम्बर, 1979 व 28 मार्च, 1980 द्वारा महाराजगंज में एक न्यायालय कक्ष, न्यायिक अधिकारी के लिये आवासिक भवन एवं लिटीगेन्ट शेड व हवालात आदि के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। भवनों के निर्माण होने पर वहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रट के न्यायालय को स्थापना कर दी जायेगी ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं इसी माह महाराजगंज गया था । वहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सभी वकील मिले थे । मैंने एक पत्र लिख कर आप को दिया ह, शायद मिल गया होगा । उस में लोगों ने यह बताया है कि मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना के लिए वहां के सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रस्ताव करके कि भवन को और किस-किस चीज की आवश्यकता महसूस करते हैं, भेज दिया ह । क्या वह प्रस्ताव आप को प्राप्त हुआ है कि नहीं ? यदि हुआ है, तो उसकी स्थापना आप कब तक शुरू कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह अलग प्रश्न है....।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

इस में कहा गया है कि भवन आदि उपलब्ध नहीं है और निर्माण कार्य जब हो जायेगा, तो खोल दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप उत्तर का दूसरा पैरा देखें "अब शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 1979 व 28 मार्च, 1980 द्वारा महाराजगंज में एक न्यायालय कक्ष, न्यायिक अधिकारी के लिये आवासिक भवन एवं लिटीगेन्ट शेड व हवालात आदि के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। भवनों के निर्माण होने पर वहां पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना कर दी जायेगी ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

जी हां, यही तो मेरा कहना है कि जब तक निर्माण नहीं हो जाता है । बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास कर के दिया है कि हम लोग भवन दे रहे हैं और सब चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं । क्या सरकार जल्दी वहां के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से सम्पर्क कर के इस कार्य को चालू करा देंगे ताकि जनता को न्याय सुलभ हो सके ?

श्री अध्यक्ष--

(मंत्री जी से) कोई ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है जिस में भवन देने की बात हो? अगर है, तो बता दें ।

श्री जगदीश प्रसाद--

अभी फिलहाल मेरे पास इस प्रकार का कोई पत्र नहीं मिला है । वैसे मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अदालत खोलने के लिए आवासीय सुविधा, कार्यालय और हवालात तमाम चीजें जरूरी हैं, तो जब तक सारी सुविधा नहीं हो जाती तब तक न्यायालय वहां खोलना उचित नहीं होगा ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कार्य चालू करने का समय क्या है और अनुमानतः कब तक वह कार्य पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन्, आदेश जारी कर दिये गये हैं, स्वीकृति दी जा चुकी है । कोशिश की जायेगी कि जल्दी से जल्दी इस का निर्माण करें ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, प्रश्न संख्या 88....।

श्री अध्यक्ष--

अतारांकित प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्न नहीं होते हैं ।

श्री मुईद अहमद--

उत्तर गलत है ....।

श्री अध्यक्ष--

आप यह अलग से लिख कर दें ।

बरेली जिले के आंवला में उर्वरक कारखाने की स्थापना की मांग

*19--श्री नन्द राम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि प्रदेश की 'पिकअप' टीम ने हाल में ही आंवला, जिला बरेली के चापट नामक स्थान पर सर्वेक्षण कर उक्त स्थान को उर्वरक का कारखाना लगाने के लिए सर्वोत्तम स्थान बताया था ? यदि हां, तो संयत्र लगाने की घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

जी नहीं ।

उर्वरक कारखानों की स्थापना हेतु स्थानों के बारे में निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जायेगा ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उर्वरक कारखानो के सम्बन्ध में जो चार्ज उत्तर प्रदेश को मिला है, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री निरन्तर यह घोषणा कर रहे हैं कि उसमें से एक कारखाना संजय जी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में लगेगा, इसकी घोषणा कर दी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब इसका विनिश्चय केन्द्र सरकार को करना है, तो किस आधार पर अमेठी में खोलने का निर्णय आपकी सरकार ने कर दिया है ? यदि अमेठी में कर दिया है, तो बाकी जगहों लखो में क्या आपत्ति है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, उर्वरक कारखाने के बारे में स्थिति यह है कि हमको आशा है कि उत्तर प्रदेश में उर्वरक के चार कारखाने हमको मिलेंगे। इनके मिल जाने की पूर्ण आशा है। लेकिन वे कहां-कहां बनेंगे, स्थानों के बारे में एक टास्क फोर्स बनायी गयी है, जो विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर रही है और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार अपनी संस्तुतियां करके भारत सरकार को भेजेगी। लेकिन अंतिम निर्णय जगह का भारत सरकार द्वारा ही किया जायेगा।

श्री नरेश चन्द्र--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र की जो टीम आयी है, उसने प्रदेश का सर्वे किया ? यदि सर्वे किया, तो कौन-कौन से जिलों में किस-किस स्थान को स्वीकृत किया ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, भारत सरकार द्वारा अभी कोई टीम सर्वे के लिये नहीं आयी है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चापर नाम के स्थान का बरेली में जो सर्वे हुआ है, तो उस जगह यह कारखाना खोलने के बारे में क्या प्रगति है, मामला किस स्टेज पर है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, चापर जगह का सर्वे किया गया है। सर्वे की रिपोर्ट तैयार है। अभी और स्थानों का सर्वे हो रहा है। सारी रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी जायेगी और जो निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जायेगा, उसी आधार पर कार्यवाही होगी।

श्री अकबल हुसैन--

मान्यवर, जनपद गोंडा में मनकापुर केन्द्र का केन्द्र की टीम इस समय सर्वेक्षण कर रही है। लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि कोई केन्द्र की टीम नहीं आयी, तो, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उक्त टीम ने क्या परीक्षण किया उर्वरक कारखाना खोलने के सम्बन्ध में ? उसमें क्या प्रगति है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, वह केन्द्र की टीम नहीं, 'पिक-अप' की टीम है। 'पिक-अप' के मैनेजिंग डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक टीम बनी है जो विभिन्न विभाग के अफसरों की है। उस टीम ने गोंडा का निरीक्षण और सर्वे किया है। उसकी रिपोर्ट तैयार होने पर वह भी साथ में केन्द्र को भेजी जायेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, जनता शासन में अलीगढ़ में उर्वरक कारखाना खोलने के लिये सर्वे किया गया था, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उर्वरक कारखाना अलीगढ़ में पुराने सर्वे के आधार पर खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर –

मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि जिन-जिन स्थानों के सर्वे के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा या जिन-जिन स्थानों से प्रार्थना-पत्र आये, वहां टास्कफोर्स की टीम बराबर हर जिले का सर्वे कर रही है और वहां की उपयोगिता को देखते हुये अपनी रिपोर्ट देगी । वह हम भारत सरकार को भेजेंगे और आखिरी निर्णय, स्थान के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा किया जायगा ।

श्री नन्दराम--

आपने जो सर्वे कराया है, तो चापट में जो सर्वे किया गया उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, चापट का सर्वे हुआ है और उसकी अंतरिम रिपोर्ट भी आयी है, जिसमें पोजीशन यह है कि वहां पानी की अवेलिबिलिटी, जितनी जरूरत है, वहां पर दस्तयाब नहीं है । इसके बावजूद भी जहां और रिपोर्ट भेजी जायगी, तो जो वहां की रिपोर्ट है, वह भी भेजी जायेगी । निर्णय भारत सरकार करेगी ।

श्री दयाल कृष्ण –

अध्यक्ष महोदय, मथुरा में तेल शोधक कारखाना लग रहा है । मैं मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि वहां पर जो नेप्था निकलेगा उसकी टेकिंग मथुरा में होगी या नहीं ? वहां नेप्था से सम्बन्धित उर्वरक कारखाना लगाया जायगा या नहीं ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मैंने इस बात पर कई बार, अपने माननीय सदस्यों के सवाल पर बताया कि जो जगह उपयुक्त होगी, जो-जो चीजें चाहिये वह जहां पर अवेलेबिल होंगी, उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जायेगी । भारत सरकार उस स्थान का निर्णय लेगी, तब उस स्थान पर कारखाना लगाया जायगा ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को जानकारी है कि अभी 2-4 रोज पहले मैनपुरी में विशेषज्ञों की टीम गयी थी, वहां डेढ़ हजार एकड़ भूमि भी मिल गयी है । सारी शर्तें मैनपुरी पूरी करता है, तो क्या वहां पर कारखाना लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मैनपुरी का भी सर्वे हुआ है । वहां की रिपोर्ट हासिल हो गयी है । मैनपुरी की रिपोर्ट भी भारत सरकार को भेजी जायगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, बस्ती जनपद रूरल आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जनपद है । वहां कोई उद्योग-धंधा नहीं है । तो क्या इन चारों कारखानों में से एक कारखाना बस्ती में लगाया जायगा ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

माननीय सदस्य की इस भावना का आदर करते हुये हम बस्ती का भी सर्वे करा लेंगे ।

श्री नरेश चन्द्र--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि उर्वरक कारखानों का सर्वे केन्द्र का मसला है । अभी मंत्री जी ने बताया कि पिकअप ने भी सर्वे किया है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह केन्द्र का मसला है, तो पिकअप ने किस हैसियत से सर्वे किया है । अगर किया है, तो क्या हरदोई का भी सर्वे किया गया है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मैंने यह बात नहीं कही है कि सिर्फ भारत सरकार द्वारा ही कोई टीम सर्वे करेगी, निर्णय के लिये मैंने कहा है । मैंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जुलाई, 1979 में एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई गयी थी, जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वे कर रही है । जहां तक हरदोई का सर्वे का सवाल है, तो माननीय सदस्य की भावना का आदर करते हुये उसका भी सर्वे करा लिया जायेगा

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, जब सर्वेक्षण कराने का और उद्योग-धंधे स्थापित करने का अंतिम निर्णय भारत सरकार के हाथ में है तो क्या मंत्री जी ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि भारत सरकार किन आधारों पर और किन नीतियों के आधार पर सर्वे करा रही है और उसके आधार क्या-क्या हैं ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, सर्वे का आधार मुझे मालूम है और भारत सरकार चाहती है कि जहां एक हजार एकड़ जमीन बंजर मिले और वहां पर 20 मिली मीटर कम से कम पानी उपलब्ध हो, 50 मेगावाट बिजली हो, रेलवे स्टेशन हो और खपत हो, यदि यह चीजें होंगी, तो उस जगह की रिकमन्डेशन भारत सरकार को जरूर जायेगी ।

*20--श्री जमुना प्रसाद तथा श्री राम सागर--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गढ़वाल जिले के कोटद्वार-दुगड्डा मार्ग में टूट-फूट

**1--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में कोटद्वार तथा दुगड्डा के बीच स्थान दुर्गादेवी के पास मोटर मार्ग भयंकर वर्षा के कारण ध्वस्त हो गया है जिससे दिनांक 1-8-80 से जिला पौड़ी-गढ़वाल तथा चमोली को जाने वाला गल्ला, मिट्टी का तेल आदि न पहुंचने के कारण जनता में कठिनाई हो गई है ? यदि हां, तो इस ध्वस्त मार्ग की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कब तक मार्ग खुल जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

दिनांक 1 अगस्त, 1980 की रात्रि में भीषण वर्षा तथा चट्टान गिरने के कारण दुर्गादेवी के पास यह मोटर मार्ग नवनिर्मित दीवार के पास, कोटद्वार की ओर से, लगभग 20 मीटर लम्बाई में टूट गया था तथा एक स्केपर बह गया

था । यात्रियों की सुविधा हेतु, पैदल तथा खच्चर मार्ग बना दिया गया था जिससे गल्ला, मिट्टी का तेल, इत्यादि के पहुंचन में अधिक व्यवधान न हो । मार्ग दिनांक 22 अगस्त, 1980 को सायंकाल 6 बज यातायात हेतु खोल दिया गया है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

यह मार्ग चमोली तथा पौड़ी जिले का प्रमुख मार्ग है और बरसात में हर साल टूट-फूट हो जाने से और चट्टान स्लिप होने से यातायात रुक जाता है, तो क्या सरकार उस मार्ग को चालू रखने हेतु बुलडोजर की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

अभी विभाग की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं है । अगर माननीय सदस्य को इस बारे में जानकारी है और बुलडोजर के रहने से यातायात नहीं रुकेगा, तो उसके बारे में व्यवस्था कर देंगे ।

**2--श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

1--श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गोरखपुर जिले के जनता इंटर कालेज के अध्यापक, श्री अकबर अली का स्थानान्तरण

2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष कई विधायकों ने शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि गोरखपुर जिले के जनता इंटर कालेज, भिटौली बाजार के एक शिक्षक (श्री अकबर अली) का स्थानान्तरण उसी जिले के डी० ए० वी० इंटर कालेज, घुघली में बिना पद रिक्त के ही कर दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । श्री अकबर अली के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियमों का अतिक्रमण करने के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग को निर्देश दिए गए हैं ।

सीतापुर जिले के ग्राम भलुही में औद्योगिक आस्थान हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा का भुगतान

3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में सीतापुर नगर के समीप भलुही ग्राम में औद्योगिक आस्थान बनाने के लिये जो भूमि ली गई

है, क्या उसका मुआवजा भूमि के मालिक काश्तकारों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो मुआवजा दिये बिना स्थान बनाना प्रारम्भ कर देने का क्या कारण है तथा कब तक वे दिया जायगा ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

सीतापुर नगर के समीप अरैया मल्हुई में औद्योगिक आस्थान हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गई भूमि के मुआवजे का भुगतान काश्तकारों को जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा किया जा रहा है। उक्त जनपद के त्वरित औद्योगिक विकास के उद्देश्य से निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अधिकतर काश्तकारों को मुआवजा दिया जा चुका है, शेष काश्तकारों को शीघ्र मुआवजा वितरित कर दिये जाने के लिये जिलाधिकारी से कहा जा रहा है।

4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मैंगनासाइट लिमिटेड में अल्मोड़ा जिले के कर्मचारियों की संख्या और कच्चे माल का उत्पादन

5--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मैंगनासाइट लिमिटेड, अल्मोड़ा में कितने अस्थायी और स्थायी, अधिकारी और कर्मचारी जिला अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और कितने बाहरी हैं ?

श्री अब्दुल रहमान खाँ नश्तर--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 145 पर।)

6--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जून, 1980 तक मैंगनासाइट लिमिटेड, अल्मोड़ा द्वारा कितना कच्चा माल निकाला गया ? उसका कितना कच्चा माल स्थानीय कारखाने में भेजा गया और कितना कच्चा माल काठगोदाम और टनकपुर रेलवे स्टेशन द्वारा टाटा नगर भेजा गया ?

श्री अब्दुल रहमान खाँ नश्तर--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 146 पर)।

7--श्री कुंवर सिंह नेगी--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

8--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

[1ले शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के द्वारा उत्तरित।]

9--श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

10--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

न्यायिक अधिकारियों को यूनीफार्म भत्ता दिये जाने की मांग

11--श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायिक अधिकारियों को यूनीफार्म का पहनना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या उन्हें पुलिस विभाग के समकक्ष कोई भत्ता दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां, जनरल रूल्स (सिविल) के नियम 615 के अनुसार प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को न्यायालय में निर्धारित ड्रेस पहनना आवश्यक है । इन अधिकारियों को ड्रेस हेतु कोई भत्ता अनुमन्य नहीं है । इस प्रकार के भत्ते को स्वीकृत किये जाने के प्रश्न को वेतन आयोग को संदर्भित कर दिया गया है तथा उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही शासन द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

देवरिया जिले की भवन विहीन प्राइमरी पाठशालायें

12--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया में कितनी ऐसी बेसिक प्राइमरी पाठशालायें हैं जिनके पास इमारत नहीं है और उनका विकास खण्डवार क्या विवरण है ? इमारतें बनाने की योजना क्या है

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जनपद देवरिया में कुल 1890 प्राइमरी विद्यालय हैं जिनमें से 434 प्राइमरी विद्यालयों के निजी भवन नहीं हैं और उनमें से 34 विद्यालय भवनों के निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराया जा रहा है । भवनहीन प्राइमरी विद्यालयों का विकास खंडवार विवरण संलग्न है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भवनहीन प्राइमरी विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । शासन के सीमित साधनों के कारण सभी भवनों का निर्माण कराया जाना संभव नहीं है, किन्तु जैसे-जैसे धन की व्यवस्था की जायेगी, भवनों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराया जायेगा । किसी अवधि का आश्वासन देना संभव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 147 पर) ।

13--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जौनपुर जिले के पिलकिच्छा घाट की नीलामी

14--श्री जंगबहादुर--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह जानकारी है कि जौनपुर जनपद के पिलकिच्छा फेरी घाट का नीलाम 10 अप्रैल, 1980 को टेंडर द्वारा नियमानुकूल किया गया ? क्या इसकी स्वीकृति शासन द्वारा की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां ।

जौनपुर जनपद में पिलकिच्छा घाट फेरी की निविदायें दिनांक 10-4-80 को प्राप्त की गई थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चमोली जिले में मोटर मार्ग का निर्माण

15-श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे की जनपद चमोली में वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 म कौन-कौन मोटर मार्ग स्वीकृत हुए हैं और उन पर अलग-अलग कितनी धनराशि 31 मार्च, 1980 तक व्यय हुई और प्रत्येक मोटर मार्ग का कितना भाग अभी 31 मार्च, 1980 को बनना अवशेष रह गया ह तथा निर्माण में धीमी गति का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

निर्माण कार्य की प्रगति धीमी नहीं रही है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 149 पर)

16--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[4थे बुधवार में अतारांकित संख्या 6-7 द्वारा उत्तरित]

17--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[4थे बुधवार में अतारांकित संख्या 6-7 के द्वारा उत्तरित]

18--श्री जंग बहादुर--

[तीसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के द्वारा उत्तरित]

19--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के द्वारा उत्तरित]

20--श्री जमुना प्रसाद--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय, जिला आजमगढ़ को बाढ़ सहायता अनुदान की कथित स्वीकृति

21--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में आजमगढ़ जनपद में किन-किन सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने का अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था ? इनमें से किन-किन विद्यालयों को उक्त धनराशि का भुगतान किया गया है तथा किन-किन को नहीं किया गया है ? भुगतान न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1977-78 में आजमगढ़ जनपद के किसी भी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा महा विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने का अनुदान नहीं स्वीकृत किया गया था । अतः किसी भी विद्यालय को भुगतान दिये जाने अथवा न दिए जाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

22--श्री मोहन सिंह--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

23--श्री राम सागर तथा श्री जमुना प्रसाद--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

24--श्री हरिवंश सहाय--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

जालौन जिले में खोले गये जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल

25--श्री शंकर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1979-80 में प्रदेश में कितने जूनियर तथा प्राइमरी स्कूल खोले गये तथा इनमें जालौन जनपद की संख्या क्या है ?

मुख्य मन्त्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह)--

वर्ष 1979-80 में पूरे प्रदेश में 228 जूनियर हाई स्कूल और 659 प्राइमरी स्कूल खोले गये तथा इनमें से जनपद जालौन में 2 जूनियर हाई स्कूल तथा एक प्राइमरी स्कूल खोला गया है । अखिल भारतीय तृतीय शैक्षिक सर्वेक्षण 1973 के अनुसार जालौन जनपद में 80 जूनियर हाई स्कूल तथा 57 प्राइमरी स्कूल खोले जाने की आवश्यकता थी, जिनमें से सर्वेक्षण के उपरान्त वर्ष 1979-80 तक 27 जूनियर हाई स्कूल और 66 प्राइमरी स्कूल खोले जा चुके हैं ।

जालौन जिले के भवन विहीन राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल

26--श्री शंकर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद में इस समय कितने सरकारी जूनियर तथा प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनके अपने भवन नहीं हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस जनपद में केवल दो राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल भवनहीन हैं। कोई सरकारी प्राइमरी विद्यालय जनपद में नहीं है।

27--श्री दल गंजन सिंह--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

28--श्री दल गंजन सिंह--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

वाराणसी जिले के फूलपुर-सिधोरा व कठिराव-अनेई मार्गों को पक्का किये जाने की मांग

29--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फूलपुर से सिधोरा व कठिराव बाया कुवांर अनेई तथा कुवार से बड़ा गांव मार्ग वाराणसी पर पक्का कार्य कब तक शुरू किया जायगा और मिट्टी पत्थर को कबसे गिराया जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

धनाभाव के कारण तीनों सड़कों को पक्का करने का कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि इन पर पक्का कार्य कब तक शुरू किया जायगा।

30--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

31--श्री शंकर सिंह--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

32--श्री राम कृष्ण उपाध्याय--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

33--श्री बदन सिंह--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में वृद्धि की मांग

34--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रतिमास करने पर विचार कर रही है ? यदि हो, तो क्या सरकार मासिक धनराशि में तत्काल वृद्धि की घोषणा करेगी ?

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

शासन वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि 40 रुपये प्रतिमास से बढ़ा कर 50 रुपये करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। वर्ष 1980-81 का आय-व्ययक पारित होने के पश्चात् इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

श्रम न्यायालय, गोरखपुर में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति

35--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि दिनांक 9 फरवरी, 1980 से 10-7-80 तक श्रम न्यायालय, गोरखपुर में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई तथा कब तक नियुक्ति कर दी जायगी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्री जगदीश नारायण सिंह, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, गोरखपुर के निधन के पश्चात् श्रम विभाग के एक अधिकारी की नियुक्ति इस पद पर की गई थी, जिन्होंने अपनी पारिवारिक कठिनाइयों के कारण उक्त पद पर जाने में अनिच्छा व्यक्त की। अतः उनकी नियुक्ति के आदेश रद्द कर दिये गये। अब दिनांक 4 जुलाई, 1980 को उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, श्री अश्वनी प्रसाद श्रीवास्तव को नियुक्ति पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, गोरखपुर के पद पर कर दी गई है और उन्होंने अपना कार्यभार 11 जुलाई, 1980 को ग्रहण कर लिया है।

36--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

बस्ती जिले में राप्ती नदी के सिंगार जोत घाट पर पीपे के पुल की मांग

37--मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बस्ती में शाहपुर सिंगारजोत घाट सड़क पर राप्ती नदी के ऊपर पीपे का पुल जिसकी स्वीकृति हो चुकी है, कब तक बनाया जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

प्रश्नगत पीपे के पुल की स्वीकृति अभी नहीं हुई है। अतः अभी इसके निर्माण का प्रश्न नहीं उठता है।

38--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

39--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

डा० आर० पी० गोयल, भूतपूर्व चिकित्साधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामपुर के बकाये का भुगतान

40--श्री बलवीर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डा० आर० पी० गोयल, भूतपूर्व मेडिकल आफीसर, आई० टी० आई०, रामपुर का (हाई कोर्ट के आदेश तथा श्रम

निदेशालय के आदेश) के बावजूद उनके एरियर्स (अवशिष्ट धन) का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

डा० आर० पी० गोयल, भूतपूर्व चिकित्साधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर के अवशेष वेतन के भुगतान के मामले में उच्च न्यायालय ने कोई भी आदेश नहीं दिये थे ।

डा० गोयल के अवशेष वेतन भुगतान सम्बन्धी बिलों पर महालेखाकार ने कुछ आपत्तियां की थीं जिसके निराकरण हेतु उनसे अभिलेख अपेक्षित हैं । चूंकि डा० गोयल ने अभी तक अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये हैं, अतः इस मामले में हो रहे विलम्ब के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी हैं ।

श्री गुरुनानक खालसा हायर सेकेन्ड्री स्कूल, सीकरी बाजार, झांसी को अल्पसंख्यक स्वरूप घोषित करने सम्बन्धी कथित पत्र

41--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 11 अक्तूबर, 1979 श्री गुरुनानक खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल, सीकरी बाजार, झांसी का पत्र उन्हें मिला जिसमें विद्यालय को अल्पसंख्यक घोषित करने के सम्बन्ध में आग्रह था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

श्री ती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत विद्यालय का एतद् विषयक उक्त तिथि का पत्र विभाग के अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं है । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

42--श्री ऊदल--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

43--श्री जंगबहादुर, श्री तेज बहादुर सिंह तथा श्री राम समुझावन--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

उद्योग केन्द्र चमोली में कर्मचारियों के रिक्त पद

44--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली उद्योग केन्द्र की कब स्थापना हुई और कब यहां पर इस केन्द्र के प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति हुई तथा 30-6-80 को इस केन्द्र पर कौन-कौन पद रिक्त थे तथा उन्हें भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जिला उद्योग केन्द्र, चमोली की स्थापना 1-11-78 को हुई थी । इस केन्द्र के प्रमुख अधिकारी, सामान्य प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति के आदेश दिनांक 9-4-79 को हुये थे । परन्तु सम्बन्धित अधिकारी के कार्यभार ग्रहण न करने

के कारण पुनरीक्षित आदेश जारी किये गये तथा श्री पी० एन० मिश्रा ने इस पद पर दिनांक 7-5-80 के अपरान्ह से कार्य भार ग्रहण किया ।

जिला उद्योग केन्द्र चमोली में दिनांक 30-6-80 को निम्नलिखित पद रिक्त थे :--

1--प्रबन्धक (विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण)	1
2--प्रबन्धक (क्रेडिट)	1
3--प्रबन्धक (हथकरघा, हस्तकला वस्त्रोद्योग एवं सहकारिता)	1
4--प्राविधिक अधिकारी ..	1
5--ज्येष्ठ अन्वेषक ..	1
6--कनिष्ठ अन्वेषक ..	2
7--प्रमोशनल असिस्टेन्ट ..	1
8--असिस्टेन्ट मैनेजर	5

उपरोक्त में से प्राविधिक अधिकारी के पद पर श्री काजी हसन हैदर ने दिनांक 11-7-80 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है । शेष पदों को नियमानुसार शासन/उद्योग निदेशक द्वारा शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

कुमाऊं मन्डल में खनिज पदार्थों का दिया गया पट्टा

45--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड के कुमाऊं मण्डल में खनिज उद्योग में कितने स्थानीय लोगों को खनिज लीज लायसेन्स जारी किये गये हैं ? और कुल कितने उद्योग अब तक इस अंचल में लगाये गये हैं और इनका स्वामित्व किस-किस के पास है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

कुमाऊं मण्डल में प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में 13 स्थानीय लोगों को खनन पट्टा/प्रास्पेक्टिंग लाइसेन्स दिये गये हैं ।

कुमाऊं मण्डल में खनिजों पर आधारित उद्योगों में अभी तक 2 डेड बर्न्ट मैग्नेसाइट प्लान्ट तथा सोपस्टोन पीसने हेतु 3 पुलवराईजिंग प्लन्ट स्थापित किये गये हैं जिसका स्वामित्व निम्नलिखित संस्था/व्यक्ति के पास है :--

1--अल्मोड़ा मैग्नेसाइट प्लान्ट; टाटा एवं प्रदेश सरकार के ज्वाइंट सेक्टर में जिला अल्मोड़ा में डेड बर्ट मैग्नेसाइट प्लान्ट लगाया ।

2--मैग्नेसाइट कैलसीनेशन प्लान्ट; सर्वश्री उड़ीसा इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० राउरकेला, उड़ीसा ने जिला पिथौरागढ़ में लगाया ।

3--सोपस्टोन पुलवराजिंग प्लान्ट; सर्वश्री साहनी एण्ड कम्पनी, पिथौरागढ़ ने जिला पिथौरागढ़ में लगाया ।

4—सोपस्टोन पुलवराइजिंग प्लान्ट; श्री जे० सी० तिवारी, हल्द्वानी, ननीताल ने हलद्वानी (नैनीताल) में लगाया।

5—सोपस्टोन पुलवराइजिंग प्लान्ट; श्री रामपाल सिंह कटियार, शास्त्रीनगर, कानपुर ने चनौदा जिला अल्मोड़ा में लगाया।

गोरखपुर जिले के कतिपय घाटों पर पुल निर्माण की मांग

46—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत बलियानाला (महराजगंज) गौरीघाट, मटियरा घाट, इटावा घाट, बोहाबार घाट (मुन्डेरा बाजार), क्षेत्र सोपाई घाट सिकरी गंज घाट, धुरिया पार, गजपुर घाट, आदि स्थानों पर पुल बनवाने की योजना सरकार ने स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

केवल सोपाई घाट को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर पुल बनवाने की योजना स्वीकृत नहीं है। स्थल का चयन अभी तय न होने के कारण स्वीकृत पुल का निर्माण आरम्भ नहीं हुआ है।

धनाभाव के कारण अन्य स्थानों पर पुल निर्माण की स्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकी है।

गोरखपुर जिले के बलिया नाला पुल के मरम्मत की मांग

47—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज के सन्निकट बलिया नाला पुल शीघ्र ध्वस्त होने की स्थिति में है ? यदि हां, तो सरकार इसके निर्माण के विषय में क्या सोच रही है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

48—श्री दल गंजन सिंह—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

ग्राम हरौली, जिला जालौन की प्राइमरी पाठशाला का भवन

49—श्री दलगंजन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के ग्राम हरौली की प्राइमरी पाठशाला की इमारत विगत 2 वर्ष पूर्व गिरा दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके शीघ्र निर्माण की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

प्रश्नगत पाठशाला के भवन निर्माण का प्रश्न जिला बेसिक शिक्षा समिति, जालौन के विचाराधीन है ।

50—श्री ऊदल तथा श्री रियासत हुसैन—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

51-52—श्री ऊदल—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

बेसिक शिक्षा परिषद्, गाजीपुर में अनुसूचित जाति के अध्यापकों की नियुक्ति

53—श्री रामधनी—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में माह मई, जून, सन् 1980 में 192 प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो उनमें अनुसूचित जातियों के कितने अभ्यर्थी चुने गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के लिये माह मई तथा जून, 1980 में 192 प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां हुई हैं जिनमें से 46 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी चुने गये हैं ।

54—श्री रामधनी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जो भी अनूसूचित जाति के अभ्यर्थी सहायक अध्यापक के चयनित सूची में दर्शाये गये हैं क्या वे पहले से सेवारत रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिन 46 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की गई हैं वे परिषदीय विद्यालयों में पहले से सेवारत नहीं हैं ।

55—श्री पंचानन—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

रानीखेत तहसील की रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली सहायता एवं कच्चे माल की आपूर्ति

56—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील में कितने उद्योग हैं जोकि दो लाख से अधिक लागत के हैं, इनमें कितने सुचारु रूप से चल रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो रुग्ण अवस्था में हैं ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

रानीखेत तहसील में दो लाख से अधिक लागत की 6 औद्योगिक इकाइयां हैं । सभी इकाइयां प्रायः रुग्ण अवस्था में हैं ।

9017

57--श्री जसवन्त विष्ट--

क्या यह प्रोजेक्ट एरिया घोषित है ? यदि हां, तो उनसे मिलने वाली क्या सुविधायें प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

इस समय प्रोजेक्ट एरिया नहीं है बल्कि जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोडा के अन्तर्गत ग्रोथ सेन्टर क्षेत्र है, जिन्हें नियमानुसार सुविधायें प्रदान की जाती हैं ।

58--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या यह सच है कि उक्त क्षेत्र में चल रही इकाइयों को कच्चा माल सुलभ नहीं है और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम नई इकाई को लोहा एवं इस्पात जिसमें सरिया भी है नहीं दे पा रहा है ? यदि हां, तो नई इकाइयों को जीवित रखने के लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

उक्त क्षेत्र को औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल उनकी उपलब्धि के अनुसार आवंटित किया जाता है । आवश्यकता एवं उपलब्धि के अनुसार कच्चा माल देने का प्रयास किया जायेगा ।

देवरिया जिले की बीमार औद्योगिक इकाइयां

59--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि देवरिया जनपद में वर्ष 1980 तक कितने उद्योग जिले के देवरिया सदर पडरौना बरहज, सलेमपुर, कस्बा सेंवरही, हाता गौरी बाजार, बंतालपुर में चल रहे हैं ? इसमें से कितने बीमार हैं और जो चालू हैं उनमें उत्पादन का औसत क्या है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

देवरिया जनपद में जून, 1980 तक देवरिया सदर पडरौना, बरहज सलेमपुर सेवरही, कसवा, हाटा, गौरीबाजार एवं बंतालपुर में 191 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत थी । इनमें से बहुत कम इकाइयां बीमार हैं । शेष का वार्षिक औसत उत्पादन 146·23 लाख रुपये हैं ।

60--श्री ऊदल--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

61--श्री चतराम गंगवार--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

62--श्री विद्या सागर नौटियाल--

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 48 द्वारा उत्तरित]

63--श्री खुर्शीद अहमद--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

64--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

65--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

66--श्री राम कृष्ण उपाध्याय--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

67--68--श्री ऊदल--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, बुलन्दशहर में प्रधान अध्यापक के पद पर पदोन्नति

69--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि राजकीय दी० विद्यालय ; बुलन्दशहर के प्रधान अध्यापक के पद पर की गई पदोन्नति के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त दिनांक 21-2-80, 26-2-80, 11-3-80, 25-3-80, 15-5-80 व 16-6-80 के शिकायती पत्रों पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रामपुर जिले से कागज के कारखाने को लालकुआं नैनीताल में स्थानान्तरण

70--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 1978-79 में मंजूर हुआ कागज कारखाना जो कि रामपुर जनपद में लग रहा था किन कारणों से रामपुर से हटा कर नैनीताल के लालकुआं क्षेत्र में लगाया जा रहा है ? इस कारखाने के न लगने से जनपद का जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करने के लिए सरकार कोई दूसरा कारखाना लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

सेन्चरी पल्प एन्ड पेपर न पल्प तथा कागज का एक कारखाना लालकुआं जिला नैनीताल में लगाने का लाइसेंस भारत सरकार से प्राप्त किया है । उन्होंने प्रदेश सरकार से प्रार्थना की थी कि कुछ तकनीकी कारणों से उन्हें लालकुंआ के बजाय डाँडिया फारेस्ट ब्लाक जिला रामपुर में यह कारखाना लगाने की अनुमति दे दी जाय । बाद में उन्होंने स्वयं ही यह निर्णय लिया कि वे कारखाना लाल कुआं में ही लगावेंगे । इस कारखाने का स्थापना कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है । यह कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं लगाया जा रहा था और न कोई अन्य भारी उद्योग प्रदेश सार्वजनिक क्षेत्र में रामपुर में लगाने का प्रस्ताव इस समय है ।

71--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

देवरिया जिले के न्यायालयों में लम्बित फौजदारी के मुकदमें

72--श्री नन्दकिशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में जून, 1980 तक कितने फौजदारी के मुकदमें न्यायालयों के विचाराधीन पड़े हुए हैं ? उनके शीघ्र निपटाने हेतु कौन सी व्यवस्था की जा रही है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

देवरिया जजी में जून, 1980 तक 673 सत्र वाद तथा 16,875 अन्य फौजदारी वाद कुल 17,548 फौजदारी वाद विचाराधीन थे ।

इन वादों के निपटाने के लिये 8 सत्र न्यायालय एवं 15 मजिस्ट्रेट न्यायालय कार्यरत हैं जिनमें से मजिस्ट्रेटों के 3 न्यायालय तथा सेशन का एक न्यायालय केवल फौजदारी वादों के निस्तारण हेतु नये सृजित किये गये हैं। जिला जज द्वारा इन वादों के शीघ्र निपटाने के लिये समस्त न्यायालयों को निर्देश दे दिये गये हैं ।

आजमगढ़ जिले में महाराजगंज-शकरपुर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति

73--श्री दलसिंगार यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जनपद में महाराजगंज-शकरपुर मार्ग का सर्वे 1973 व 1974 में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कराया था? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगदीश प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

74--श्री ऊदल--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

75--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

फैजाबाद जिले में भवन विहीन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल

76--श्री गोपीनाथ शर्मा--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद फैजाबाद में जिला बेसिक शिक्षा परिषदीय अधीन इस समय कितने ऐसे प्राइमरी पाठशालाएं एवं जूनियर हाई स्कूलों के विद्यालय भवन अभी तक नहीं बने हैं, एवं कितने विद्यालय भवन निर्माणधीन हैं तथा कितने विद्यालय भवन के निर्माण के निमित्त ठेकेदारों को भुगतान किया जा चुका है तथा 1980-81 में कितने विद्यालय हेतु भवन निर्माण करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

77--श्री लटूरी सिंह--

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 32 द्वारा उत्तरित]

78--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री हरिवंश सहाय--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

71--श्री जीराज सिंह मौर्य--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

80--श्री जटा शंकर सिंह--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों एवं अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की संख्या

81--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 21 मार्च, 1980 को प्रदेश में कुल कितने स्कूल और कुल कितने अध्यापक प्राइमरी शिक्षा के थे और उनमें कितने लड़के व कितनी लड़कियां शिक्षा पा रही थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रदेश के 50 जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों तथा अन्य संस्थानों एवं राजकीय विभागों द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों से संबंधित अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :--

स्कूल, जिसके द्वारा संचलित हैं	स्कूलों की संख्या	अध्यापकों की संख्या	लड़कों की संख्या	लड़कियों की संख्या	लड़के व लड़कियों की संख्या का योग
1	2	3	4	5	6
बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा	59279	1,93,918	53,37,997	21,27,555	74,65,552
अन्य संस्थाओं तथा राजकीय विभागों द्वारा	2,335	11,420	2,68,786	1,52,588	4,21,374
योग ..	61,614	2,05,338	56,06,783	22,80,143	78,86,926

जनपद मथुरा, गाजियाबाद, फैजाबाद, बरेली, वाराणसी तथा अलीगढ़ से सूचना एक ी जा रही ह ।

82--श्री विष्णु दयाल--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

83--श्रीमती गौरी देवी--

[6ठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आर्य कन्या इन्टर कालेज, जिला बांदा में गृह विज्ञान विषय को मान्यता दिये जाने की मांग

84--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इन्टर कालेज, बांदा में इन्टरमीडिएट कक्षा में गृह विज्ञान सेक्शन खोलने हेतु मान्यता के लिए कोई दरख्वास्त इस समय सरकार के विचार ेन है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी नहीं । कालेज की ओर से प्रस्तुत कतिपय आवेदन-पत्रों तथा भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी के आदेशों के अन्तर्गत मामले में पुनर्विचार किया गया, परन्तु विद्यालय में भवन सम्बन्धी कमियों के कारण मान्यता देना सम्भव न हो सका ।

85--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

86--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

87--श्री ऊदल--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

फैजाबाद मण्डल के राजकीय आदर्श विद्यालय के अध्यापकों का दक्षता रोक

88--श्री मुईद अहमद--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम् मण्डल, फैजाबाद में स्थित राजकीय आदर्श विद्यालयों के कितने अध्यापकों का दक्षता रोक प्रकरण (ई० बी०) कितने वर्षों से विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ? इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

नवम् मण्डल, फैजाबाद के विभिन्न राजकीय आदर्श विद्यालयों से सात अध्यापकों के दक्षतारोक प्रकरणों में तीन प्रकरण सितम्बर, 79, एक प्रकरण दिसम्बर, 79 तथा एक-एक प्रकरण जनवरी, फरवरी एवं जुलाई, 80 से विचाराधीन हैं । यह अध्यापकों की गोपनीय आख्याओं के अभाव मे अनिर्णीत हैं । इन प्रकरणों में शीघ्र निर्णय लिये जाने के आदेश शिक्षा निदेशक को दे दिये गये हैं ।

गाजीपुर जिले के तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार अभ्यर्थी

89--श्री रामहर्ष राय तथा श्री रामकृष्ण महेश्वरी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31-7-80 तक गाजीपुर जिले में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कितने नवयुवक बेरोजगार हैं? क्या वर्तमान सरकार के पास उनको रोजगार देने का कोई कार्यक्रम निर्धारित है? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सेवायोजन कार्यालय, गाजीपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार गाजीपुर में रोजगार प्राप्त करने हेतु पंजीकृत तकनीकी शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या दिनांक 31-7-80 को 785 थी। उनको रोजगार देने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं है।

90--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

91--श्री ललन सिंह चौहान--

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

92--श्रीमती गौरी देवी--

[6ठें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

93--श्री भीखा लाल--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

94-95--श्री राम प्यारे पाण्डेय--

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

96--श्री ऊदल--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

जौनपुर जिले में बसूही नदी पर कठवतिया के पुल निर्माण की मांग

97--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बसूही नदी में स्थान कठवतिया, जिला जौनपुर में एक पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो पुल कब तक बन जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

98--श्री शम्भू नाथ सिंह--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित] ।

राजकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर में भवन निर्माण की मांग

99--श्री राम नारायण--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर पोलिटेक्निक कालेज के लिए भूमि अध्याप्ति का कार्य कहां तक पूर्ण हो जावेगी और इस कालेज के भवन निर्माण हेतु कितनी धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

राजकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर के लिए भूमि अध्याप्ति का कार्यवाही मुआविजा की धनराशि की व्यवस्था होने पर पूरी की जायगी और इस कालेज के भवन निर्माण हेतु अभी आगे धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है ।

बस्ती जिले के इटवा--बेलवा मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिए जाने की मांग

100--श्री माता प्रसाद पांडेय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जनपद में इटवा--बेलवा मार्ग को सा० नि० विभाग के अन्तर्गत लेने के लिए बस्ती जनपद के विधायकों ने तत्कालीन मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास जी) को ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उसके विषय में शासन ने क्या कार्य निर्णय लिया ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस कार्य को आगामी नई मांगों के प्रस्तावों पर विचार करने को कहा है ।

101--श्री राधेश्याम पटेल--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित] ।

102--श्री सत्यपाल सिंह--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित] ।

103--श्री हरिवंश सहाय--

[5 वें मंगलवार के लिए स्थगित] ।

104--श्री हरदेव--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित] ।

105--श्री भोलालाल--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित] ।

106—श्री विद्यासागर नौटियाल—
[5वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

107—श्री विमल प्रसाद तिवारी—
[5वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

108—श्री नरेश चन्द्र—
[माननीय मंत्री को प्रार्थना पर स्थगित ।]

109—श्री दलगंजन सिंह—
[5वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

110—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री मित्रसेन, श्री श्याम नारायन तिवारी तथा श्री राम गोविन्द चौधरी—
[5वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

111—श्री दल गंजन सिंह—
[5वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

112—श्री ऊदल—
[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

113—श्री ऊदल—
[5वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

114—श्री निर्मल कुमार—
[5वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

115—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—
[5वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

116—श्री प्रदीप कुमार यादव—
[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

117—श्री मित्रसेन—
[5वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

118—श्रीमती गौरी देवी—
[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

119—श्रीमती गौरी देवी—
[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

120—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—
[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

श्रमायुक्त संगठन तथा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

121—श्री जगदीश सिंह—

क्या श्रम मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग में कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण माह जुलाई, 1980 के अन्तिम सप्ताह में जिले के बाहर किया गया । जबकि उनके बच्चों का शिक्षा सत्र शुरू हो गया है ? क्या सरकार इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण रोकने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रम विभाग के श्रमायुक्त संगठन के 24 कर्मचारियों तथा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय संगठन के 22 अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानान्तरण माह जुलाई, 1980 के अन्तिम सप्ताह में जिले के बाहर किया गया ।

स्थानान्तरित कर्मचारियों के स्थानान्तरण अब रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

122--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

123--श्री दल सिंगार यादव--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

124--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राम लाल--

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

125-126--श्री ऊदल--

[6ठे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17-18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

127--श्री थम्मन सिंह--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट विद्यालयों को प्रदान की गयी मान्यता

128--श्री विजय सिंह राना--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्र 1979-80 में कितने विद्यालयों को धारा 9(4) के अन्तर्गत हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट की मान्यता प्रदान की गयी थी ? और उनमें से कितनों को कार्यान्वित किया गया है और कितने को कार्यान्वित करना शेष है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शिक्षा सत्र 1979-80 में इन्टरमीडिएट अधिनियम की धारा 9(4) के अन्तर्गत 35 विद्यालयों को हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट की मान्यता देने के आदेश शासन द्वारा जारी किये गये थे । इनमें से 33 विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता पत्र निर्गत कर दिया गया है । दो विद्यालयों के सम्बन्ध में कतिपय सूचना के अभाव में मान्यता-पत्र अभी परिषद् द्वारा निर्गत नहीं किये गय हैं ।

प्रदेश के कतिपय जिलों का वक्फ का सर्वेक्षण एवं जायदाद की मालियत

129--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या वक्फ मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के जिन 24 जिलों में वक्फ का सर्वे चल रहा है वह किस स्थिति में है और यह कार्य कब तक समाप्त होगा तथा जिन जिलों में वक्फ का कार्य समाप्त हो चुका है उसका ब्योरा क्या है तथा कितनी मालियत की जायदादों का अब तक पता चलाया जा सका तथा कितनी नाजायज कब्जे की जायदादें सरकार ने अपने कब्जे में ली हैं ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

अभी 24 जिलों में औकाफ सर्वेक्षण हेतु सूचना संकलन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, सर्वेक्षण प्रपत्र भरे जा रहें हैं तथा मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, 1960 की

धारा 6(2) के अन्तर्गत वक्फ निश्चित करने का कार्य भी प्रगति पर है, जिसके 1981 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। अभी किसी जिले में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। वक्फ निश्चित करने का कार्य जिलों में पूर्ण हो जाने पर उनकी सूचियां दी जा सकेंगी तथा इन अवक्राफ को सरकारी गजट में प्रकाशित होने के पश्चात् यह सम्बन्धित जिला/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के नियन्त्रण में आ जायेंगे नाजायज कब्जे हटाने की कार्यवाही हेतु वक्फ ऐक्ट के अनुसार सम्बन्धित वक्फ बोर्ड ही सक्षम है। नाजायज कब्जे की जानकारी के कब्जे में आ जाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वक्फ ऐक्ट, 1960 में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है। वक्फ निश्चित हो जाने एवं पंजीकृत हो जाने के बाद नाजायज कब्जे को हटाने से सम्बन्धित कार्यवाही करना वक्फ बोर्ड का कर्त्तव्य है।

130—कुमारी शशिबाला अग्निहोत्री—

[स्थगित।]

गोरखपुर जिले की प्राइमरी पाठशाला रण्डा खुर्द, कमंहो, लक्ष्मीपुर कोर्ट व सिसवां बाजार का क्षतिग्रस्त भवन

131—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की निचलौल ससवा ब्लाक के अन्तर्गत बेसिक प्राथमिक पाठशाला रण्ड खुर्द, कमंहो, लक्ष्मीपुर कोर्ट एवं सिसवां बाजार के स्कूल भवन अतिवृष्टि एवं भारी बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गया है? उक्त भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव कब तथा किसके द्वारा वर्ष 1977-78 और मार्च, 1979 तक निरन्तर लिखने के बावजूद भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी है? क्या सरकार विद्यालयों का निर्माण कराने का विचार करेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी:—

जी हां, प्राइमरी पाठशाला रण्डा खुर्द, कमंहो, लक्ष्मीपुर कोर्ट तथा सिसवां बाजार के भवन अतिवृष्टि से ध्वस्त हो गये हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त कार्य वर्ष 1977-78 और मार्च, 1979 में लिखे गये पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुये हैं।

भवनों के निर्माण हेतु जो धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की जाती है उससे जिले में किन-किन विद्यालयों का निर्माण कराया जाय इसका निर्णय जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा लिया जाता है। जिला बेसिक शिक्षा समिति गोरखपुर को इन विद्यालयों के निर्माण के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार करने हेतु निर्देश दिये जायेंगे।

132—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

133—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय सिटी इन्टर कालेज, गाजीपुर के भवन का निर्माण

134—श्री राम नारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर राजकीय सिटी इन्टर कालेज के नये भवन निर्माण की धनराशि कितनी निश्चित है और उसके निर्माण की अवधि क्या निर्धारित है? अब तक कितना निर्माण कार्य हो चुका है? इसके बारे में शासन द्वारा क्या कार्यवाही चल रही है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

राजकीय सिटी इन्टर कालेज, गाजीपुर के नये भवन निर्माण की धनराशि 29·98 लाख रुपये निश्चित है। निर्माण की कोई अवधि निर्धारित नहीं है। नये भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण-विभाग द्वारा किया जायेगा किन्तु अभी निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। निर्माण सामग्री एकत्र की जा रही है।

लखीमपुर खीरी के पत्र "संकठा उवाच' को विज्ञापन दिये जाने की मांग

135—श्री ऊदल—

क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी में कितने समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं क्या उन सबको विज्ञापन दिये जाते हैं? यदि हां, तो संकठा उवाच' साप्ताहिक लखीमपुर खीरी को विज्ञापन न देने का कारण क्या है?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री हुरि सिंह)—

(क) जिला लखीमपुर खीरी से 37 समाचार-पत्र/पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) विज्ञापन केवल मान्यता प्राप्त पत्रों को दिया जाता है। साप्ताहिक "संकठा उवाच" निर्धारित नियमों के आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं है।

136—श्री ऊदल—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]।

137—श्री विद्यासागर नौटियाल—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]।

इलाहाबाद जिले के प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूलों में हरिजन एवं पिछड़ी जाति के प्रधानाध्यापक

138—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् के कितने प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल हैं और उनमें कितने में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के प्रधान अध्यापक हैं? क्या इनकी संख्या कोटानुसार है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जनपद इलाहाबाद में 1583 प्राइमरी स्कूल और 135 जूनियर हाई स्कूल हैं जिनमें हरिजन तथा पिछड़ी जाति के क्रमशः 12% व 31% प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूलों में तथा 11 व 28% प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूलों में हैं। कोटे के अनुसार पिछड़ी जाति के अध्यापक 4·23% अधिक हैं जबकि हरिजन जाति के अध्यापकों में 10% की कमी है। इस कमी का मुख्य कारण यह है कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। भविष्य में होने वाली रिक्तियों पर कोटे के अनुसार कमी को पूरा करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

कानपुर जिले की बिल्हौर-मकनपुर सड़क हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

139--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत बिल्हौर-मकनपुर रोड जब बनाई गई तो उसमें किन-किन किसानों की और किस-किस नम्बर के खेत पर सड़क बनी है ? तथा उस भूमि का मुआवजा किन-किन लोगों को मिला है ।

श्री जगदीश प्रसाद--

बिल्हौर-मकनपुर रोड के लिए 333 भूस्वामियों को 22·82 एकड़ भूमि अर्जित की गई । इसका 1,07,336 रु0 (राउन्ड) प्रतिकर 280 भूस्वामियों को बांट दिया गया है और शेष 53 भूस्वामियों को 16,003 रु0 (राउन्ड) प्रतिकर की धनराशि को उनके उपस्थित न होने के कारण आर0 डी0 के मद में जमा कर दिया गया है ।

प्रश्नगत भूस्वामियों तथा उनके अर्जित भूमि के गाटा नम्बर तथा वितरित प्रतिकर की धनराशि की सूची बड़ी लम्बी है । अतएव माननीय सदस्य चाहें, तो उसे विभाग में देख सकते हैं ।

140--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित] ।

141--श्री मुरलीधर मुनीम--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित] ।

142--श्री लल्लू सिंह चौहान--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित] ।

143--श्री सरजू प्रसाद सरोज--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित] ।

सीतापुर जिले की खैराबाद-लहरपुर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

144--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में खैराबाद-लहरपुर मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम सभा कसरैला तथा मदनापुर की जो भूमि सड़क सीधी करने के लिए सार्वजनिक निर्माण बिभाग द्वारा अधिगृहीत कराई गयी उसका मुआवजा जिले से सम्बन्धित विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी को प्राप्त होने के बाद भी अभी तक वितरित न हो पाने का क्या कारण है तथा मुआवजा कब तक वितरित कर दिया जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सीतापुर जिले में खैराबाद-लहरपुर मार्ग को सीधा करने के लिए ग्राम सभा कसरैला तथा मदनापुर की भूमि अर्जित नहीं की गई है । इसके लिए ग्राम कसरैला तथा मदनापुर की कृषि भूमि अर्जित की गई है । ग्राम मदनापुर की कृषि भूमि का प्रतिकर बाँटा जा चुका है । ग्राम कसरैला में धारा 9 (1) व 9(3) की नोटिसों पर आपत्तियों की सुनवाई व स्थल निरीक्षण की कार्यवाही के पूर्ण किए जाने के उपरान्त प्रतिकर निर्धारित करके उसके वितरण की कार्यवाही शीघ्र की जायगी ।

145--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

परियोजना अधिकारी, बहेड़ी, जिला बरेली को दी गई प्रौढ़ शिक्षा की धनराशि एवं उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच

146--श्री बिहारी लाल--

क्या सरकार बतायेगी कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में परियोजना क्षेत्र, बहेड़ी (बरेली) के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा कुल कितनी धनराशि का उपभोग किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

परियोजना अधिकारी, बहेड़ी (बरेली) को वर्ष 1979-80 में कुल 2,56,800.00 रु0 की धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा उक्त वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा 1,59,334.68 रु0 व्यय किया गया है ।

147--श्री बिहारी लाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित 1979-80 में परियोजना अधिकारी, बहेड़ी (बरेली) के विरुद्ध शासन तथा शिक्षा विभाग को वित्तीय अनियमितताओं तथा जन-प्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, प्राप्त शिकायतों के आधार पर शिक्षा निदेशालय द्वारा जांच कराई गई । कुछ वित्तीय अनियमितताएं प्रकाश में आयीं । अतः परियोजना अधिकारी को उनके मूल पद पर तुरन्त प्रत्यावर्तित करने, प्रतिकूल प्रविष्टि देने और उनके विरुद्ध औपचारिक जांच कराने और आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गए हैं ।

जनप्रतिनिधियों के साथ उपरोक्त अधिकारी द्वारा अभद्र व्यवहार की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

148--श्री मोहन सिंह--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

श्री महेन्द्र पाल, सफाई कर्मचारी, जूनियर हाई स्कूल, अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर का वेतन

149--श्री मोहन सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि महेन्द्र पाल, सफाई कर्मचारी, जूनियर हाई स्कूल, अनूप शहर, जिला बुलन्दशहर को मात्र 18 रुपये माहवार वेतन मिलता है ? श्री महेन्द्र पाल ने दिनांक 17 जुलाई, 1980 को माननीय शिक्षा मंत्री के समक्ष वेतन-वृद्धि सम्बन्धी कोई पत्र दिया है ? यदि हां, तो अभी तक इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

श्री महेन्द्र पाल, जूनियर हाई स्कूल, अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर के अंशकालिक सफाई कर्मचारी को 18 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाता है । श्री महेन्द्र पाल द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 1980 को दिया गया तथाकथित पत्र

शासन स्तर पर उपलब्ध नहीं है, किन्तु बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने का प्रश्न पहले से ही शासन के विचाराधीन है ।

गोरखपुर जिले के फरेन्दा–बृजमनगंज मार्ग का निर्माण

150—श्री श्याम नारायन तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के फरेन्दा (आनन्दनगर) बृजमनगंज मार्ग, जो वित्तीय वर्ष 1979-80 में आधुनिकीकरण हेतु स्वीकृत था और जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया वह अभी तक अधूरा है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां ।

मैक्सफाल्ट एवं धन उपलब्ध होने पर शेष कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

नगरपालिका, झांसी के प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

151—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, झांसी के अन्तर्गत कितने प्राइमरी स्कूल और कितने जूनियर स्कूल हैं कितने और विद्यालय खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

नगरपालिका क्षेत्र, झांसी में 66 प्राइमरी स्कूल तथा 5 जूनियर हाई स्कूल हैं ? धनाभाव के कारण वर्ष 1980-81 में और विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ?

जौनपुर जिले के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के महंगाई भत्ते का भुगतान

152—श्री भोखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 1977 में प्राइमरी शिक्षकों को अग्रिम सहायता के रूप में वेतन का 32 प्रतिशत तथा 36 प्रतिशत देना स्वीकार किया गया था और यह धन जनपद जौनपुर में सभी अध्यापकों को अदा कर दिया गया है और क्या यह भी सही है कि अध्यापिकाओं को अभी तक अदा नहीं किया है ? यदि हां, तो उनको अदा न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद जौनपुर के 18 विकास खण्डों में 32 तथा 36 प्रतिशत बढ़ी हुई अतिरिक्त महंगाई भत्ते की धनराशि सभी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को भुगतान कर दिया है । विकास खंड मछली शहर तथा मुंगराबादशाहपुर की अध्यापिकाओं का बिल भुगतान हेतु तैयार करके सहायक लेखाधिकारी, जिला परिषद्, जौनपुर के यहां जांच हेतु भेजा गया है और बिल पारित होते ही भुगतान कर दिया जायेगा ।

टिहरी गढ़वाल जिले के कैम्पटीफाल एवं सरकण्डा देवी के सुन्दरीकरण पर व्यय की गयी धनराशि

153--श्री खुशहाल सिंह रागड़--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अ0 खं0 पहाड़ (मंसूरी) टिहरी गढ़वाल ने अब तक कैम्पटी फाल एवं सरकण्डा देवी के सौन्दर्यकरण पर कितनी धनराशि व्यय की और इस व्यय से चम्बा मंसूरी मोटर मार्ग एवं अन्य जगहों पर कितनी लागत की दिवालों का निर्माण कार्य करवाया गया ?

श्री जगदीश प्रसाद--

कैम्पटीफाल के सौन्दर्यकरण पर अब तक 1,18,013 रुपये व्यय किया गया है । सुरकण्डा देवी के सौन्दर्यकरण का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है । इस धनराशि में से चम्बा-मंसूरी मोटर मार्ग पर दिवालों पर कोई व्यय नहीं किया गया । कैम्पटीफाल पर पैदल मार्ग पर दिवालों के निर्माण हेतु 29,611 रुपया व्यय किया गया ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहन सिंह--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में नियम 30, 31, 32, 33, 34 तथा 35 का अवलोकन करें । तारांकित और अतारांकित प्रश्नों को लिखित सूचना सदस्य द्वारा सचिव को कम से कम पूरे 20 दिन पूर्व दी जायेगी । नियम यह है कि 20 दिन के अन्दर जवाब आ जाना चाहिए। एजेंडे पर 20 तारांकित तथा 153 अतारांकित प्रश्न हैं। नियम 33 के अनुसार केवल 20 प्रश्न तारांकित प्रश्नों की सूची में रखे जायेंगे और आज भी 20 प्रश्न रखे गये हैं लेकिन उनमें से 13 स्थानान्तरित कर दिये गये। मान्यवर, प्रश्न ही ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से सरकार इस सदन के प्रति उत्तरदायी है और उनके माध्यम से ही हम अपना अधिकार समझते हैं कोई भी सूचना हम शासन से उद्घाटित करा सकेंगे । 20 में से 13 प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री के आग्रह पर स्थानान्तरित कर दिये गये तो वे किसी दूसरे दिन 13 जगहों को घेरेंगे और फिर हमारे आगे आने वाले प्रश्नों की संख्या सिकुड़ती जायेगी । आपको अधिकार दिया गया है कि विशेष परिस्थिति होने पर दूसरी तिथि निर्धारित कर सकेंगे लेकिन होता यह है कि 20-25 दिन बीत जाते हैं । एक प्रश्न मैंने अगस्त में पूछा था और आज के लिये वह निर्धारित था लेकिन उसे भी अगले दिन के लिये टाल दिया गया क्योंकि मुख्य मंत्री जी का सदन में उपस्थित रहना सम्भव नहीं था । सदन के सामने हमारे प्रश्नों का उत्तर देने से वह कतरा रहे हैं तो क्या आप यह अपने विशेष अधिकारों से व्यवस्था करेंगे कि जिस दिन तारांकित प्रश्न उनके आग्रह पर स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे तो प्रश्नों का भी समय बच जाता है उस समय में अतारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी जायगी ?

श्री ऊदल--

एक मिनट मुझे आप सुन लें जो व्यवस्था मोहन सिंह ने उठाई है उसे तो आप नहीं कर सकते लेकिन आप अपने अधिकार से अगर कुछ प्रश्न माननीय मंत्रियों के कहने पर स्थगित कर देते हैं तो दूसरे प्रश्नों को तारांकित प्रश्नों में ले सकते हैं । यह मेरा तर्क है । इस पर भी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

यह सही है कि प्रश्न स्थगित होते हैं और मंत्री महोदय, जिनको कि प्रश्नों का उत्तर देना है अगर उनकी तरफ से यह अनुरोध होता है कि प्रश्न स्थगित

कर दिया जाय तो ऐसी परिस्थितियों में उन प्रश्नों को स्थगित करना पड़ता है। ये प्रश्न भी जो आज स्थगित है उन्हें इसलिए स्थगित करना पड़ा ह क्योंकि दिल्ली में वित्त मंत्रियों की एक आयोजित बैठक हो रही है और उसमें उनको जाना पड़ गया ह ।

श्री मोहन सिंह--

अन्य मंत्रियों का भी सामूहिक उत्तरदायित्व है ।

श्री अध्यक्ष--

सामूहिक उत्तरदायित्व तो है किन्तु जिस विभाग से सम्बन्धित प्रश्न होता ह उस विभाग के मंत्री उस विषय में विशेष रूप से जानकारी रखते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि समुचित उत्तर अगर विभागीय मंत्री ही द तो वह अधिक व्यवस्थित रूप से हो पायेगा ।

श्री मोहन सिंह--

लेकिन वह होता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक अतारांकित प्रश्नों का सम्बन्ध है उसका नियम यह है कि उनको तारांकित प्रश्नों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है । लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा और माननीय मंत्री महोदयों से भी अनुरोध करूंगा कि जब तक कि बिलकुल अनिवार्य न हो, अथवा स्थगन के बिना काम चलने वाला न हो तभी वे प्रश्नों को स्थगित करायें । वैसे इसकी व्यवस्था होगी कि यथासम्भव अधिक से अधिक प्रश्न लिये जा सकेंगे ।

साधन सहकारी समिति मरवठिया, विकास क्षेत्र मनवांपुर, जनपद बस्ती में गबन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-- [12 बजे मध्याह्न]

आज नियम 301 में कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से पांच स्वीकृत की गई हैं ।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और इस माननीय सदन के माध्यम से अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । साधन सहकारी समिति, मरवठिया मुस्तहकम, विकास क्षेत्र मनवांपुर, जनपद बस्ती में वहां के सचिव मो० हकीज खां तथा एकाउन्टेन्ट एवं अध्यक्ष ने सांठ-गांठ करके लगभग साढ़े तीन लाख रुपया का गबन कर लिया है । इसी सम्बन्ध में आज से तीन दिन पूर्व उस क्षेत्र के काश्तकारों न परगनाधिकारी, डुमरियागंज का घेराव कर सहकारी बैंक सील कराया । मैं तथा श्रीमती राज्यश्री देबी, संचालक जिला सहकारी बैंक, बस्ती कल दिनांक 14-9-80 को ग्राम खुरपहवा, जो उक्त समिति का गांव है, में जाकर सभी काश्तकारों की बैठक की जिसमें उक्त समिति के संचालक मंडल के 9 सदस्य में से 7 उपस्थित हुए । साथ ही साथ अधिकांश ग्राम सभाओं के प्रधान तथा न्याय पंचायत के सरपंच मौजूद हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि तत्काल सहकारिता मंत्री को निर्देश दें कि उक्त समिति के सभी कागजात अपने कब्जे में लेकर विजीलेंस से गबन की जांच कराई जाय तथा स्पेशल आडिट की तत्काल व्यवस्था करें । यह भी कहना उचित होगा कि जब तक यह जांच चले तब तक बसूली न की जाय और उनसे सूद भी न लिया जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साधन सहकारी समिति, मरवठिया, विकास क्षेत्र बनवीर, जनपद बस्ती में गबन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

अतः आप तत्काल उक्त समिति में एक सुयोग्य एवं अनुभवी सचिव को तत्काल नियुक्ति हेतु मंत्री महोदय को निर्देश दें तथा सम्बन्धित सचिव के विरुद्ध तत्काल गबन का मुकदमा दर्ज कर तफतीस करावें तथा एक पखवारे के अन्दर उक्त समिति की सामान्य निकाय की बैठक आहूत करने का निर्देश भी जारी करें। आशा है कि आप जनहित में आदेश जारी करेंगे।

देवरिया में हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट के व्यक्तिगत परीक्षा फार्मों को अधिक मूल्य पर बेचे जाने तथा श्री सुधाकर गुप्त द्वारा विरोध किये जाने पर मारपीट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय—

माननीय, हाई स्कूल एवं इन्टर परीक्षा फार्म को 50 रुपये से 75 रुपये में चोरबाजारी में बेचने के सम्बन्ध में मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय, देवरिया जनपद के विविध इन्टरमीडिएट कालेजों में हाई स्कूल एवं इन्टर परीक्षा के व्यक्तिगत फार्म भरे जा रहे हैं। अधिकांश केन्द्रों के प्रधानाचार्यों द्वारा पचास रुपये से पचहत्तर रुपये तक प्रति फार्म लिया जा रहा है। इसमें से कई ऐसे भी केन्द्र हैं जो परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए दो सौ से पांच सौ रुपये तक ऐंठ लेते हैं। जाली प्रमाण-पत्र तथा अंक पत्र के लिए एक हजार रुपये तक वसूल लेना सामान्य सी बात हो गई है।

दिनांक 13 सितम्बर, 1980 को सलेमपुर, देवरिया में बापू इन्टर कालेज में सायं 5 बजे अभूतपूर्व हंगामा मचा हुआ था। प्रधानाचार्य व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से परीक्षा फार्म शुल्क के मद में 50 रुपये से 75 रुपये तक वसूल रहे थे। इसके विरोध में कुछ परीक्षार्थी शोर मचा रहे थे। हल्ला सुन कर स्थानीय लोकदल कार्यकर्त्ता श्री सुधाकर गुप्त उक्त कालेज के प्रांगण में पहुंचकर छानबीन करना चाहा तथा अधिक रुपया लेने का विरोध किया तो प्रधानाचार्य उनके परिवार के लोग तथा उनके पालतू गुण्डों ने उन्हें ईंट-पत्थरों से मारकर घायल कर दिया। श्री सुधाकर गुप्त के सर में गम्भीर चोट लगी तथा बेहोश होकर गिर पड़े। इस घटना को लेकर पूरे जनपद में आतंक का वातावरण उपस्थित हो गया है। आगामी 20 सितम्बर, 1980 को इसके विरोध में सभा है।

अतः उक्त लोकमहत्व के प्रश्न पर आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मन्त्री जी से मांग करता हूं कि बापू इन्टर कालेज, सलेमपुर, देवरिया को परीक्षा केन्द्र समाप्त करने के साथ-साथ दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा चला कर आवश्यक कार्यवाही करें।

ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी आदेशों के बावजूद विद्युत् परिषद् द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण पर रोक लगाने के आदेश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा हरिजन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

बहुत ग्रामों में बिजली पहुंचाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित किये जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने एक परिपत्र जारी कर संपूर्ण प्रदेश म ग्रामीण विद्युतीकरण के काम को तीन माह के लिए बिल्कुल रोक दिया है ।

मान्यवर, इस आदेश के कारण गांव में जो अधूरी लाइनें खिच चुकी थी वह भी रुक गयी हैं । प्रतीत होता है कि बोर्ड सरकार की नीतियों के अनुसार आचरण नहीं कर रहा है । अपितु नीतियों के खिलाफ कार्य जारी है । बोर्ड का यह आदेश किसान तथा हरिजन हित विरोधी है । इससे सम्पूर्ण प्रदेश में असंतोष फैल गया है ।

मान्यवर, शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाकर मांग करता हूं कि स्थिति स्पष्ट की जाय तथा ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य यथापूर्व प्राथमिकता के साथ जारी रखा जाय ।

आजमगढ़ जनपद की सगडी तहसील में बाढ़ से तबाही तथा राहत की मांग के संबध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलंबनीय लोकमहत्व की घटना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील भयंकर बाढ़ एवं जल प्लावन से पूर्णतया तबाही के कगार पर है । एक तरफ घाघरा की भयंकर बाढ़ से इस तहसील के सैकड़ों गांव पहले ही जलमग्न थे । पचासों घर कट कर घाघरा की मुख्य धारा में विलीन हो चुके हैं । हजारों लोग बाढ़ की विभिषिका से भुखमरी की कगार पर हैं तथा सैकड़ों बेघरबार हो गये हैं । टौंस नदी की प्रलयंकारी बाढ़ ने भी इस तहसील के पचासों गांवों को पूरी तरह बरबाद कर दिया है । बेरमा से लेकर पनशब्दा के बीच के गांव बाढ़ के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं । टौंस को सहायक नदियों, कपाड़, सुखसुई ने भी बर्बादी का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है । छोटी सरयू ने भी इस तहसील के पचासों गांवों को प्रभावित किया है । अतिवृष्टि के कारण हुए जल प्लावन से इस तहसील में भारी क्षति हुई है । एक दर्जन से अधिक मौतें डूब कर हो चुकी हैं ।

लगातार पानी के जमाव के कारण मनुष्यों एवं पशुओं की अनेक प्रकार की बीमारी फैल रही है । चिकित्सा सुविधाओं का पूर्णतया अभाव है । राहत कार्य अपर्याप्त है तथा थोड़ा बहुत है भी वह केवल सड़कों तक सीमित है । सुदूर ग्रामीण अंचलों में यह प्रायः शून्य है । प्रदेश का यह सर्वाधिक पिछड़ा क्षे इस दैवी आपदा में भी पूर्णतया उपेक्षित है ।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि समुचित राहत कार्य बढ़ाये जायं तथा दवाओं की उचित व्यवस्था की जाय । निर्धन एवं गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरित किया जाय तथा पूरी तहसील को बाढ़ग्रस्त घोषित कर सभी प्रकार के सरकारी देयों को मांफ किया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुरादाबाद जिले में भीषण सूखा तथा सिंचाई की व्यवस्था न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन--

मुरादाबाद जिले में भीषण सूखा पड़ने के कारण खरीफ की खड़ी फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द तथा ईख को भारी क्षति पहुंची है। सूखे का प्रकोप विशेष रूप से तहसील बिलारी तथा तहसील मुरादाबाद में देखते हैं। मुरादाबाद शहर की शांति व्यवस्था बिगड़ी होने के कारण दोनों तहसीलों के कृषक डीजल लेने के लिए मुरादाबाद नहीं जा पाते हैं जिसके कारण डीजल की सार्टेज रामपुर और चंदौसी में हो गयी है। दूसरी ओर बिजली की सप्लाई कभी दो घंटे कभी 4 घंटे है और साथ ही साथ अधिकतर ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, जो पूर्णतः अपर्याप्त हैं। दोनों तहसीलों के कृषक अपने भारी प्रयासों के बावजूद भी अपनी खड़ी फसल की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, जिसके कारण कृषकों में घोर असंतोष व्याप्त है और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है। अतः मैं लोक महत्व के इस अविलंबनीय और निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा (विच्छिन्नता का निवारण) विधेयक, 1980*

ग्राम विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा विच्छिन्नता का निवारण) विधेयक, 1980 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा (विच्छिन्नता का निवारण) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन् आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा (विच्छिन्नता का निवारण) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980†

ग्राम विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन् आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करते हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इसका मैं विरोध करता हूं। एक दिन इसी माननीय सदन में माननीय मुख्य मन्त्री ने इसी आशंका में राष्ट्र विरोधी, जो जायज फौजदारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 17 सितम्बर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री मोहन सिंह--]

संशोधन विधेयक आया था उसको उन्होंने आर्डिनेन्स समझ कर जो आज विधेयक की शक्ल में आता है पूरा भाषण दे डाला था और विरोध पक्ष ने इस काले विधेयक को मुर्दाबाद कहते हुए वाक आउट किया था और यह कहा था कि आने वाली संतानें जब इसको पढ़ेंगी तो हम सब पर हंसेंगी। मैं दो बार स्पष्टीकरण के लिए खड़ा हुआ था आप की पीठ से आदेश होने के बाद इसको लेकर मुझे भ्रम हो गया था कि मैं ही गलती कर रहा हूं, राष्ट्र विरोधी तत्व विधेयक दूसरा था और समाज विरोधी तत्व विधेयक दूसरा है। मान्यवर, मेरे विरोध करने के कई आधार हैं। इसको विरोध करने का संवैधानिक आधार है। संविधान के अनुच्छेद 245 के अन्तर्गत राज्य-विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार मिला है। इसमें लिखा है कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान में विहित प्राविधानों की अवज्ञा करता हो, ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। भारत के संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। अनुच्छेद 21 में कहा है किसी को भी उसके जीवन और उसकी निजी स्वाधीनता को बगैर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर वंचित न किया जायेगा। अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है--

No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than two months unless an Advisory Board constituted in accordance with the recommendations of the Chief Justic of the appropriate High Court has reported before the expiration of the said period two months that there is in its opinion sufficient cause for detention:

Provided that an Advisory Board shall consist of a Chairman and not less than two other members, and the Chairman shall be a serving Judge of the appropriate High Court.

श्री अध्यक्ष--

इसकी हिन्दी कर दीजिए।

श्री मोहन सिंह--

चेयरमैन सर्विंग जज होना चाहिए। आप कहते हैं--"विधेयक के खंड 10 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के सेवा निवृत न्यायाधीश भी विरुद्ध व्यक्तियों के मामले पर विचार करने के लिए संघटित की जाने वाली परामर्शदात्री परिषद् के सदस्य नियुक्त किये जा सकेंगे।"

श्री अध्यक्ष--

आप सिर्फ अनुज्ञा के विषय तक सीमित रखिए। यह विषय गुण-दोष का है।

श्री मोहन सिंह--

हमारी विधान सभा का जो अधिकार है उस अधिकार से बाहर जा कर आप कानून बनाने जा रहे हैं। इस कानून को बनाने का अधिकार विधान सभा को नहीं है। इसलिए इसको अनुमति न दी जाय।

श्री सतीश अजमानी--

जब यह बिल आये तब माननीय सदस्य बोल सकते हैं। बिल से पहले क्यों चर्चा कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--

संवैधानिक प्रश्नों के सम्बन्ध में निर्णय देने का कार्य, जैसा पहले भी इस पीठ से भी निर्णय हो चुके हैं, न्यायपालिका का है, अथवा सदन स्वतः इस पर, ऐसे प्रश्नों पर जो निर्णय देना चाहे, दे । अध्यक्ष पीठ से ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ कहना उचित नहीं है । अतः मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज कार्यस्थगन की 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की, दिनांक 14 सितम्बर, 1980 की रात को 10 बजे शाहजहांपुर नगर में स्थित श्री मोहम्मद अली के मकान में रहस्यमय ढंग से विस्फोट हो जाने से उसके दो लड़कों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा दी गई है, जो जनपद बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर में मलेरिया एवं हैजा से कई व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में है और तीसरी सूचना श्री कुबेर भंडारी की गन्ना किसानों द्वारा आगामी सीजन में गन्ने का मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने के सम्बन्ध में स्थान-स्थान पर सभा आयोजित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । यह तीनों सूचनाएं नियम 56 के अन्तर्गत अस्वीकार की गई है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय, इसकी ग्राह्यता के बारे में मुझे सुन लिया जाए तब कोई निर्णय कीजिएगा ।

श्री कुबेर भण्डारी--

चीनी बाजार से गायब है और गन्ना सूख रहा है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

यह इतना महत्वपूर्ण है....

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं खड़ा हुआ हूं और आप लोग बैठ नहीं रहे हैं, आप लोग बैठ जाएं ।

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास),अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग पूंजोगत परिव्यय, अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 59-पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 60-पशुधन विभाग दुग्धशाला विकास, अनुदान संख्या 98-पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजोगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122-पशुधन विभाग ऋण और अग्रिम

[12 बजकर 18 मिनट]

*कृषि मंत्री (श्री बलरामसिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,49,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,35,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग पूंजोगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,19,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वर्ष में अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,08,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,48,75,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,63,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 98-पशुधन विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 122-पशुधन विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कृषि पशुधन और दुग्धशाला विभागों के बजट के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है जिसमें 175 लाख हेक्टर भूमि कृषि योग्य है परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे प्रदेश में छोटी-छोटी जोतों की बहुतायत है और कुल जोतों की संख्या का 49.75 प्रतिशत वह भाग है जिसमें आधा हेक्टर से कम की जोत है । इसी प्रकार आधा हेक्टर से तीन हेक्टर तक की जोतें 42.48 प्रतिशत हैं । इससे यह विदित होगा कि हमारे यहां 92 प्रतिशत से अधिक जोतें तीन हेक्टर से कम हैं जबकि कुल जनसंख्या का लगभग 84 प्रतिशत अंश कृषि कार्य से सम्बद्ध है ।

वर्ष 1978-79 में 230.60 लाख मी0 टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था जिसमें खरीफ में 83.12 लाख मी0 टन था । उसमें चावल का उत्पादन 59.64 लाख मी0 टन था ।

कृषि उत्पादन--

रबी में कुल उत्पादन 147.48 लाख मी0 टन था जिसमें गेंहूं 114.58 लाख मीट्रिक टन हुआ । इसके अतिरिक्त जायद में 0.48 लाख मी0 टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ ।

[श्री बलराम सिंह यादव--]

वर्ष 1979-80 में सम्पूर्ण प्रदेश भयंकर सूखे से ग्रसित रहा जिसमें खरीफ की फसलों को काफी क्षति पहुंची । छोटे व बड़े दोनों प्रकार के कृषक अपनी फसलों को सूखे के प्रकोप से बचाने में असमर्थ रहे । खरीफ में धान की फसल के अतिरिक्त ज्वार, बाजरा आदि फसलों को काफी क्षति पहुंची । इस विषम सूखे के फलस्वरूप खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 43.00 लाख मीट्रिक टन ही संभव हो सका जिसमें चावल का उत्पादन 24.65 लाख मीट्रिक टन हुआ। रबी की बुवाई देर में हो पाई क्योंकि हर खेत में पलेवा करना पड़ा । रबी में 118.00 लाख मीट्रिक टन कुल उत्पादन हुआ जिसमें गेहूं का उत्पादन लगभग 97 लाख मीट्रिक टन हो पाया ।

वर्ष 1978-79 में तिलहन उत्पादन 15.80 लाख मीट्रिक टन हुआ जिसमें शुद्ध क्षेत्र में तिलहन का उत्पादन 4.50 लाख मीट्रिक टन था । वर्ष 1979-80 में भयंकर सूखे के कारण लगभग 10,50 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन ही संभव हो पाया । इसके अतिरिक्त वर्ष 1978-79 में 0.96 लाख गांठ जूट उत्पादित हुआ था जबकि वर्ष 1979-80 में यह उत्पादन 0.89 लाख ही रह गया ।

वर्तमान सरकार कृषि उत्पादन एवं कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है । शताब्दी के अभूतपूर्व सूखे में हुई क्षति की पूर्ति हेतु सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया है जिसके अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के लिए 232.00 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा तिलहन की खेती का 23.0 लाख मीट्रिक टन उत्पादन प्रस्तावित है जिसमें से शुद्ध खेती के अन्तर्गत 6.29 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है और 1.10 लाख गांठ जूट का उत्पादन भी प्रस्तावित है ।

दलहन का उत्पादन बढ़ाने हेतु 7.50 लाख हैक्टर क्षेत्र में मूंग फसल की ग्रीष्मकालीन खेती करने का कार्यक्रम भी बनाया गया था ।

वर्ष 1980-81 जो छठी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, में कृषि उत्पादन हेतु विशेष रणनीति का भी गठन किया गया है जिसमें निम्न बिन्दुओं पर विशेष बल दिये जाने का प्राविधान है :

1--अधिक से अधिक खरीफ में खाली भूमि को फसलों के अन्तर्गत लाकर दो फसली क्षेत्र बढ़ाया जायेगा ।

2--लघु एवं सीमान्त कृषकों को नत्रजन तत्व को सस्ते मूल्य पर आपूर्ति कराने हेतु नील हरित शैवाल की एक नवीन योजना चलाई गई है ।

3--राई/सरसों की अधिकतम क्षेत्रों में शुद्ध बुवाई एवं सघन विधियों द्वारा खेती कराकर कुल उत्पादन एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने का कार्यक्रम है ।

4--सिंचित क्षेत्रों में जहां सिंचाई सुनिश्चित है, तोरिया टा0 9 की बुवाई का बृहत् कार्यक्रम बनाया गया है जिसके लिए विशेष रूप से पर्याप्त मात्रा में बीज की व्यवस्था की गई है ।

5--दलहन उत्पादन की ओर विशेष बल दिया जायेगा ।

6--ग्राम समाज तथा कृषकों की ऊसर एवं बंजर भूमि को सुधारने हेतु उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना की गई है जिसके द्वारा प्रारम्भिक मृदा सर्वेक्षण कराकर ऊसर भूमि का सुधार किया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के कृषकों को उत्प्रेरित करने के लिए कृषि तकनीकों को आधुनिक पद्धतियों से अवगत कराने हेतु खरीफ, रबी एवं जायद फसलों की विशेष साधन पद्धतियों का निर्माण कर कृषकों को अवगत कराया जा रहा है ।

उर्वरक--

सर्व विदित है कि उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन लागत में वृद्धि होती है । उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण भूमि के पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा फसलों की वास्तविक आवश्यकता भूमि परीक्षण से ही सम्भव है । मृदा परीक्षण की सुविधायें सुलभ करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों में भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की सुविधायें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं । इसके साथ ही साथ मण्डल स्तरों पर एक-एक सचल भूमि प्रयोगशाला भी कार्यरत है जो कृषकों को सुदूर क्षेत्रों पर परीक्षण की सुविधायें सुलभ कराती है । मिट्टी के विश्लेषित नमूनों के आधार पर प्रदेश के सभी विकास खंडों का उर्वरक मानचित्र तैयार किया गया है जिससे उर्वरकों का संतुलित एवं आर्थिक प्रयोग हो सके । यह मानचित्र सभी विकास खंडों पर उपलब्ध कराया जा चुका है और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि इसे ग्राम सेवक क्षेत्र पर भी उपलब्ध कराया जा सके । वर्ष 1979-80 में 10.84 लाख मृदा नमूनों का विश्लेषण करके उनकी संस्तुतियों से कृषकों को अवगत कराया जा चुका है । वर्ष 1980-81 में 11.55 लाख मृदा नमूनों का विश्लेषण कराने का लक्ष्य निर्धारित है ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने में उर्वरक का विशेष स्थान है । लघु एवं सीमान्त कृषकों को उत्पादन बढ़ाने हेतु, संतुलित उर्वरकों के प्रयोग हेतु उर्वरकों की खरीद पर छूट देने का निर्णय लिया गया है । लघु कृषकों को 25.% सीमान्त कृषकों को 33.33.% तथा अनुसूचित, जन जाति कृषकों को 50 प्रतिशत की छूट दी जायगी । वर्ष 1977-78 में 8.60 लाख मीटर टन उर्वरकों का प्रयोग हुआ था जोकि वर्ष 1978-79 में बढ़कर 10.58 लाख मीटर टन हो गया । वर्ष 1979-80 में भीषण सूखे की परिस्थितियों में भी 10.10 लाख मीटर टन उर्वरकों का प्रयोग हुआ । वर्ष 1980-81 में 13 60 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों के प्रयोग का लक्ष्य निर्धारित है । कृषकों को रासायनिक उर्वरक की शुद्धता एवं उचित मूल्यों पर बिक्री हेतु उर्वरक नियन्त्रण आदेश का कड़ाई से कार्यान्वयन किया गया जिसके अन्तर्गत 31 मार्च, 1980 तक 556 छापे मारे गये । 31 विक्रेताओं के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र निरस्त किये गये । 21 विक्रेताओं के मामले पुलिस को दिये गये एवं 83 उर्वरक विक्रेताओं को दोषारोपित किया गया तथा 79 विक्रेताओं के निबन्धन प्रमाण-पत्र निलम्बित किये गये ।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में कृषकों को सघन एवं उच्चकोटि के जैविक खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गोबर गैस संयंत्र की स्थापना की योजना चलाई जा रही है । यह योजना प्रदेश में वर्ष 1974-75 में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा चलाई गई थी। इसकी उपयोगिता एवं कृषकों की अभिरुचि

[श्री बलराम सिंह यादव--]

को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश शासन ने इस प्रयोजना को वर्ष 1975-76 में अपने हाथ में लेकर कृषि विभाग द्वारा चलाने का निश्चय किया। वर्ष 1978-79 में कुल 2860 संयंत्र स्थापित किये गये, जो कि वर्ष 1979-80 में बढ़कर 4345 हो गये। वर्ष 1980-81 में 10,000 गोबर गैस संयंत्रों के लगाने की योजना है।

(व्यवधान)

*श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कोई भी मन्त्री अपने विभाग के अनुदान पर प्रारम्भ से अन्त तक क्या लिखा हुआ भाषण पढ़ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय फिरंगी प्रसाद जी ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि क्या कोई मन्त्री शुरू से अन्त तक अपना लिखित भाषण पढ़ सकते हैं। इस सम्बन्ध में इस पीठ के 3 निर्णय अभी तक हो चुके हैं। जिनमें से पहले के 2 निर्णयों के अनुसार भाषण लिखित रूप से पढ़ा नहीं जा सकता। तीसरे निर्णय के अनुसार, जो इसी पीठ से दिया गया, भाषण पढ़ा जा सकता है। जो भी निर्णय हुए हैं, पहले के भी और बाद के भी, वह इस पीठ से और काफी विचार करने के बाद ही ये निर्णय हुए हैं। मैं इस सम्बन्ध में कोई विशेष दलील नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मन्त्री को अपने बजट को पेश करने के लिए और क्योंकि उनका बजट स्वीकार किया जाये तो उसको उसी रूप में आपके समक्ष रखने के लिए मन्त्री जी को उसको रखना पड़ता है और ऐसा करने के समय सारी बातों को स्पष्ट रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना उनका एक उद्देश्य होता है और सभी बातों को स्पष्ट करने के लिए अगर किसी लिखे हुआ बिन्दु के साथ में है तो केवल वह पढ़ा जा सकता है, और यदि जिसमें बहुत अधिक आंकड़ें हों और उसके साथ भाषण भी सम्मिलित हो तो उसे हर सदस्य को बांटा जा सकता है। कभी-कभी कोई विशेष आंकड़े तो देखकर पढ़े जा सकते हैं, लेकिन पूरा-पूरा भाषण पढ़ना मेरी समझ से उचित नहीं है।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, हमारा हर जो बिन्दु है, उसमें कुछ न कुछ आंकड़े जरूर हैं। इसलिए मजबूरी है वरना. . . .।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

जी हां आप आंकड़ों का सहारा लेकर जरूर पढ़िये।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, यही हमारी मजबूरी है कि बगैर उन आंकड़ों के पढ़े कुछ समझाया ही नहीं जा सकता है।

(व्यवधान)

संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 98--पशुधन विभाग (पूंजीगत परिव्यय), अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग ऋण और अग्रिम

श्री बलराम सिंह यादव--

कृषकों को सस्ते गोबर गैस संयंत्र सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश ने जनता गोबर गैस संयंत्र विकसित किया है जो प्रचलित संयंत्र से अपेक्षाकृत कम कीमत में निर्मित हो जाता है। यह संयंत्र प्रदेश में अधिक लोकप्रिय हो रहा है। इस जनता गोबर गैस संयंत्र के निर्माण हेतु प्रदेश में 12 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों पर अधिकारियों, कर्मचारियों एवं राज मिस्त्रियों को गत अप्रैल, 1979 से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

नत्रजनिक खाद की बढ़ती कीमत तथा इनकी मांग और पूर्ति के बीच अन्तर होने से प्रदेश के किसानों, विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों पर भारी बोझ पड़ रहा है। अतएव नत्रजनिक उर्वरकों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु नील हरित शैवाल का कार्यक्रम प्रदेश के 33 जनपदों में लिया गया है। इस कार्यक्रम द्वारा विशेष रूप से चावल का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्तमान वर्ष 1980-81 में नील हरित शैवाल प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों, कृषि विश्व-विद्यालयों एवं कृषि विभाग के प्रक्षेत्रों पर 320 मीट्रिक टन उत्पादित किया गया। आगामी वर्ष में यह कार्यक्रम बृहद स्तर पर लिया जायेगा। 10 किलो प्रति हेक्टर की दर से नील हरित शैवाल डालने से 20 किलोग्राम नत्रजन तत्व के रूप में प्राप्त होता है जिसका मूल्य लगभग 90 रुपये है परन्तु डाली गई शैवाल का मूल्य केवल 20 रु0 ही है।

गुणात्मक बीज--

बीज का स्थान कृषि उत्पादन में अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। अतः इसके उत्पादन एवं प्रसारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्वालिटी बीजों के गुणात्मक प्रभावों को बनाये रखने के उद्देश्य से बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना 1976-77 में की जा चुकी है जो विभाग के फार्मों पर, कृषि विश्व-विद्यालय एवं प्रगतिशील कृषकों के फार्मों पर उत्पादित होने वाले बीज का प्रमाणीकरण करती है। कृषि विभाग के समस्त प्रक्षेत्रों पर उत्पादित बीज कृषकों को बिना लाभ-हानि के आधार पर निर्धारित मूल्य पर कृषि विभाग के बीज भण्डारों से उपलब्ध कराया जाता है।

बीजों की गुणात्मकता बढ़ाने के लिए अब तक 11 बीज विधायन संयंत्र लग चुके हैं। इसके अतिरिक्त 3 विधायन संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। आलोच्य वर्ष में भी फैजाबाद मण्डल में दो और विधायन संयंत्रों की स्थापना प्रस्तावित है। इन संयंत्रों की स्थापना होने से न केवल राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के उत्पादित बीजों का विधायन किया जायेगा बल्कि कृषकों के पास उपलब्ध पर्याप्त बीजों का भी विधायन किया जा सकेगा।

उपरोक्त विभागीय संयंत्रों के अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर, फैजाबाद एवं उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के पास भी बीज विधायन संयंत्र कार्यरत हैं।

[श्री बलराम सिंह यादव--]

तिलहन विकास कार्यक्रम--

देश में खाने के तेलों की कमी को पूरा करने के लिए इन्हें विदेशों से आयात करना पड़ रहा है, अतः इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु जो रणनीति तैयार की गई है, उसमें शुद्ध तिलहनी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाना, सन्तुलित उर्वरकों का प्रयोग, कृषि रक्षा उपायों एवं सघन विधियों को अपनाना सम्मिलित है। पर्वतीय एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती पर विशेष बल दिया जा रहा है। उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जहां पर सोयाबीन की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है, पर बल दिया जा रहा है। सोयाबीन की खेती वर्ष 1978-79 में लगभग 68000 हेक्टर क्षेत्रफल में की गई जो वर्ष 1979-80 में बढ़कर 75866 हेक्टर क्षेत्रफल में हो गई। वर्ष 1980-81 में 175000 हेक्टर क्षेत्रफल में इसकी खेती कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है। कृषकों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने वर्ष 1979-80 में सोयाबीन का न्यूनतम मूल्य 175 रु० प्रति कुन्तल निर्धारित किया है और जिसकी खरीद नैफेड प्रान्तीय सहकारी संघ द्वारा की जा रही है।

दलहनी कार्यक्रम--

देश की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है जिसके भोजन में प्रोटीन की बहुधा कमी पाई जाती है। दाल ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके द्वारा कम मूल्य पर प्रोटीन उपलब्ध की जाती है। भारत वर्ष में दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उनमें मांग के अन्तर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाने तथा अरहर के साथ दूसरी सह-फसल मूंग, उर्द उगाने, फास्फेटिक उर्वरक तथा राइजोबियम कल्चर, जो कि नेत्रजन का एक सस्ता स्रोत है, के प्रयोग तथा भूमि में नमी की उपलब्धता का लाभ उठा कर समय से बुवाई कराने तथा समय से कृषि रक्षा उपायों को अपनाना सम्मिलित है। मूंग के अतिरिक्त क्षेत्रफल बढ़ाने के उद्देश्य से गत 3 वर्षों से विशेष प्रयास किए गए जिसके फलस्वरूप वर्ष 1977-78 में 1.22 लाख हेक्टर, 1978-79 में 2.50 लाख हे० क्षेत्रफल तथा वर्ष 1979-80 में 3.82 लाख हेक्टर क्षेत्रफल को आच्छादित किया गया। वर्ष 1980-81 में 7.50 लाख हेक्टर क्षेत्रफल में मूंग की ग्रीष्म कालीन खेती कराने का लक्ष्य प्रस्तावित था। मूंग के इस कार्यक्रम की केन्द्रीय सरकार ने सराहना की है और अन्य राज्यों को भी इसी प्रकार का कार्यक्रम बनाने का परामर्श दिया है।

दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि न होने का मुख्य कारण उसमें लगने वाले कीट तथा रोग हैं जैसे सरसों तथा राई में माहूं, मूंगफली में सफेद गिडार, दलहनी फसलों में फलीछेदक कीट तथा मटर में पाउडरी मिल्ड्यू रोग। इन कीटों तथा रोगों से विनाश के लिये शासन द्वारा कीट रसायन के मूल्य पर कृषकों को अनुदान भी देने की व्यवस्था की गई है। चूंकि कीटों एवं रोगों का प्रकोप एक साथ बृहत क्षेत्र में होता है, अतः कृषि रक्षा उपायों को समय से अपनाने के लिये कृषि रक्षा मशीनों का कृषकों के पास होना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर वर्ष 1979-80 में 12616 स्प्रेयर 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को बांटे गये। प्रदेश के सभी विकास खण्डों पर कृषि रक्षा इकाइयां स्थापित हैं जहां पर कीट एवं फफूंदी नाशक दवायें तथा कृषि रक्षा मशीनों की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त फसल सुरक्षा संगठन की पड़ताल सेवा की भी स्थापना की गई है जिसके

संख्या 52––कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 53––कृषि विभाग (औद्यानिक-विकास), अनुदान संख्या 93––कृषि विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 120––कृषि विभाग––ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या––59––पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 60––पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 98––पशुधन विभाग (पूंजीगत परिव्यय), अनुदान संख्या 39––पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122––पशुधन विभाग––ऋण और अग्रिम

माध्यम से कीटों एवं रोगों के आकस्मिक प्रकोप की स्थिति की जानकारी हो जाती है ।

दलहनी एवं तिलहनी फसलों पर कृषि रक्षा उपायों हेतु कृषकों को निम्न-लिखित प्रमुख सुविधायें प्रदान की जा रही हैं :––

1––तिलहनी फसलों को कीट एवं रोगों से होने वाली हानि से बचाने के लिये कीट नाशक दवाओं के मूल्य पर 50 प्रतिशत तथा नियंत्रण व्यय पर 15 रु0 प्रति हेक्टर की दर से अनुदान देय है ।

2––मूंगफलों की फसल में सफेद गिडार कीट की रोकथाम हेतु प्रदेश के बारह मूंगफली बाहुल्य उत्पादक जनपदों में कृषकों को गिडार नियंत्रण, पर कीटनाशक रसायनों के मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान तथा 15 रु0 प्रति हेक्टर की दर से नियंत्रण व्यय देय है । प्रौढ़ कीट के उन्मूलन हेतु कीटनाशक रसायनों पर 100 प्रतिशत अनुदान तथा 15 रु0 प्रति हेक्टर की दर से नियंत्रण व्यय पर अनुदान देय है ।

3––दलहनी फसलों को कीट एवं रोगों से होने वाली हानि से बचाने के लिये कीटनाशक दवाओं के मूल्य पर 25 प्रतिशत तथा नियन्त्रण व्यय पर 15 रु0 प्रति हेक्टर की दर से अनुदान देय है । कृषकों को हस्त चालित कृषि रक्षा उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है । अनुदान की अधिकतम सीमा 250 रुपया है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में कृषकों को कृषि रक्षा की साधारण विधियों की जानकारी कराने के उद्देश्य से सभी जनपदों एवं विकास खण्ड/मुख्यालयों पर नियुक्त कृषि रक्षा कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1978–79 में 6.44 लाख कृषकों को तथा वर्ष 1979–80 में 6.84 लाख कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

कृषि अभियंत्रण––

कृषि उत्पादन कार्यक्रम में उन्नतिशील कृषि यंत्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान है । उन्नतिशील कृषि यन्त्रों के प्रयोग से कृषि कार्यक्रम समय से सम्पादित हो जाते हैं और श्रम तथा धन दोनों की बचत होती है । प्रदेश के छोटे कृषकों की आधुनिक कृषि यन्त्रों के खरीदने की क्षमता नहीं है । कृषकों के इस निर्बल वर्ग को प्रोत्साहन देने हेतु कृषि विभाग द्वारा 13 जनपदों में कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है जो मुख्यतः बुआई के पूर्व एवं कटाई के कार्यों को जैसे खेतों में हल चलाना, खेतों को समतल कराना, फसल की मड़ाई करना एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामग्री पहुंचाने इत्यादि कार्य उचित मूल्य पर करते हैं ।

इस वर्ष उन्नतिशील कृषि यन्त्रों के प्रदर्शन, प्रसार, विकास तथा वितरण की सघनीकरण की योजना, एटा व बलिया जनपदों में कार्यान्वित है ।

[श्री बलराम सिंह यादव---]

भूमि एवं जल संरक्षण--

भूमि तथा जल कृषि उत्पादन के लिये 2 अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राकृतिक देन हैं जिनके समुचित प्रयोग से अनुकूल परिस्थिति में कृषि उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती हैं ।

भू-कटाव तथा भूमि-विकारों से प्रस्तावित भूमि का सही अनुमान बिना वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नहीं लगाया जा सकता है, परन्तु स्थूल अनुमानों के अनुसार प्रदेश का 62 लाख हैक्टेयर भू-भाग भू-क्षरण की समस्या से ग्रसित है जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल 298 लाख है0 का 20.8 प्रतिशत है । इस भू-क्षरण से प्रभावित क्षेत्र में 12.3 लाख हे0 क्षेत्र बीहड़ का भी सम्मिलित है ।

प्रदेश में अतिरिक्त राजकीय मार्गों, नहरों, कारखानों, भट्ठों, भवनों आदि के अनवरत निर्माण के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में निरन्तर कमी होती जा रही है जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये पर्याप्त खाद्यान्न, पशु चारा एवं ईंधन उपलब्ध कराने की समस्या निरन्तर रूप से जटिल होती जा रही है । अप्रत्याशित प्राकृतिक व्यवधानों के कारण, बाढ़ तथा सूखा के अनवरत प्रकोपों के कारण कृषि उत्पादन प्रति वर्ष प्रभावित होता रहता है । अतः भूमि संरक्षण तथा भू-विकारों से प्रभावित भूमि को सुधार कर पुनः कृषि के अन्तर्गत लाना एकमात्र विकल्प है ।

प्रदेश में वर्ष 1979-80 तक अनुमानतः 23.14 लाख हेक्टर क्षेत्रफल में भूमि संरक्षण का कार्य सम्पादित किया गया है । वर्ष 1980-81 में 0.55 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भूमि संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायेगा ।

ऊसर सुधार योजना--

यह योजना प्रदेश के ऊसर बाहुल्य जनपदों में चलाई जा रही है । वर्ष 1979-80 में 18,852 हेक्टेयर ऊसर भूमि का उपचार 49,585 मेट्रिक टन पाइराइट तथा 11,653 मेट्रिक टन जिप्सम के प्रयोग से किया गया, जबकि वर्ष 1978-79 में 11,448 हे0 ऊसर भूमि का उपचार 26,443 मे0टन पाइराइट तथा 7,284 मे0टन जिप्सम के प्रयोग से किया गया । वर्ष 1979-80 की प्रगति वर्ष 1978-79 की तुलना में 64 प्रतिशत अधिक क्षेत्र उपचार के रूप में तथा 83 प्रतिशत अधिक मृदा सुधारकों के प्रयोग में की गई ।

प्रदेश का लगभग 12 लाख हे0 क्षेत्र ऊसर एवं बंजर से प्रभावित है और लगभग इतना ही क्षेत्र बीहड़ है । इस 12 लाख हे0 ऊसर क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र कृषकों का है किन्तु अधिकतर क्षेत्र गाँव समाज का है । जहां तक कृषकों की ऊसर भूमि को सुधारने का प्रश्न है, उसके लिये केन्द्र पुरोनिधानित योजना प्रदेश में पहले से ही चल रही है । गांव समाज के ऊसर भूमि को दृष्टिगत रखते हुये उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना वर्ष 1977-78 के अन्त में की गई । इस निगम के द्वारा प्रदेश के 42 ऊसर भू-खण्डों के अन्तर्गत लगभग 800 हे0 क्षेत्र का प्रारम्भिक मृदा सर्वेक्षण कर लिया गया है । सर्वेक्षण के आधार पर लखनऊ जनपद के 3 ऊसर भू-खण्ड जो ग्राम शिवरी, मोहनकला व पिपरसण्ड में स्थित हैं तथा जिसका क्षेत्रफल 85 हे0, 106 हे0 व 72 हे0 का अधिग्रहण निगम द्वारा किया जा चुका है और उस पर निगम द्वारा प्रक्षेत्र विकास व ऊसर सुधार का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है । वर्ष 1980-81 में निगम द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश के दूसरे जनपदों में भी सामुदायिक ऊसर भूखंडों का कार्य

संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक-विकास), अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या--59--पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 98--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग ऋण और अग्रिम

भी प्रारम्भ किया गया है तथा 1000 हेक्टर भूमि को सुधारने का लक्ष्य निर्धारित है ।

कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा शोध, शिक्षा एवं प्रसार--

प्रदेश में तीन कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं जो विभिन्न जनपदों से सम्बद्ध किये गये हैं ताकि उन जनपदों की आवश्यकतानुसार कृषि शोधों को लघु तथा सीमान्त कृषकों तक पहुंचाया जा सके । वर्ष 1979-80 में इन विश्वविद्यालयों हेतु 340·71 लाख रु0 के व्यय का प्राविधान था परन्तु 1980-81 में अभी 320·85 लाख रु0 ही रखा गया है । आलोच्य वर्ष में इस बात पर बल दिया जा रहा है कि विश्वविद्यालय हेतु प्रस्तावित धन का पूर्ण उपयोग ऐसे कृषि शोधों में किया जाय जिससे प्रदेश की मुख्य फसलों विशेषतया दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में वृद्धि संभव हो सके ।

कृषि उत्पादन मंडियों का कार्यक्रम--

प्रदेश की 251 मुख्य मन्डियां तथा 365 सहायक मन्डियां उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत विनियमित की जा चुकी हैं । इन मन्डियों की मन्डी समितियां उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कृषक विक्रेताओं को उनके उत्पादन का उचित मूल्य तथा न्यायोचित व्यवहार दिलाने तथा मन्डियों में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने हेतु सतत् प्रयत्नशील हैं । यह अनुभव किया गया है कि विनियमित मन्डियों में सुव्यवस्थित विपणन प्रणाली को लागू करने हेतु नये आदर्श एवं आधुनिक मन्डी स्थलों का निर्माण किया जाय । अतएव शासन के मार्ग-दर्शन में मन्डी परिषद् द्वारा मन्डी समितियों की ओर से नये आदर्श मन्डी स्थलों के निर्माण की महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत अब तक 40 नये मन्डी स्थलों तथा एक उप मन्डी स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त 43 मन्डियों में नये मन्डी स्थलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।

छोटी मन्डियों, हाट तथा पैठों का विकास--

राष्ट्रीय कृषि आयोग, 1976 की संस्तुतियों के आधार पर मन्डी परिषद् द्वारा प्रदेश की 800 ग्रामीण मन्डियां/हाट/बाजारों को भी विकसित करने की योजना बनाई गई है । इन स्थानों पर कम से कम एक हे0 भूमि पर समतलीकरण करके कांटेदार तार से घेराबन्दी, पक्का चबूतरा, पानी की व्यवस्था, बिजली के प्रकाश तथा कुछ छोटे गोदामों के निर्माण की योजना है । यह आशा है कि प्रदेश के कृषकों को अपने गांव के आस-पास ही व्यवस्थित विपणन हेतु आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकेंगी ।

[श्री बलराम सिंह यादव--]

सम्पर्क मार्ग--

ग्रामीण अंचलों से कृषि उत्पादन को मन्डियों तक लाने में सम्पर्क मार्गों की कमी के कारण कृषक विक्रेता अपना माल गांव में ही बिचौलियों को बेंच देते थे और उन्हें बहुत कम मूल्य मिल पाता था। सम्पर्क मार्गों के निर्माण का एक बृहत् कार्यक्रम मन्डी समितियों द्वारा गत वर्षों से किया गया है। खाद्यान्न के रूप में मजदूरी भुगतान की योजना के अन्तर्गत प्रदेश की मन्डी समितियों के क्षेत्र में लगभग 2580 किलो मीटर सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी का कार्य कराया गया है। सम्पर्क मार्गों पर पुलियों का निर्माण एवं खड़ंजा लगाने के कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा निष्पादित किये जा रहे हैं। इन सड़कों पर 31 मार्च, 1980 तक 3620 पुलियों का निर्माण तथा 70 कि० मी० मार्ग पर खड़ंजा लगाया जा चुका है। इन सड़कों को धन की उपलब्धता के आधार पर शनैः शनैः पक्का किया जा सकेगा। यह आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में कृषि विपणन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों को अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जा सकेगा।

उद्यान एवं फल उपयोग

स्वस्थ एवं स्वावलम्बी समाज की रचना में फल, सब्जी, आलू तथा मसाला का यथेष्ठ महत्व है। इन औद्यानिक फसलों की खेती से प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक पैदावार तथा आय प्राप्त होती है। इन फसलों की खेती छोटी जोतों पर सफलता-पूर्वक की जा सकती है। इस प्रकार इस कार्यक्रम के व्यापक प्रसार से छोटे किसानों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने की शासन की नीति को बहुत बल मिलेगा, साथ ही लघु ग्रामोद्योग की स्थापना में भी सहायता मिलेगी।

प्रदेश में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में, जहां फल का उत्पादन 22·95 लाख टन, शाकभाजी का 35·30 लाख टन तथा आलू का उत्पादन 17·25 लाख टन था, वहीं वर्ष 1979-80 में उत्पादन बढ़कर क्रमशः लगभग 29·80 लाख टन, 59·85 लाख टन तथा 43 लाख टन हुआ है। वर्ष 1980-81 के लिये फल का 31·55 लाख टन, सब्जी का 65·45 लाख टन तथा आलू का 47 लाख टन उत्पादन का कार्यक्रम बनाया गया है।

फल उत्पादन--

फल उत्पादन में रोपण सामग्री का विशेष महत्व है। उच्च कोटि के शुद्धवंशीय, रोगमुक्त फल पौधों की सुनिश्चित व्यवस्था हेतु प्रदेश के उन्नाव एवं बदायूं जनपद को छोड़कर सभी जनपदों में राजकीय पौधशाला स्थापित कर दी गई हैं जिनसे इस समय 60 लाख फलदार तथा 40 लाख अन्य पौधों का उत्पादन किया जा रहा है। इस वर्ष के लिए इन पौधशालाओं में 5 करोड़ पौधे उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्नाव तथा बदायूं जनपद में भी इस वर्ष पौधशाला स्थापित करने का कार्यक्रम है।

फल पौध रोपण हेतु कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिये कृषि पुनर्वित निगम के द्वारा 42 जनपदों में दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कृषकों को 25000 रुपये प्रति हेक्टर की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र में तकावी ऋण की व्यवस्था कम ब्याज दर पर की गई है।

शाकभाजी तथा मसाला उत्पादन--

इस समय शाकभाजी एवं मसाला के बीज उत्पादन हेतु प्रदेश में 14 शाकभाजी तथा मसाला उत्पादन प्रक्षेत्र स्थापित हैं जिससे लगभग 2500 कुन्तल बीज प्रति वर्ष उत्पादित हो रहा है। इन बीजों को सीड प्रोसेसिंग प्लान्ट, अलीगंज (लखनऊ) पर प्रोसेस करने के बाद कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए अलीगंज में एक बीज परीक्षण केन्द्र तथा बस्ती जनपद में सीड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की जा रही है।

आलू उत्पादन--

माननीय, आलू उत्पादन में हमारा प्रदेश सम्पूर्ण देश में सबसे आगे है। वर्ष 1979-80 में प्रदेश में भयंकर सूखे के बावजूद 43 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ। आलू उत्पादन में शुद्ध एवं रोगमुक्त आलू बीज का विशेष महत्व है। इस समय प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 12 तथा पहाड़ी क्षेत्र में 8 आलू बीज सम्बर्धन प्रक्षेत्र स्थापित हैं। इन प्रक्षेत्रों पर वर्ष 1979-80 म 55 हजार कुन्तल आधारित आलू बीज का उत्पादन हुआ जिसे कृषकों को वर्ष 1980-81 में वितरित किया जायेगा। आलू के बीज की शुद्धता बनाये रखने के लिए प्रदेश में 2 राजकीय शीत गृह, कसिया (देवरिया) तथा दोराला (मेरठ) में स्थापित हैं। इसे राजकीय शीतगृह, अलीगंज (लखनऊ) में स्थापित करने का कार्यक्रम है।

वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम--

माननीय, वर्ष 1979-80 के वृहद् वृक्षारोपण अभियान में 1.53 करोड़ पौधे रोपित किये गये। वर्ष 1980-81 में 1.86 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यान विभाग द्वारा 65 लाख पौधे राजकीय पौधशालाओं से दिये जायेंगे।

मीन पालन कार्यक्रम--

माननीय, मीन पालन को भी इस प्रदेश में इसको बढ़ाने के लिये काफी बल दिया जा रहा है और खासतौर से हमारे यहां जो शाक-सब्जी है और जो फल हैं, उनके विपणन की भी व्यवस्था की जा रही है। माननीय, हटको, एग्रो की सब्सीडियारी कम्पनी है जिसके जरिये से विपणन की व्यवस्था करने का शासन का विचार है।

माननीय, 4 नये कार्यक्रम और हैं और वे यह हैं कि उत्तर प्रदेश पान उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माननीय, पान उत्पादन के लिये और पान उत्पादकों की समस्याओं के निराकरण एवं उनको अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा तकनीकी सलाह उपलब्ध कराने हेतु महोबा (हमीरपुर) में एक पान विकास की योजना प्रस्तावित है।

[श्री बलराम सिंह यादव--]

इसी तरह से डुमरियागंज (बस्ती) तथा आलमपुर (जफराबाद, बरेली) विकास खन्डों के लिये यूनिसेफ की सहायता से कृषकों की औद्यानिक प्रगति के लिए एक योजना प्रस्तावित है ।

तीसरा कार्यक्रम है--उत्तर प्रदेश शासन ने उद्यान विभाग में एक सांख्यिकीय सेल की स्थापना कर औद्यानिक फसलों के आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से इस योजना को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ।

4--एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश की वर्तमान राजकीय पौधशालाओं एवं प्रक्षेत्रों को सुदृढ़ करने तथा नवीन पौधशालाएं एवं प्रक्षेत्र की स्थापना की योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त लाभार्थी कृषकों को औद्यानिक फसलों की रोपण सामग्री प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है ।

मान्यवर, यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० की स्थापना 29 मार्च, 1967 को की गई थी । इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, स्पेयर पार्ट्स, बीज व कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु तथा अन्य ऐसे कार्य करना है । इसकी अधिकृत पूंजी 8.50 करोड़ रुपये है । इस समय की चुकता पूंजी 720.49 लाख रुपया है ।

निगम की अंश पूंजी पहले 50:50 के आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विनियोजित की जाती थी । किन्तु भारत सरकार ने गत वर्ष से इस योजना को स्टेट सेक्टर में स्थानान्तरित कर दिया है ।

मान्यवर, 1980-81 के कार्यों का लक्ष्य इस प्रकार से निर्धारित किया गया है । उर्वरक 2 लाख मैट्रिक टन, 3087.04 लाख रुपये । सेवा 684.50 लाख रुपये । कोल्ड स्टोरेज 3.00 लाख रुपये । पशु आहार 45 लाख रुपये । कृषि यंत्र 72.40 लाख रुपये । मेन्था फार्म 1.40 लाख रुपये । पैकिंग केस 34.51 लाख रुपये । इस्पात योजना 460.55 लाख रुपये । बकेवर 12.05 लाख रुपये । इस प्रकार से कुल 4401.35 लाख रुपये प्रस्तावित है ।

मान्यवर, इसी प्रकार से पशुपालन विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । कृषि के बाद पशुपालन का रोजगार जो है वह हमारे प्रदेश में बहुत महत्व रखता है । पशुओं की देखभाल और उनकी बीमारियों की रोक-थाम, उन्नतिशील पशुओं का विकास करना विभाग का मुख्य लक्ष्य रहा है । मान्यवर, पशुपालन की महत्ता को देखते हुये इस वर्ष 305 लाख रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है जो कि पिछले वर्ष 253.65 लाख रुपये के परिव्यय की अपेक्षा 51.35 लाख रुपये अधिक है । इस धनराशि के अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अन्तर्गत भी पशुपालन कार्यक्रमों पर काफी धनराशि व्यय की जाती है । मान्यवर, हमारे प्रदेश में लगभग 67 लाख दुधारू प्रजनन योग्य गाय तथा 65 लाख प्रजनन योग्य भैंसे हैं । भैंसों के दूध का उत्पादन बढ़ाना यद्यपि सीमित है परन्तु गायों में संकर प्रजनन द्वारा जो वर्तमान दुग्ध उत्पादन है उसको कई गुना अधिक बढ़ाया जा सकता है ।

एक सदस्य--

विधायकों के लिय दूध की क्या व्यवस्था है ?

संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक-विकास), अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या--59--पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 98--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग ऋण और अग्रिम

श्री बलराम सिंह यादव--

व्यवस्था करा दी जायेगी ।

मान्यवर, ऐसे क्षेत्रों में जहां कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली की सुविधा नहीं दी जा सकती है, 45 नैसर्गिक प्रजनन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे । इसके साथ प्रदेश में अब 740 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा 1898 उप केन्द्र वर्ष के अन्त तक कार्यरत हो जायेंगे । मान्यवर, भैंसों की नस्ल सुधारने के लिये इस वर्ष 8 जिलों में 10 केन्द्रों पर अतिरिक्त सांड़ों की व्यवस्था की जायेगी । मुर्रा जाति के विकास के साथ-साथ प्रदेश में भदावरी भैंस जो हमारे इटावा जिले की होती है, उसको विकास पर काफी ध्यान दिया जा रहा है ।

उत्तम और हरे चारे को बढ़ाने के लिये काफी प्रयास किया जा रहा है । सूखाग्रस्त क्षेत्रों में यह समस्या कई में बहुत जटिल रही है और इधर बाढ़ से हमारे जिन जिलों में नुकसान हुआ है उसमें भी मैं समझता हूं कि चारे की काफी दिक्कत आ रही है । लेकिन धीरे-धीरे वहां इंतजाम करके, खरीद कर, शासन ने भूसे इत्यादि का प्रबन्ध कराया है ।

मान्यवर, भारत सरकार द्वारा कुछ वर्ष पहले गठित कृषि आयोग के अनुसार पशु चिकित्सा इत्यादि के लिये कुछ मापदंड तथा लक्ष्य की संस्तुति की गयी हैं हालांकि प्रदेश में अब 1164 पशु चिकित्सालय, 2221 पशु सेवा केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं परन्तु प्रदेश की पशु संख्या के अनुपात में और कृषि आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये यह संस्थायें बहुत कम हैं । इसके लिये इस वर्ष मैदानी क्षेत्र में 5 नये पशु चिकित्सालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

[1 बजे अपराह्न]

मान्यवर, पशुओं को संक्रामक रोग से बचाव के टीकों की वैक्सीन के अधिक उत्पादन के लिये जैविक औषधि उत्पादन केन्द्र को सुदृढ़ किया जायेगा । पिछले वर्ष लगभग 206.267 लाख वैक्सीन की मात्रायें बनाई गयीं । इस वर्ष 216.100 लाख मात्रायें वैक्सीन की उत्पादन की जा रही हैं ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में 20.6 लाख भेड़ हैं जिससे लगभग 14 लाख किलो ऊन का उत्पादन होता है । इस कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिये इस वर्ष 215 रेम्बुले नस्ल की भेड़ें अमेरिका से आयात की गयी हैं ।

बुन्देलखंड क्षेत्र में भेड़ों की काफी संख्या है, परन्तु इसके अनुसार प्रजनन सुविधायें काफी नहीं हैं । इसके लिये इस वर्ष 8 भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है और प्रत्येक पर 50 मेढ़े रखे जायेंगे ।

मान्यवर, बकरी प्रजनन की सुविधायें बढ़ाई जायेंगी और छठी पंच वर्षीय योजना में 145 विभागीय संस्थाओं पर उत्तम नस्ल के बकरों को रखने का लक्ष्य

[श्री बलराम सिंह यादव--]

हैं जिससे ऐसे केन्द्र की संख्या 728 हो जायेगी । इटावा जिले में पाये जाने वाली जमुनापारी बकरी जाति के संरक्षण तथा विकास और एटा जिले की मशहूर बकरी जाति " बरबरी" के विकास हेतु प्रक्षेत्रों की स्थापना की जायेगी ।

मान्यवर, प्रदेश में छोटे-बड़े मिलाकर कुल 58 कुक्कुट प्रक्षेत्र हैं जिसमें 11 कुक्कुट प्रक्षेत्र बड़े हैं । इसमें से छठी पंचवर्षीय योजना में 8 कुक्कुट प्रक्षेत्रों को बड़ा रूप देने तथा जोनल एवं रीजनल प्रक्षत्र बनाने का लक्ष्य हैं ताकि उसमें उन्नतशील मुर्गियों को अधिक संख्या में रखा जा सके और इससे पैदा किया जान वाला उत्तम नस्ल के चूजों को वितरित किया जा सके ।

मान्यवर, प्रदेश में किसानों की आय तथा अतिरिक्त रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में दुग्धशाला विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है । प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की दशा सुधारने में सहकारी समितियों के सहयोग से दुग्ध एकत्र करने का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा । दुग्धशाला विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य, जहाँ एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बल वर्ग के काश्तकारों को आर्थिक रूप में स्वावलम्बी बनाने के लिये अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना है, वहां दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को साफ व स्वच्छ दूध निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध करवाना ह ।

मान्यवर, इस समय प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में 16 पोषक दुग्धसंघों के अतिरिक्त 26 संयंत्रित दुग्धशालायें हैं । इनमें 21 सहकारी संयंत्रित दुग्धशालायें हैं जिनके पास दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों का प्रक्रिया के लिये संयंत्र उपलब्ध है तथा 4 प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के द्वारा संचालित दुग्धशालायें हैं जो मेरठ, मुरादाबाद, फैजाबाद और वाराणसी में स्थित हैं, तथा राजकीय डेरी आगरा में स्थित है । उपरोक्त 26 संयंत्रित दुग्धशालाओं की कुल क्षमता 5·24 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध हैंडलिंग की ह ।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, आपरेशन फ्लड के अतिरिक्त मेरठ तथा वाराणसी फीडर कम बैलेन्सिंग दुग्धशालायें अस्तित्व में आई हैं । इन दोनों दुग्धशालाओं में प्रत्येक की क्षमता एक लाख लीटर प्रतिदिन दूध की है । इनके दुग्ध क्षेत्रों को सुदृढ़ करना होगा । पशुओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिये प्रतिदिन 100 टन क्षमता वाली पशु आहार निर्माणशालायें मेरठ तथा वाराणसी में स्थापित की गयी हैं जिनके इस वर्ष कार्यरत होने की आशा है ।

मान्यवर, यह सुनिश्चित करने के लिये कि सहकारी समितियों के सदस्य केवल वास्तविक दुग्ध उत्पादक ही हों, प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर लिये गये हैं । इसके साथ ही दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों के 100 लाख रुपये के निर्धारित परिव्यय में से 93·44 लाख रुपये का आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है । इसमें से दुग्ध सहकारिताओं के सुदृढ़ीकरण हेतु मैदानी क्षेत्र में 28·99 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । इसके साथ ही दुग्ध उत्पादकों का शोषण न होने देने के उद्देश्य से आरक्षित क्षेत्रों में न्यूनतम दुग्ध मूल्य, समय-समय पर निर्धारित किया जाता है ।

मान्यवर, यह मैंने कृषि और पशुपालन व दुग्धशालाओं के बारे में और उसके बजट के सिलसिले में संक्षिप्त में--माननीय सदस्यों ने एतराज किया--कुछ बातें

रखें । मुझे पूरा विश्वास है कि इस माननीय सदन के सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव रखेंगे और मेरा और शासन का पूरा प्रयास होगा कि जो बहुमूल्य उनमें सुझाव होंगे और जिन्हें सरकार कर सकती है उन पर विचार किया जायगा सहानुभूतिपूर्वक और अगर उनके सुझाव उपयोगी होंग तो हमारा प्रयास होगा कि उनको लागू किया जाय ।

श्री दिवाकर बिक्रम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53-कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग--पूंजीगत परिव्यय--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कृषि मंत्री जी ने अपने बजट भाषण····

श्री मोहन सिंह--

लिखित बजट भाषण····

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

लिखित बजट भाषण में छोटे किसानों के ऊपर काफी बल दिया । साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने···

श्री अध्यक्ष--

दिवाकर विक्रम सिंह जी, पशुधन के सम्बन्ध में भी आप कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 98--पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)--पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, कृषि मंत्री जी ने अपने अपने भाषण में छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति पर काफी बल दिया । साथ ही यह भी बतलाया कि इस प्रदेश में अधिकांश किसान 3 हेक्टेयर से नीचे के हैं । कृषि मंत्री ने अपने लिखित भाषण में कुछ मुद्दों पर काफी बल दिया । जिनकी आवश्यकता इस प्रदेश की कृषि के उत्थान के लिये बहुत अधिक है । मंत्री महोदय ने कहा है उर्वरक के विषय में कि लघु किसान, सीमान्त किसान तथा अनुसूचित एवं जन-जाति के किसानों को अनुदान दिया जायगा । मान्यवर, कल ही इस सदन में मेरा प्रश्न आया था और आपके समक्ष माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि जो अनुदान दिया जायगा वह केवल उन्हीं किसानों को दिया जायगा जहां 1979 खरीफ में 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ हो । उसमें एक शर्त यह भी लगी थी कि जहां रबी उगाई ही न गया हो उसको हटाने के लिये माननीय मंत्री जी ने कहा । लेकिन माननीय मंत्री जी ने कल यह नहीं कहा था कि जहां 50 प्रतिशत से कम खरीफ पैदा हुई हो वहां के किसानों के अलावा भी अन्य सभी अनुसूचित जन-जाति के तथा लघु एवं सीमान्त किसानों को भी छूट दी जायगी उर्वरक में । (व्यवधान) अब माननीय मंत्री जी लघु सीमान्त तथा अनुसूचित जाति के किसानों को उर्वरक में कितनी छूट देना चाहते हैं वह इससे अस्पष्ट है और इस तरह से सारे प्रदेश को वह भ्रमित कर रहे हैं । किसान को कोई छूट नहीं मिलने जा रही है उर्वरक की खरीद पर । खाद के दाम बेतहाशा बढ़ा दिये गये । इस पर काफी कहा जा चुका है कि अगर किसी इनपुट के दाम बढ़ा दिये जायं तो उसके उत्पादन पर और उस इनपुट के प्रयोग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । खाद के दाम माननीय मंत्री जी ने बढ़ा दिये लेकिन आशा वह यह करते हैं कि इस वर्ष किसान खाद का अधिक उपयोग करेगा।

संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक-विकास), अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग-पूजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या--59--पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 98--पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम

लेकिन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव के भूतपूर्व चेयरमैन श्री पालपोथेन जो उर्वरक के विशेषज्ञ माने जाते हैं उनका यह अनुमान है कि इस वर्ष उर्वरक की बिक्री पर 15 प्रतिशत कमी आयेगी । उन्होंने शायद उनकी स्पीच नहीं पढ़ी है वर्ना ये आंकड़े वह न प्रस्तुत करते या जानबूझकर माननीय मंत्री जी इस प्रदेश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं । अभी तक पिछले आंकड़ों से यह साबित होता है कि उर्वरक में 20 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है लेकिन वह बजाय बढ़ने के अब 15 प्रतिशत घटने जा रही है । तो इसका इस प्रदेश की उपज पर क्या असर पड़ेगा यह स्वयं सिद्ध है । इस प्रदेश की सम्पूर्ण आय का लगभग 50 प्रतिशत एग्रिकल्चरल तथा एनीमल हसबेन्ड्री से ही होती है । यदि उस 50 प्रतिशत आय पर उपज घट जाय किसानों द्वारा उर्वरक का उपयोग कम हो जाय तो इस प्रदेश की आय पर क्या असर पड़ेगा यह स्वयं सिद्ध हो जाता है । साथ ही माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में मसाले तथा साग सब्जी की उपज पर विशेष बल दिया है लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें साग सब्जी तथा मसाले के उत्पादन पर जहां पिछले 8 लाख 71 हजार रुपया रखा गया था वहां उसको घटा कर उन्होंने 6 लाख 94 हजार रुपया कर दिया है । यही बल दिया गया है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम प्रदेश में औद्यानिक विकास पर बल देंगे और खास तौर से पिछड़े और गरीब किसानों की तरफ बल देंगे । चुने हुये ब्लाकों में संहत रूप से औद्यानिक विकास कार्यक्रम योजना पर 5 लाख 9 हजार का बजट घटाकर उसे 4 लाख 78 हजार कर दिया गया है । शाकभाजी बीज उपयोगीकरण (बीज प्रोसेसिंग) केन्द्र स्थापित करने की योजना पर 41 हजार से घटाकर 38 हजार कर दिया गया है । प्रदेश में पिछड़े हुये क्षेत्र में सघन औद्यानिक विकास की योजना 5 लाख 82 हजार के बजट को घटा कर 3 लाख 92 हजार कर दिया गया है ।

(इस समय 1 बजकर 16 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

इस तरह से मान्यवर, जिन-जिन आइटम्स पर माननीय मंत्री जी ने विशेष बल दिया है और इस सदन के समक्ष उन्होंने जिनके बारे में कहा है कि इस प्रदेश के किसानों की स्थिति को सुधारना है, उन सब आइटम्स पर उन्होंने बजट को घटा दिया है । माननीय मंत्री जी सचमुच इस प्रदेश के किसानों की स्थिति सुधारना चाहते हैं या नहीं यह तो वे जानें । आगे मंत्री जी ने भूमि विश्लेषण योजना पर बल दिया है और कहा है कि प्रदेश के 20 मैदानी जनपदों में भूमि परीक्षण प्रयोगशाला के सबलीकरण तथा सूक्ष्म तत्वों के विश्लेषण की योजना पर बजट 16 लाख 86 हजार से घटाकर 12 लाख 3 हजार कर दिया गया है । साथ ही आगे उन्होंने कहा है कि जनता बायो गैस संयंत्रों की स्थापना की योजना पर बल दिया जायेगा लेकिन बजट का प्राविधान शून्य कर दिया गया है और मंत्री जी कहते हैं कि इस योजना पर विशेष बल दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्रों में चावल उत्पादन को बढ़ाने हेतु उन्नतिशील कृषि यंत्र के प्रदर्शन एवं वितरण की केन्द्रीय आयोजनागत योजना पर भी बजट प्राविधान शून्य कर दिया गया है ।

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह--]

साथ ही वरजीनिया तंबाकू के विकास पर भी कोई बजट प्राविधान नहीं किया गया है। साथ ही कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना पर बजट 47 लाख 4 हजार से घटाकर उसे 34 लाख 92 हजार कर दिया गया है।

मान्यवर, आप पुनः देखें लघु सीमान्त कृषक विकास योजना पर एक भी पैसे का बजट नहीं है। केन्द्रीय आयोजनागत योजना के अन्तर्गत प्रदेश की मंडियों के विकास के लिये राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् को सहायक अनुदान के रूप में 2 करोड़ 51 लाख के स्थान पर 55 लाख कर दिया गया है और माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह माना है कि मंडियों से जो सड़क बनायी गई हैं और जो कार्यवाही की गई है वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बहुत ही उपयोगी है। मान्यवर, यह तो है मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके बारे में।

इसके अतिरिक्त मैं एक चीज और आपके सामने रखना चाहता हूं कि बजट में कितना धन कृषि के लिये रखते हैं उसमें एक आध करोड़ रुपये का फर्क पड़ जाय लेकिन मैं समझता हूं कि कोई विशेष फर्क किसानों के ऊपर नहीं पड़ता है। उनको तो यह चाहिये कि उनके द्वारा उत्पादित चीजों का मूल्य उनको उचित मिल जाय। पिछले एक वर्षों में किसानों द्वारा जो वस्तु उत्पादित की गई हैं और उनका जो मूल्य उनको मिलता है, जिससे वे अपने उपयोग की वस्तुयें खरीदते हैं, उनमें लगभग 20 प्रतिशत का फर्क हुआ है। मान्यवर, प्रदेश की समस्त आयकर लगभग 2,892·34 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बैंडरी से आता है।

श्रीमन्, इसमें फारेस्ट्री, लागिंग, फिसिंग, माइनिंग और क्वेरिइंग जोड़ दिया जाय तो सब का टोटल 2953·73 करोड़ यानी लगभग तीन हजार करोड़ होता है। यदि एक प्रतिशत समता मूल्य फर्क कर दें तो श्रीमन्, इस प्रदेश के किसानों की कितनी क्षति होती है। इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तीन हजार करोड़ इस प्रदेश की सारी आय जो एग्रीकल्चर, एनीमल हसबैंडरी और उससे जो संबंधित हैं उससे होती है। यदि यह मान लिया जाय कि इसका आधा खाने में जाता है और आध ही बिक्री के लिए जाता है जिसमें कैश क्राप सभी बिक्री के लिये जाती है तो यदि यह भी मान लें तो भी लगभग 18 सौ करोड़ का सामान किसान बेचता है। यदि उसको एक रुपये का घाटा समता मूल्य से होता है तो किसान को 18 करोड़ रु0 का घाटा हो रहा है। इस समय जो समता मूल्य चल रहा है उसमें 37 प्रतिशत का फर्क है और किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य दो सौ है और जो वह उपभोग करता है वह लगभग 234 आता है। जो किसान उपयोग करता है उसमें 37 प्रतिशत का फर्क है यदि 18 करोड़ को 37 से गुणा कर दिया जाय तो 666 करोड़ रु0 का घाटा इस प्रदेश के किसान को हो रहा है अगर आप एक आध करोड़ को बजट में इधर उधर भी कर लें तो भी 660 करोड़ से कम फर्क पड़ने वाला नहीं है।

मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान की पुस्तक संख्या 175 के पृष्ठ 2 और 3 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें पर कैपिटा इनकम का जिक्र है। 1970-71 को अगर सौ मान लिया जाता है तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 486·30 पैसा रही है और उसके आगे 1971-72, 1972-73 से 1976-77 तक लगातार कृषि और पशुपालन में आय घटती रही जो 450·62, 468·66, 439·06, 449·05, 480·82, 478·91 आती

है यानी 1970-71 से बराबर आय नीचे होती गयी। और 1977-78 में आकर एग्रीकल्चर और एनीमल हजबेंडरी की आय बढ़ी है और पर कैपिटा आय 509·37 हुई। यह 1970 के मूल्यों पर आधारित है यह मैंने प्रचलित मूल्यों के आधार पर नहीं बताया है क्योंकि उसमें काफी विषमता होती है।

कृषि का कितना हाथ इस प्रदेश के विकास में होता है इससे आप बिल्कुल सहमत होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप सच्चे मन से इस प्रदेश की कृषि का विकास करना चाहते हैं यहां के कृषकों का विकास करना चाहते हैं तो कृपया सस्ता मूल्य उसे दिलाने का कष्ट करें।

अब मैं होल्डिंग की बात पर आता हूं। आपने स्वयं इस चीज को माना है कि लगभग 49 प्रतिशत लोग यहां के 0·5 हैक्टेयर से नीचे के काश्तकार हैं। यदि 0·5 से ले कर तीन हेक्टर तक ले लिया जाय, 85·7 प्रतिशत प्रदेश की टोटल होल्डिंग का आता है। हरित क्रान्ति से फायदा हुआ। लेकिन साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि हरित क्रान्ति से चार हैक्टर से ऊपर के किसानों को जितना फायदा हुआ है, उसका एक चौथाई फायदा नीचे के किसानों को नहीं हुआ है। 85·7 प्रतिशत किसान आज भी पूर्णरूपेण लाभान्वित नहीं हो रहा है। जो भी योजना चलाएं यह देखना होगा कि आपको प्रथम ध्यान देना होगा 85·7 प्रतिशत किसानों के ऊपर वह क्यों हरित क्रान्ति से लाभ नहीं उठा सके ? हाई होल्डिंग वेराइटीज के लिए अधिक खाद, अधिक सिंचाई और अधिक दवाओं की जरूरत पड़ती है। छोटा किसान इस लायक नहीं है कि वह उस पर व्यय कर सके। आप कहते हैं कि समितियों के द्वारा और बैंकों के द्वारा ऋण दिया जा रहा है उनको अपनी लागत लगाने के लिए किसान ने ऋण तो लिया लेकिन अगर कहीं गेहूं की फसल बो कर तैयार हुई उस समय ओले पड़ गये तो क्या आज तक आपकी सरकार ने किसान को उस ऋण से माफ किया है। क्या आज तक कभी किसान पर लगे उस ऋण ब्याज से उसको मुक्त किया है ? जब किसान कर्ज ले कर अपनी खेती कर रहा है और अगर उसकी फसल नष्ट हो जाती है, तो आप एक साल के लिये उसकी वसूली स्थगित कर देते हैं। दूसरे साल वह अपना अक्युमुलेटड धन नहीं दे पायेगा। यही कारण है कि छोटा किसान इस तरफ जाने में झिझकता है। उसके सामने मजबूरियां हैं। सचमुच अगर इस प्रदेश का विकास करना है तो अवश्य ही इन छोटे किसानों की मजबूरियों को हल करना होगा। लेकिन कोई भी योजना आपके बजट में इसके बारे में नहीं दी गयी है। दूसरी बात यह है कि 0·1 से 0·15 और 0·5 से एक हेक्टर या दो हेक्टर तक के किसानों के पास इतनी भूमि नहीं है कि वह साल भर तक अपने को उस काम में लगाये रखें। यह आवश्यक होता है कि खेती के अलावा कोई और अन्य साधन भी दिये जायं। यहीं पर विशेष रूप से आवश्यकता आती है ऐनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेन्ट की। मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस पर एक विशेष योजना बनाएं और इसका सूक्ष्म परीक्षण कराएं, जितने भी किसान हैं उनकी आमदनी खेती के साथ ऐनिमल हस्बैंडरी विभाग के कार्यक्रमों के द्वारा किस तरह से बढ़ायी जा सकती

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह--]

है । जब तक उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी जब तक 87.5 परसेन्ट किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक प्रदेश की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती है । इनके विषय में पूरे बजट में कहीं कोई योजना नहीं है । मैं चाहूंगा कि आप इसका परीक्षण कराएं । आर्टिफिशल इन्सेमिनेशन से जो बच्चा पैदा हुआ उसके रख रखाव के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता था । इस समय है या नहीं मैं नहीं जानता । 1978 तक यह अनुदान रहा है मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके उसकी जांच करांव । जो पिछली फीगर्स वर्ष 1976-77, 1977-78 के आपके सामने प्रस्तुत किये गये हैं कि इतन बछड़े पैदा हुए तो क्या उतने बछड़ो पर भारत सरकार द्वारा दिया हुआ अनुदान भी व्यय हुआ है ? इसकी आप अवश्य जांच करा लें, वास्तविकता आपके सामने आ जाएगी । मेरी जानकारी है कि उस समय बिलकुल फर्जी आंकड़े सरकार के सामने पेश किये जा रहे थे । और उस अनुदान का काफी पैसा भारत सरकार को वापस चला गया है । मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें कि जितने आंकड़े आपके समक्ष आते हैं, मेरा निश्चित मत है कि 50 प्रतिशत उसमें बिलकुल फर्जी आंकड़े बनाकर दिये जाते हैं । आपका कृषि विभाग मूल रूप में कोई विभाग है ही नहीं । बीज आप पैदा करके जिलों को भेज दें, उसके बाद सिंचाई से आपका मतलब नहीं, गांव स्तर पर खाद के वितरण से आपको कोई मतलब नहीं । तो आपका विभाग है कहां ? क्यों नहीं आप इसको भी अलग करके अलग-अलग विभागों में बाँट देते है ? यदि आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में कृषि का विकास हो सके, कृषक की आर्थिक स्थिति सुधर सके और राष्ट्रीय आय बढ़ सके तो आपको अपने विभाग को नीचे से लेकर ऊपर तक संगठित करना पड़ेगा । मैं 6-7 प्रदेशों को जानता हूं, जहां उन्होंने यह कार्यक्रम लागू कर दिया है । मैं नहीं समझ पाता कि इसमें यहां पर क्या परेशानी है कि लैण्ड बेस्ड ऐक्टिविटी और जमीन से न सम्बन्धित अन्य विकास कार्यों को अलग-अलग विभाजन कर देने में । बिना इसके आप प्रदेश का विकास नहीं कर सकते हैं, तभी आप मान्यवर, इस प्रदेश में कृषि का विकास कर सकते हैं ।

आज एक ग्राम सेवक के सिर पर ही सारा काम है । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि कोई ग्राम सेवक सही तौर से, निष्ठा के साथ अपना कार्य करना भी चाहे तो जितने भी कार्य उसके सिर पर पड़े हैं, उसके लिए मानवीय आधार पर सम्भव नहीं है कि वह उन्हें कर सके । ग्राम स्तर पर ग्रामसेवक और पंचायत सेवक दो कर्मचारी होते हैं । आपको नियमों में कोई नया प्राविधान तो नहीं करना पड़ेगा यदि इन दोनों को अलग-अलग श्रृंखलाओं में जोड़ दिया जाए । एक को लैण्ड बेस्ड ऐक्टिविटीज के साथ और दूसरे को नान लैण्ड बेस्ड ऐक्टिविटीज के साथ जोड़ दिया जाए । इसके विकास विभाग का कुछ हिस्सा कटकर आपके विभाग में आ जाएगा और आपके यहां कोई अधिक खर्च नहीं होगा ।

आपके यहां समादेश योजनाएं चल रही हैं त्वरित विकास के लिए । इसमें कुल कृषि क्षेत्र का केवल 28-30 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है, जिसे सही रूप से सिंचित माना जा सकता है जो किसी न किसी साधन से सिंचित है । आपके यहां आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं कि 14 प्रतिशत सिंचाई कुओं से होती है । मैं तो ऐसे आंकड़े देखकर हैरान रह जाता हूं । कुयें से सिंचाई करके कौन सी हाई ईल्डिंग वैराइटी को पैदा किया जा सकता है । एक एकड़ भी नहीं, आधा एकड़ भी नहीं, सब्जी को तो भले लोग पैदा कर सकते हैं । लेकिन आप दिखाते हैं

उसको सिंचित क्षेत्र और उसको मान भी लिया गया है कि उसमें हाई ईल्डिंग वैराइटी बोई जा सकती है । और यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे भ्रमित करने वाले आंकड़े क्यों प्रस्तुत किए जाते हैं । तो आपके जो समादेश चलते हैं, वे केवल 30 प्रतिशत किसानों के लिए होते है शेष 70 प्रतिशत किसान जो नहरों की सिंचाई से लाभान्वित हैं, उनके विकास की योजना आपके यहां पर नहीं चलती है और उनको जनरल कैटिन में लिया जाता है आपका एक डिप्टी डायरेक्टर स्वायल कन्जर्वेशन का है एक हार्टिकल्चर का है एक फूट युटिलाइजेशन का है, सभी तो आपके हैं, हर मंडल स्तर पर तो फिर अलग से वहां पर एक और सेटअप पैदा करने की क्या आवश्यकता ह ?

अधिकतर प्रदेशों में जहां पर समादेश योजनायें चलायी जा रही है, वहां पर सिर (हेड) पर जो अधिकारी होता है वह कृषि विभाग का ही होता है या डेवलपमेन्ट विभाग का होता है लेकिन आपके यहां पर आई० ए० एस० होता है । एडमिनिस्ट्रेशन करने में उनकी क्षमता मानी गयी है लेकिन क्या ये अधिकारी दूसरे प्रदेशों में इस कार्य को देख रहे हैं ? आप क्यों नहीं इस कार्य के लिए एक ऐसा उच्च अधिकारी लगा सकते हैं जो कृषि की सचमुच में जानकारी रखता हो । अगर आपको कृषि स्नातक आई० ए० एस० मिल जाते हैं तो उनको बना दीजिए लेकिन कोई आई० ए० एस० हिन्दी लिट्रेचर रखता हो तो वह कृषि के विकास का कार्य कैसे कर सकता है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस आवश्यकता को क्यों नहीं देखा जाता है ।

एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे आप सिंचाई क्षेत्रों के लिए समायोजना चला रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस पर भी विचार करें कि जो बिल्कुल असिंचित क्षेत्र हैं, जहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं, वहां पर ड्राई लैंड फार्मिंग की समायोजना चलायी जाय । मैं पूछना चाहता हूं कि आप उन किसानों को ही क्यों लाभान्वित कर रहे हैं जो नहरों के सिंचित क्षेत्र में आते हैं, उनको क्यों नहीं लाभान्वित किया जा रहा है जहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं ।

श्री उपसभापति--

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

कई सदस्य--

माननीय, इन्हें 15 मिनट का समय और दे दीजिए ?

श्री उपसभापति--

माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखकर मैं 5 मिनट का समय और देता हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, अब मैं डिटेल्स में न जाकर कुछ आंकड़े सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक तो मेरा यह निश्चित मत है कि छोटे किसानों की सरकार आपके एग्रो और "हौर्टिको" से सहायता पहुंचायी जा सकती ह बशर्ते कि इनके कार्यकलापों को संगठित किया जाय और उनको नियंत्रित किया जाय। आप जांच करायें कि जब खाद के भाव के बढ़ने की घोषणा हुयी उन दिनों में 1 जून से लेकर 10 जून तक आपके एग्रो का कितना फर्टिलाइजर हस्तान्तरित किया गया ? साथ ही एग्रो में भ्रष्टाचार की जांच के लिये इस प्रदेश की विधान परिषद् की एक कमेटी गठित की गयी थी नवाब सिंह कमेटी के नाम से, उसकी जांच रिपोर्ट को आप कृपया पढ़ लें और उसके अनुसार दोषी कर्मचारियों को दंडित करें, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें।

आपने हार्टिको बनाया, उसके द्वारा उत्पादन बढ़ाने की योजना भी बनायी, पर आपने केवल 10 लाख रुपया दिया है उसको आज तक। अब उसमें वह कितनी फैक्टरी चला सकता है।

(व्यवधान)

हार्टिको की जितनी भी फैक्टरी प्रोसेसिंग की हैं वह सब आज बन्द पड़ी हैं। यदि आप पहाड़ के छोटे उद्यान के किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो उनकी फैक्टरी को चलवाइये।

माननीय, एग्रो और हार्टिको के बारे में थोड़ी मेरी जानकारी है जिसके आधार पर मैं कुछ कह रहा हूं। हार्टिको में कोई नियम नहीं है, फाइनल स्टाक वगैरह का कोई हिसाब नहीं है, हर फैक्टरी को यह छूट रहती है कि वह अपने माल को बनाकर बेचें और अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की उसमें से तन्खाह आदि निकाल लें। आपके यहां पर यह दिखलाया जा रहा है कि हार्टिको भी कोई फैक्टरी नहीं चल रही ह, लेकिन मेरी जानकारी है कि हार्टिको की बहुत सी फैक्टरीज ऐसी हैं जो चलती हैं, लेकिन उनको कागज पर नहीं दिखलाया जाता है और आपके यहां से कोई धन उनको चलाने के लिये नहीं दिया जाता है। वहां पर स्टाफ ने उसे अपने धन्धे का श्रोत बना रखा है।

मुझे 2–1 माह एग्रो में भी रहने का अवसर मिला। एग्रो द्वारा जो फर्टिलाइजर का वितरण होता है आप उसकी जांच करवा लें कि उसमें कितनी गड़बड़ी है। जो जांच की रिपोर्ट पड़ी है उनको आप मंगाकर देख लें। हार्टिको की हापुड़ फैक्टरी और खाद की इलाहाबाद डिवीजन की जांच रिपोर्ट पड़ी हैं, आप दिखवा लें।

आलू की पैदावार अपने यहां सबसे अधिक होती है। आलू के किसान की आज सबसे अधिक दुर्गति हो रही है उसी तरह से जैसे गन्ने के किसान की होती है। इनके किसानों के लाभ के लिये यह जरूरी है कि एक यूनिट लगायी जाये। फर्रुखाबाद में लगाने की पहले एक योजना थी। यदि आप आलू की पैदावार को सचमुच में बढ़ाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि गन्ने की तरह इसका भी हश्र न हो तो उसकी मार्केटिंग और वितरण की ठीक व्यवस्था करायें। इस पर आपको काफी मेहनत करनी होगी। आप बाम्बे में कोल्ड स्टोरेज बनाने जा रहे हैं, जितने भी उधर के बड़े–बड़े शहर हैं सब जगह आपको आलू बेचने

के लिये प्रयास करने चाहिये । उसके लिये प्रबन्ध करना चाहिये । जो माल अधिक मात्रा में बच जाता है उसको कन्वर्ट करने के लिये कोई फैक्टरी लगाना नितान्त आवश्यक है । आपके कृषि विभाग को जितना भी धन आप देते हैं सब्सीडी का, छोटे किसानों के लिए, उसमें आप देख लें 26 जून के नवजीवन में लिखा हुआ है कि 10 परसेन्ट से अधिक किसानों तक नहीं पहुंचता है । मैं तो यह भी कहने को तैयार हूं कि 5 परसेन्ट किसानों तक नहीं पहुंचता है । नितांत भ्रष्टाचार इसमें व्याप्त है । आपके सीड स्टोर इंचार्जों की तीन मंजिलें (कोठियां) खडी हो गयी हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कृषि बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, हमारा प्रदेश स्वदेश का कृषि प्रधान देश है और हमारे प्रदेश का तानाबाना आर्थिक और सामाजिक ढांचे का मान्यता हमारे कृषि पर आधारित है । मैं माननीय कृषि मंत्री जी को इस सदन के माध्यम से कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं । मान्यवर, यह सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक किसान के सामने समस्या है क्योंकि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स जो हैं, इनकी कीमतें काफी बढ़ गयी हैं । बिजली, सिंचाई के रेट्स बढ़ गये हैं । इन सब हालात को देखते हुए हमारे यहां के किसानों को चाहे वह गेहूं उत्पादक जो हैं, चाहे धान की पैदावार करते हैं, चाहे गन्ने का उत्पादन करते हैं, उनको सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हम अपने प्रदेश के किसानों को, उसको गेहूं की, चावल की और गन्ने की, इन सभी की उसकी जो लागत, इनवेस्टमेन्ट प्राइस जो आज बढ़ गयी है, उसकी लागत के हिसाब से, उसको कुछ सपोर्ट प्राइस देना चाहिए । मान्यवर, हमारे यहां फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गयी है । इसको सभी माननीय सदस्य जानते हैं । इस सदन के माननीय सदस्य किसानों की हालात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं । उस हालात के तहत भी हम फर्टिलाइजर की कीमत को गिराने में असमर्थ हैं । मेरा निवेदन है कि फर्टिलाइजर की कीमत को जितना भी कम कर सकें, अच्छा है । हमने जो छूट की घोषणा की है, इस छूट को (सब्सीडी) को हम दे सकें, तो ज्यादा अच्छा है । मेरे जनपद अलीगढ़ में जैसा मुझे ज्ञात हुआ है 18 लाख की छूट है लेकिन उसका अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे जनपद में नहीं हो सका है । मेरा निवेदन है कि उसका जल्द से जल्द वितरण होना चाहिये । अलीगढ़ जनपद में सघन कृषि परियोजना पिछले काफी वर्षों से चल रही है और उसके कारण हमारे यहां जनपद अलीगढ़ में गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है । कभी बुलन्दशहर, कभी अलीगढ़ इन दोनों ही जनपदों में गेंहूं की अच्छी पैदावार होती है । आपने 16 डेवलपमेन्ट अफसरों की नियुक्ति की है । ठीक है, हमारी सरकार और मंत्री जी इसको

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---]
समझेंगे । अलीगढ़ में पहले से ही परियोजना अधिकारी थे, मैं यह समझता हूं कि यहां पर एक चीफ डेवलपमेन्ट आफीसर रख कर कोई विशेष फायदे की बात है । अभी तक तो वहां पर यह भी मालूम है कि वहां पर परियोजना अधिकारी और चीफ डेवलपमेन्ट अधिकारी का कार्य का बंटवारा और जूरिस्डक्शन किस तरह से हैं, चाहे आप 15 चीफ डेवलपमेन्ट अधिकारी अन्य जिलों में रखे, लेकिन जो अलीगढ़ में रखा है, वहां नहीं होना चाहिए । साथ ही जब मैं यह अलीगढ़ की बात विशेष रूप से कह रहा हूं, आपके डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखूंगा । आपके यहां पर 1949 में फूड प्रिजर्वेशन एण्ड कैनिंग इंस्टीट्यूट था, 1950 के लगभग फल उपयोग निदेशालय बना और आपके उद्यान विभाग से जुड़ा हुआ था फिर हार्टिकल्चर और फल उद्योग निदेशालय कर दिया । उसका प्रभाव जो पड़ा, आपका जो फल उद्योग था उस फल उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और फल उद्योग के विकास में कमी हुई है । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि खाद्य निदेशालय आप अपने विभाग में स्थापित करें जिससे कि जो कोल्ड स्टोर्स, कम्यूनिटी कोलिंग सेन्टर्स चल रहे हैं वे खाद्य निदेशालय के तहत आ जायेंगे और फल उद्योग उधर ही रहे और हार्टिकल्चर को कृषि विभाग में ले लिया जाए मेरा कहने का मकसद सिर्फ यह है कि फल उद्योग का एक अलग निदेशालय बनायें, जिससे फल, सब्जी-भाजी तथा समस्त खाने पीने की चीजों का विकास हो सके और उन्हें सुरक्षित रक्खा जा सके । साथ ही 251 मण्डियों के बनाने की घोषणा आपने की है ठीक है । आप उसे बनायें लेकिन मैं देख रहा हूं और मेरा इस ओर व्यक्तिगत अनुभव है कि अब तक जितनी भी मंडियां बनायी गयी है, उन मण्डियों में प्रभावकारी ढंग से कोई कार्य नहीं हो रहा है । जिन क्षेत्रों में यह मण्डियां स्थापित की गयी हैं, वहां के क्षेत्र के आसपास के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है । मेरा व्यक्तिगत अनुभव है । मेरा क्षेत्र बरोली है जो तहसील खैर में भी पड़ता है । वहां एक मण्डी समिति की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत लगी है काफी अर्सा हो गया है इसको बने हुए । लेकिन किसी वजह से अभी तक वह चालू नहीं की गयी हैं, और वहां कोई व्यापारी अभी पहुंच नहीं रहा है । इसलिए मैं सुझाव के तौर पर अनुरोध करना चाहता हूं कि मण्डियां आप जरूर बनावें, जिनमें करोड़ों रुपयों की लागत आती है, परन्तु वह प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर रही है ।

दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि जैसा फर्टीलाइजर की कीमतों को घटाने की बात बड़े जोरों पर कही गयी । इस सम्बन्ध में मैं अपने उन किसान भाइयों से कहूंगा जो फर्टीलाइजर के पीछे पड़ गये हैं । इसके इस्तेमाल को कम करे । आज जितना फर्टीलाइजर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, उतना ही उत्पादन भी घटता जा रहा है । इसलिए हम प्रदेश के किसानों का आह्वान करते हैं कि उनको अपने खेतों में ढैंचा तथा खुर्ती व अन्य चीजें बोनी चाहिए । और हमारे प्रदेश की सरकार को, कौन्सिल आफ साइन्टिक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट आफ इन्डिया के जो नये नए फारमूलों की रिसर्च कृषि के सम्बन्ध में की है उससे पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए । वहां और भी कई प्रकार के शोध कार्य हुए हैं जैसे ऊसर जमीन को फर्टाइल भूमि में बदलने के लिये जिप्सम की जगह अन्य नई खोज की है अतः हमारी सरकार को चाहिए कि वह प्रदेश के किसानों का आह्वान करे कि नये-नये प्रकार के फार्मूलों पर बेस्ड संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, ताकि उत्पादन अच्छा हो सके । और साथ ही अंत में एक सुझाव और देना चाहता हूं कि सी० एस० आई० आर० की एक प्रयोगशाला अपने प्रदेश में स्थापित करने हेतु भारत सरकार से मांग करनी चाहिए ।

*श्री रियासत हुसैन--

माननीय, मैं माननीय कृषि मन्त्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए बजट भाषण को खड़े होकर कष्टों को उठाते हुए पढ़ा और काफी देर तक पढ़ा मगर या यह तो हमारी निगाह से ही नहीं गुजरा या शायद उनके अधिकारीगण ही भूल गये कि प्रदेश के अन्दर कृषि के विकास और इस क्षेत्र में पैदावार को बढ़ना जिस चीज पर दारोमदार करता है और जैसा कि आपने बताया कि 175 लाख हेक्टेयर ऐग्रीकल्चरल लैण्ड है ।

उसमें से कितना डबुल क्रापिंग में आया कितना ट्रिपुल क्रापिंग में आया कितना फोर्थ क्रापिंग में आया । इसमें कितनी प्रोग्रेस किया है क्योंकि डबुल क्रापिंग जो होती है वह अच्छे बीज से होती हैं । यह जो बजट भाषण की किताब आपने दिया है उसमें कहीं नहीं यह जान पड़ता कि आपने पिछले 5 सालों में 7 सालों में कितनी प्रोग्रेस डबुल क्रापिंग, ट्रिपुल क्रापिंग में किया है कितना एरिया 3 से 4 क्राप के बीच में आया इसमें मेरी नजर में यह चीज नहीं पड़ी यदि किसी माननीय सदस्य के कहीं पड़ी हो तो माननीय सदन में रख देंगे तो बहुत अच्छा होगा । म यह कहता हूं कि इसी वजह से सबसे हाईस्ट पैदावार वर्ष 1979-80 में हुई । कांग्रेस आई के समय में तो हमेशा नीचे की तरफ गया है । वर्ष 1979-80 में पैदावार सबसे अधिक हुई है और वह जनता पार्टी के शासन काल में हुई इसका श्रेय आपको नहीं मिलेगा । 90 प्रतिशत आज स्माल फार्मर हैं, मार्जिनल फार्मर है जो हर स्टेज पर जगह जगह आपकी मदद चाहते हैं चाहे वह सबसिडी के रूप में हो लोन्स के रूप में हो, लेकिन आपने इस दौरान पिछले साल के मुकाबले हर मदद घटाया है जाहे वह सबसिडी हो, लोन्स हो हर चीज घटाई है । जब स्माल और मार्जिनल फार्मर्स की सारी मदद आपने घटा दी है तो कैसे पैदावार बढ़ सकती है । खेती के मामले में स्माल फार्मर्स तथा मार्जिनल की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा पैदावार नहीं बढ़ सकती है । मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा परेशानी किसान को प्लांट प्रोटेक्शन के समय होती है । जिस समय धान की रोपाई होती है किसान के जेब से पैसा निकल जाता है कटाई होती है तो किसान के जेब से पैसा निकल जाता है लेकिन जिस वक्त प्लान्ट प्रोटेक्शन का सवाल आता है उस समय किसान की जेब पैसे से बिल्कुल खाली होती है, तो आप प्लान्ट प्रोटक्शन में मदद दें ।

आपका जो रेडियो प्रसारण होता ह, सुनो किसानों, और किसान जगत इतना थर्ड क्लास का होता है जैसे बिना पैसा दिये हुये बिना वेतन के यह कार्यक्रम होता है मैं किसान हूं इसलिये आपका यह प्रोग्राम सुनो किसानों और 6-50 का नियमित रूप से किसान जगत दोनों प्रोग्राम सुनता हूं, चाहे वह रामपुर के हों चाहें लखनऊ के हों ऐसा लगता है कि कहीं से पकड़ कर रख दिए गए हैं जिन्हें खेती का

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन--]

कोई ज्ञान नहीं है या उनको लिख कर दे दिया जाता है कि पढ़ कर सुना दें, उनको कत्तई ज्ञान नहीं है । प्लान्ट प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पूरी तौर से सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिये, भले ही प्लान्ट प्रोटेक्शन के ऊपर जो खर्चा आता है उसको सबसीडाइज करके लैन्ड रेवेन्यू के साथ वसूल किया जाय । नहीं तो किसान न तो कीड़े मार सकता है और न ही उडद पर जो फफूंदे लग जाती है उसको रोका जा सकता और न ही अन्य बीमारियों से किसान अपनी फसल की रक्षा कर सकता है । क्योंकि उसकी जेब खाली होती है, यह जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये । वरना कोई फायदा नहीं है । समय कम है मैं थोड़े में अपनी बात कह कर समाप्त करता हूं । 10-12 साल पहले सन् 1966 की बात है । लरमा रोज और सुनहरा 64 की ईल्ड निकाली गई थी । अब तो आपके पास 4-5 यूनीवर्सिटीज हैं, कानपुर, फैजाबाद और पन्तनगर के तो हैं ही ।

लेकिन वही लरमा रोजी, सोनारा 64 है । उसका नाम चाहे आप आर0 आर0 21, 553 या कुछ भी कर लीजिय लेकिन है वही । यह बढ़ते-बढ़ते 227 2009 तक आ गयी । वही देश है वही सब कुछ है लेकिन यह कहीं नहीं किया कि उनकी ईल्ड क्या है । उनकी प्रोग्रेस क्या है । हम तो उम्मीद करते थे कि इस 10 सालों के अन्दर जो ईल्ड थी वह दुगनी हो जायेगी । धान आई0 आर0 8, आई0 आर0 24 चला आ रहा है । लेकिन ऐसा नहीं है कि आज का किसान यह कह सके कि ईल्ड दुगनी हो गयी है ।

[2 बजे अपराह्न]

हार्टिकल्चर की बात कहूं । पूरे प्रदेश के अन्दर किन्नू नहीं मिल सका । पूरे मुरादाबाद, रामपुर, बरेली से मंगाया लेकिन कहीं नहीं मिला और अन्त में जवाब आया कि हम नहीं दे सकते । आम की भी वही पोजीशन है । मलिहाबाद तो बहुत बड़ी नर्सरी है लेकिन आपके डिपार्टमेंट की कीना जोनें सांच-पांच है, जो मुरादाबाद ट्रक आया था कहा कि इतना ही मुझे दसेहरी मिला है और रायकेला नहीं मिला । जब हमने पूछा कि किसी में नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि किसी में तो नहीं लेकिन जिसमें हम आर्डर मिला उसमें नहीं मिला । 5 मिनट समय और दे दिया जाये दुबारा ला देंगे । जब दुबारा आये तो फिर मैं आपको बताऊं कि राम केला नहीं मिला । जो यह हार्टिकल्चर है, पौध कितनी लगायेंगे, कहां से दिलवायेंगे, कोई सिस्टम है । एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । यहां पर किसान पर बड़ा दारोमदार है । गन्ना, आलू, तम्बाकू, मेन्था यह यहां के किसान का क्राप है । जब किसान बोता है तो किसी क्राप की कीमत क्या मिलती है । और 365 दिो जो साल के होते हैं उसमें दूसरों के हाथ में जब वह पहुंच जाती है तो वहा उसमें से कितना फायदा उठाता है । इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए । जो गन्ने किसान पैदा करता है उस सम्बन्ध में क्वीश्चन भी सप्लीमेन्ट्री में दिया गया था, जो किसान का गन्ना है और उसकी जो कीमत होती है उसमें फैक्ट्रीज, कारखानों की लागत लेकर कीमत फिक्स कर दी लेकिन दूसरे लोगों को 365 दिन प्राइज फलक्चुएशन का मिला । किसान को तो आपने 13.5 रुपये क्विंटल दिया । दूसरे लोगों के फायदे का प्रतिशत आप किसान को क्यों नहीं देते । मैन्था 65 रुपये किलो आज बिक रहा है जब कि आलू की वही हालत है । जब किसान खोदता है 20-35 रुपये बिकता है और जब बोने के लिए ले जायेगा तो 150 रुपये और अधिक ले जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री रियासत हुसेन--

जो फलक्चुएशन है उसका भी एडवान्टेज किसान को मिलना चाहिए और जो डबुल क्रापिंग, ट्रिपिल क्रापिंग आदि सब चीजों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए ।

श्री दूधनाथ राजभर--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया ।

मान्यवर, आज सदन के सामने ऐसा बजट पेश है, जिस पर कि हमारे प्रान्त की 85% जनता आधारित है । वैसे तो हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है । जो बजट हमारे सामने आया है, उसको बहुत अच्छी तरीके से माननीय कृषि मंत्रीजी ने हमारे सामने रखा है और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये तमाम उपाय तलासने का प्रयास किया गया है । मैं अपनी तरफ से कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं ।

मान्यवर, हम जब देखते हैं कि ऊसर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में सरकार व्यवस्था करती है, और पाइराइट, जो ऊसर भूमि का सुधार करके खेती केलायक बनाने के लिये उपयोग में लायी जाती है, उस पाइराइट का बुरी तरह से आज दुरुपयोग हो रहा है । जो खाद के वितरण की व्यवस्था है और जो पइराइट उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी जाती है, उसके रखरखाव की समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके कारण तमाम पाइराइट आज पानी में सड़ रहा है और बरबाद हो रहा है । अतः हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इस पाइराइट का दुरुपयोग न हो सके ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि खेती की पैदावार बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, कृषि मजदूर, उसके बारे में माननीय कृषि मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिसके श्रम के आधार पर आपकी खेती की पैदावार निर्भर करती है, उसके बारे में भी आपको कुछ व्यवस्था करनी चाहिये । मान्यवर, ये भूमिहीन खेतिहर मजदूर अपनी गाढ़ी मेहनत से खेतों की पैदावार बढ़ाने का काम करते हैं । उनके लिये और उनके पालन-पोषण के सम्बन्ध में जो आपको कुछ सोचना चाहिये ।

मैं एक बात, मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों से किसानों के लिये फसल बीमा योजना लागू करने की चर्चा की जाती रही है । लेकिन हमारे किसान, जो समाज को खूराक देते हैं, उनको फसल की बीमा योजना के बारे में

[श्री दूधनाथ राजभर--]

हम केवल अखबारों, कागजों और रेडियो में ही सुन लेते हैं उस योजना को सही मायने में किसानों तक पहुंचाने के लिये हमें सक्रिय काम करना चाहिये ।

मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि खेती के लिये श्रम, सामान और साधन इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है । श्रम के सम्बन्ध में तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं । सामान बढ़ाने की दिशा में भी आप काम कर रहे ह । लेकिन साधन के बारे में कहना चाहता हूं कि खाद, पानी और बिजली ये साधन हैं जिनमें पैदावार बढ़ाने का मेन मुद्दा खाद है लेकिन उसके बारे में चारों तरफ हाहा-कार मचा हुआ है । सरकार ने बैठते ही खाद को मंहगा कर दिया । इसके कारण सारे किसान आज परेशान है । मैं कहना चाहता हूं कि किसान के जो साधन है, उनको महंगा करने का क्या औचित्य है । हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि छोटे किसानों को छूट दी जाय, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से कहना चाहूंगा कि आपके ब्लाक में बैठे हुये जो ब्लाक के अधिकारी है, जिसका किसानो से सीधा सम्पर्क है, वे आपकी इस नीयत को जो कि किसानो को सुविधा देने के बारे में है, उन सुविधाओं की जानकारी किसानों तक नहीं पहुंचाते, और किसानों में प्रचार नहीं करते, कि तुमको छूट दी जा रही है । मैं कहना चाहता हूं कि इस दिशा में काम किया जाय । दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें तमाम पढ़ाई करके भी लोग बेकार हैं । इसलिए हमारी शिक्षा में कृषि शिक्षा को भी शामिल कर लिया जाय । ताकि जो नोजवान पढ़कर निकलें वह कृषि में लगें और उनको नौकरी ढूढ़ने का प्रयास न करना पड़े । इन शब्दों के साथ जो बजट माननीय कृषि मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री ऊदल--

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय कृषि मंत्री जी का भाषण मैंने बड़े गौर से सुना उन्होंने विभाग के सम्बन्ध में क्या-क्या योजनायें चली आ रही हैं या बनाई जा रही हैं उसका जिक्र किया । लेकिन उनकी कमियों के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया । मैं श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि आज कृषि के ऊपर हमारा प्रदेश और देश निर्भर है । कृषि को हमने आज तक न तो उद्योग के रूप में माना है और न तो इसको टेक्निकल ही माना ह । बाकी दुनियां के अंदर इसको उद्योग के रूप में और टेक्निकल के रूप माना जाता है । आज तक दोनों की उपेक्षा हमारे यहां की गई है । कृषि विभाग की जितनी जर्जर हालत है, मैं कहना चाहता हूं कि इतनी खराब हालत किसी विभाग की नहीं है । माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है बीज का, मैं जानना चाहता हूं कि कितना बीज किसान को टाइम से दिलवाते हैं और वह सर्टीफाइड भी होता है । आज हालत यह है कि फर्जी सर्टीफाइड करके ऐसा बीज दिया जाता है जिसका जर्मिनेशन हो नहीं होता, अगर होता है तो 50 प्रतिशत कम होता है या तो पहले ही उसमें बाली निकल आती है । श्रीमन्, इसी तरह से फर्टीलाइजर की कितनी आवश्यकता है लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि अच्छा फर्टीलाइजर आज किसानों को मुहैइया कराया जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि आज कृषि विभाग का धंधा हो गया है फर्जी फर्टिलाइजर्स बनाने वालों को लाइसस देने का । मैं कहना चाहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऐसे लोगों को फर्टीलाइजर्स बनाने के मिक्सचर बनाने के लाइसेंस दिये जा रहे हैं जो गड़बड़ी करते हैं । एन0 पी0 के0 और मिक्सचर बनाने के लाइसेंस दिये जा रहे हैं । पहले 8-8 का बनाया जाता था । अब मुझे पता चला है कि 11-11 का बनाया जा रहा है । इसमें गड़बड़ी की जा रही है । ऐसे लोगों के लाइसेंस को खत्म करना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि प्लाट प्रोटेक्शन के लिये कैसी दवाइयां दी जाती हैं । अभी कल ही एक मामला आया था कि पहाड़ पर जहां-जहां दवायें छिड़की गयीं वहां फसल नष्ट हो गयी लेकिन जहां दवाई नहीं छिड़की गयी वहां फसल अच्छी हुयी । सब जगहों पर गोलमाल है । मैं जान सकता हूं कि कितने वैगन आपके पास फर्टीलाइजर, सीधे गोदी से या बन्दरगाह से आ रहा है । कोआपरेटिव को अच्छी खाद दी जा रही है । आप एफ0 सी0 आई0 और दूसरी जगहों से खराब खाद ले आते हैं । तमाम विभाग एग्रीकल्चर विभाग में खुले हुये हैं। दलहन के लिये अलग, कपास के लिये अलग मूंगफली के लिये अलग, सोयाबीन के लिये अलग स्वायल केन्जरवेशन के लिये अलग, जूट और सनई के लिये अलग । जो यह हमारे महानुभाव लोग बैठे हैं, डिग्री लेकर, तो क्या मैं जान सकता हूं कि कितना उत्पादन सनई-जूट का बढ़ा है । उसका कुछ तो लेखा-जोखा होना चाहिये । जिस विभाग का हेड खराब हो, उसका मस्तिष्क खराब हो, वह लूजपुंज हो, उसको फालिज मार गयी हो, तो वह क्या कर सकता है और आप कहते हैं कि आपका विभाग तरक्की कर रहा है । क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि हमारे यहां सेब इतना ज्यादा पैदा होता है, जो 2 रुपये किलो नैनीताल और रानीखेत में बिक रहा है, आज उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, तो उसके लिये आपने क्या व्यवस्था किया है । मद्रास और बम्बई में कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं और यहां वह सड़ रहा है । आलू के ऊपर मिल लगाने की योजना 1974-75 में पोलैन्ड की सहायता से बनायी गयी थी, तो क्या मैं जान सकता हूं कि उसको लागू करने की आप क्या सोच रहे हैं । दूसरे प्रदेशों में आलू बेचने के लिये, रेलवे वैगन नहीं देता है जिससे लाखों टन आलू हर साल सड़ जाता है तो रेलवे वैगन उपलब्ध करने के लिये आपने क्या व्यवस्था किया है । क्या मैं आपसे जान सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप मुझसे जानना चाहते हैं या मंत्री जी से?

श्री ऊबल--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं ।

मंत्री जी ने जिक्र किया कि हम दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये योजना बना रहे हैं । तो क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि अलीगढ़ डेरी की क्या हालत हो रही है । बनारस में 3 करोड़ रुपये की लागत से रामनगर में दुग्ध डेरी खोली गयी जो मार्च से बंद पड़ी है । लाखों रुपये प्रतिमास वहां के कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है और उसमें कोई पैदावार नहीं हो रही है और

[श्री ऊदल---]

पुराना जो पाऊडर वगैरह वहां था वह भी सड़ रहा है । तो इसमें आपने क्य व्यवस्था किया है ?

मान्यवर, मंत्री जी स्वेतक्रांति और हरितक्रांति की बात करते हैं तो जबतक सोचने और आपके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होंगे तबतक कुछ होने वाला नहीं है ।

मान्यवर, कृषि बीमा योजना पर जब से विचार हो रहा है लेकिन आज तक फसल बीमा योजना लागू नहीं की गयी है । मिलों में, ट्रकों में सभी जगहों पर बीमा योजना लागू है लेकिन फसल बीमा योजना लागू नही कर रहे हैं । किसान जो चीज खरीदता है जैसे ट्रैक्टर तो वह पहले 20 हजार रुपये में मिलता था लेकिन आज वह 70-80 हजार रुपये का मिलता है जबकि किसान का गेहूं 104,-115 रुपये क्विंटल लेने का सरकार ने प्राइज तय किया है । तो इसमें कितना अन्तर है । इसलिय यदि आप चाहते हैं कि इस प्रदेश की तरक्की हो तो आप कृपया हर्टीकल्चर और कैश क्राप को आप बढ़ायें, छोटे किसानों को महत्व दें और उनकी चीजों को बेचने और विदेशो में भेजने एवं कोल्ड स्टोरेज बनाने की सरकार व्यवस्था करे ।

मान्यवर, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि कृषि विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वह इसलिये है कि 4 साल पहले जिन अधिकारियों को यहां से भगाया गया था वह सब आपके कृषि विभाग में बैठे हैं । इसलिये आप उनको वहां से हटायें और कृषि विभाग से भ्रष्टाचार को दूर करें और किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे । यह भरोसा है । जो कुछ मैने कहा है उस पर विचार करेंगे ।

श्री दामोदर शर्मा--

माननीन उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे कृषि बजट के अनुदानों के समर्थन में बोलने का मौका दिया । मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों में आलू और गन्ने की पैदावार इतनी बढ़ी कि जनता पार्टी के लोग जो उस समय शासन में थे, हम नहीं थे, उस पैदावार को थाम नहीं पाये और उसे बेचने की व्यवस्था नहीं कर पाये । गन्ने की एक दिन यहां चर्चा चली। गन्ना पिछले शासन के समय दो रुपया, ढाई रुपया कुन्तल तक मिल मालिकों ने नहीं लिया । इससे भी बुरी हालत आलू की रही । आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए जगह नहीं मिली । किसान आलू को बोरी में भर कर कोल्ड स्टोरेज में ले गया। कोल्ड स्टोरेज में रखना तो क्या उसे बोरी का दाम भ वापस नहीं मिला और वह उस को वही छोड़ कर चला आया । मैं मान्यवर, आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इससे यह स्वयं साबित हो जाता ह कि कृषि मंत्रीजी ने जो बजट में रखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि का उत्पादन बढ़ा है (व्यवधान) मुझे सुनिये तो । मैं सही बात कहता हूं, आप सुनेंगे नहीं । माननीय मंत्री जी ने जो क्रान्तिकारी बजट प्रस्तुत किया है उससे यह स्वयं साबित हो जाता है कि उत्पादन बढ़ाने में हमारे कृषि मंत्री जी पूर्ण रूप से सक्षम हैं और वह हर सम्भव प्रयास करेंगे कि प्रदेश का कृषि उत्पादन बढ़ाया जाय ।

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान उर्वरक और खाद की समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं । उसमें सब से पहला मुद्दा मेरा यह है कि जो खाद सहकारी संघों के माध्यम से किसानों को बांटा जाता

है उसमें-स्वयं एक किसान होने के नाते मैं कहना चाहता हूं-सोसाइटीज द्वारा गड़बड़ अवश्य होती है। इस का मैं भुक्त भोगी हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन सोसाइटीज को जिन के माध्यम से खाद का वितरण होता है। उन में अंकुश लगा कर जो भ्रष्टाचार इन सोसाइटीज में होता है उसे बन्द करने की कृपा करें।

मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि कृषि विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर गोबर गैस प्लान्ट लगाये गये और उस का उद्देश्य यह था कि किसानों को इन के माध्यम से बिजली मिले और अच्छी खाद का उत्पादन कर के अपने खेतों में डाल सकें। मैं मान्यवर, आप के माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितने गोबर गैस प्लान्ट लगाये गये उन की वह पुनः जांच कराये कि गोबर गैस प्लान्ट चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। दो-चार चल रहे हैं तो बाकी बंद हैं उन्हें पुनः चलाने की पूरी कोशिश करेंगे।

तीसरा सुझाव फसल की सुरक्षा की है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि फसलों की रक्षा के लिए कीट नाशक दवाओं को बांटने की जिम्मेदारी उन पर है। लेकिन मेरा निश्चित मत है कि कीट नाशक दवायें चाहे जिला कृषि अधिकारी के दफ्तर में पड़ी रहती हैं चाहे किसी और जगह पड़ी रहती हैं, किसानों तक नहीं पहुंच पाती। किसान दो-दो, तीन-तीन बार जाता है और उसे कीटनाशक दवायें प्राप्त करने में कठिनाई होती है। मेरा सुझाव है कि कीटनाशक दवाओं का, किसान को मिलना जरूरी है। ग्रामों का विकास खेती लगाने से या ग्राम पंचायत घर बनाने से ही नहीं हो सकेगा। आज देहात में बेरोजगारी बढ़ रही है उसे हमें समाप्त करना है। किसान के बच्चे को नौकरी नहीं मिल पाती है जब कि आई० ई० एस आफिसर के बच्चे को नौकरी मिल जाती है। छोटे छोटे उद्योगों को गांवों में खोलने की बात करते हैं जैसे आलू के खाद्य पदार्थ बनाने की बात है, उनको जब हम ग्रामों में खोलें तो किसान के बेटे को ही उसमें रखें ताकि उसको रोजी रोटी मिल सके। मेरे क्षेत्र में इसी प्रकार एक परतापुर डेरी है। वहां डेरी के 15 किलोमीटर एरिया के अन्दर कोई सहकारी संघ नहीं बना सकता न प्राइवेट डेरी खोल सकता है। इसे समाप्त किया जाय। 15 किलोमीटर की सीमा जो है उसके बाहर भी कोई सहकारी संघ नहीं खुला है उन्हें खोला जाय। मेरा सुझाव है कि परतापुर डेरी में पूर्ण रूप से सुधार किया जायगा जिससे वह ठीक से चल सके।

फलों की खेती की ओर ध्यान देने की बात है खाद्य मंत्री जी ने कहा है इसके लिये मेरा सुझाव है कि हर जिले में वह फूडटेस्टिंग लेबोरेटरी बनाने का कष्ट करेंगे जिससे अधिक लोगों को फायदा हो सकेगा। इसके अलावा दालों के विकास की बात है। तिलहन विकास निगम बनाया जा सकता है, बहुत से निगम बनाये जा सकते हैं तो दालों के सम्बन्ध में भी एक विकास निगम बनाया

(श्री दामोदर शर्मा--)

जाय और हार्टिकल्चर विभाग को जब सरकार दो भागों में बांटने जा रही है है तो मेरा निवेदन है कि एक असिस्टेंट डाइरेक्टर हिल रीजन में हों और दूसरा पश्चिमी जिले में हों जैसे मेरठ में ताकि यहां के किसानों को कुछ अधिक फायदा हो सके।

श्री कुवर सिंह नेगी—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों के परिपेक्ष में यह कृषि बजट बहुत निराशाजनक प्रतीत हुआ।

श्री राम कुंवर सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदस्यों की संख्या के अनुपात से बोलने का अवसर दिया जाय। उधर बहुत कम सदस्य हैं, इधर ज्यादा हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन का काम चलाने की जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर डाली है बिजनेस ऐडवायजरी कमेटी में आपके विचार को रख दुगां लेकिन अब तक की परम्परा ऐसी रही है कि एक पक्ष से और एक विपक्ष से बोलेगा।

मान्यवर, कृषि मन्त्री का बजट भाषण पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में बहुत ही निराशाजनक रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जिससे वहां के लिय बिलकुल भिन्न योजनायें बननी चाहिये थी परन्तु उनके सारे बजट भाषण में पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में किसी भी प्रकार की ठोस योजना का जिक्र नहीं किया गया है। मान्यवर, हमारे चमोली जिले में सेब और आलू की पैदावार बहुत होती है। साथ ही अन्य फलों की पैदावार भी वहां काफी होती है किन्तु उनको बाजार तक पहुंचाने के लिये वहां कोई साधन सुलभ नहीं है। फलों के वितरण के लिये मैं मांग करता हूं कि इस सारी व्यवस्था को सरकार को अपने ऊपर ले लेना चाहिये। इसके अतिरिक्त फलों के भंडारण, ग्रेडेशन और प्रोसेसिंग की व्यवस्था भी सरकार की ओर से होनी चाहिये। श्रीमन्, हमारे यहां उग्रीम एक ऐसा स्थान ह जहां पर सेब की बहुत अच्छी किस्म पैदा होती है ओर उसकी बहुलायत भी वहां पर है। वह बहुत प्रसिद्ध स्थान है। लेकिन वहां के सेब को सड़क तक लाने के लिये 10 किलो मीटर पैदल का रास्ता है और कोई साधन सड़क तक आने का नहीं है जिससे उन फलों को सड़क तक लाया जा सके। इस लिये यह आवश्यक है कि वहां जो फल उत्पादक क्षेत्र हैं उनको मोटर सड़क से जोड़ दिया जाय और उनके भंडारण के लिये वहां पर शीतगृहों की स्थापना की जाय। सरकार की ओर से कहा जाता है कि शीतगृह मद्रास, बम्बई या दिल्ली में बनेंगे परन्तु यदि पहाड़ी सेब को उन शीतगृही तक ले जाया जाता है तो उनको ले जाने में काफी समय लग जाता है और जब तक फल वहां तक पहुंचता है तब तक अधिकांश फल खराब हो जाते हैं। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि फल उत्पादित क्षत्रों के नजदीक ही सरकार शीतगृहों को बनाने की योजना पर विचार करें।

इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी समस्या फल उत्पादकों को होती है वह उनके ग्रेडेशन की होती है। यहां पर फलों के ग्रेडेशन की कोई ठोस और ठीक व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिये कि किस तरह से सेबों का ग्रेडेशन किया जाय। इसके अतिरिक्त सेबों के पैकिंग और उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे जनपद

चमोली में और लगभग सारे पहाड़ों में सोयाबीन की खेती की बहुत अधिक गुंजाइश है मेरा निवेदन है कि इसके प्रचार और प्रसार के लिये सरकार पूरी कोशिश करे ।

इसके अतिरिक्त पहाड़ों पर मसरूम की भी वहां पर काफी अच्छी गुंजाइश है। इसके लिये भी सरकार की तरफ से कोशिश की जानी चाहिए ।

जहां तक पशुपालन और डेरी का सवाल है उन्नतिशील प्रजनन योजना पर सरकार काफी रुपया खर्च करती है और इसी तरह से जनपद चमोली में विदेशी प्रजनन प्रक्षेत्र गौरसैंण में सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके एक योजना बनाने जा रही थी लेकिन सुना जा रहा है कि इसके लिये विदेशी नस्ल की गायें विदेश से मंगाई जा रही हैं और वे बम्बई में पड़ी हुई हैं । वे गायें अभी तक वहां नहीं पहुंचा हैं । इस लिये मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें । इसके अतिरिक्त मैं सुझाव देना चाहूंगा कि फलों के विकास के लिये उद्यान रक्षा सचल दलों की व्यवस्था की जाय और पहाड़ों के लिये अलग से एक निदेशालय कायम किया जाय ।

धन्यवाद ।

श्रीमती कमला साहनी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने, मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं । माननीय कृषि मन्त्री द्वारा सदन के पटल पर रखे गये कृषि बजट का मैं समर्थन करते हुये कुछ सुझाव रखना चाहती हूं । मान्यवर, भारत कृषि प्रधान देश है और हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान है । इसमें कोई दो मत नही है कि कृषि प्रधान देश के लिए कृषि के लिये जो आवश्यक चीजें होती हैं वह उपलब्ध रहे । इसमें बीज और खाद बहुत ही आवश्यक चीज है । लेकिन बीज, खाद और भूमि का परीक्षण समय पर न हो तो अच्छी कृषि सम्भव नहीं है । जहां तक बीज का प्रश्न है वह किसान को समय पर नहीं मिल पाता है जसे आज कल टोरिया टाइप नाइन और मटर बोने का समय है जिसके बोने का समय थोड़ा होता है, उसके बीज किसानों को समय से नहीं उपलब्ध होंगे तो उसे नुकसान हो जायगा । इसके लिये किसान को बीज गोदामों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं फिर भी बीज उपलब्ध नहीं होता है । वैसे ही खाद की बात है । खाद के दाम यकायक बढ़ा दिये गये जिससे हम लोगों का अपने क्षेत्र में जाना दूभर हो गया है । दाम क्यों बढ़े इसकी तह में मैं नहीं जाना चाहूंगी । मैं सिर्फ निवेदन करूंगी कि खाद की छूट जो किसानों को मिलनी चाहिये वह उनको न देकर जो खाद उत्पादन करते हैं उनको दी जानी चाहिये किसानों को खाद सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो सके । आज आप देखते हैं जमीदारी उन्मूलन हो गया लेकिन आज भी देहात में जमीदार, राजे महाराज और बड़े लोग हैं जिनकी तूती बोलती है। जो गरीब किसान हैं या हरिजन हैं या छोटे जोतदार हैं उनका हक वह

[श्रीमती कमला साहिनी--]

लोग खा जाते हैं । छोटे किसान के नाम पर जो छूट मिलती है वह सीरदार और हलवाहे के नाम पर अपना ले लेते हैं । असली किसान उस छूट से वंचित रह जाता है । तो इस ओर कृषि मन्त्री जी ध्यान दें और शीघ्र कम कीमत पर खाद किसान को दिलाने का प्रयास करें ।

भूमि परीक्षण के सम्बन्ध में भी आपसे निवेदन करना है । भूमि परीक्षण के नाम पर ब्लाक में नौटंकी की जाती है । मिट्टी भर कर पैकेट में भेजी जाती है लेकिन कभी भी उसकी रिपोर्ट किसान को समय से नहीं मिल पाती है । दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरे पास भी थोड़ी खेती है मैंने भी कई बार पैकेट भर कर भेजे लेकिन आज तक मुझे उसकी रिपोर्ट नहीं मिली । अगर किसी प्रकार किसान खेत बो भी लेता है तो जब फसल में बीमारी लगती है तो डसको परेशानी हो जाती है । दवा के लिए वह मारा-मारा फिरता है और उसे दवा समय पर नहीं मिलती है । इस लिए निवेदन है कि इसके लिए आप सख्त आदेश कर दें कि समय पर सारी चीजें उपलब्ध हों। बीज, खाद और दवा समय पर मिले और कायदे से मिट्टी का परीक्षण समय पर हो जाय ताकि किसान ठीक ढंग से खेती कर सके ।

मुझे गन्ने के बारे में भी कुछ कहना है हालांकि इस समय उसका सम्बन्ध नहीं है फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूं । गत जनता शासन काल में किसान के गन्ने का छीछालेदर हुई । उनको गन्ना खेतों में जला देना पड़ा । जो गन्ना बिका भी उसका मूल्य नहीं मिला । बस्ती जिले में ही किसान अपनी 50 प्रतिशत भूमि पर गन्ने की खेती करते हैं । लेकिन आज किसान गन्ने की खेती करने से कतरा रहा है । वह घबरा रहा है । मैंने कई किसानों से कहा कि आप लोग गन्ने तो ज्यादा बोते थे इस साल क्यों नहीं बो रहे हैं ? उन्होंने जवाब दिया कि जब गन्ना बो कर जला ही देना पड़ेगा, जब गन्ना बेचने के बाद पैसा ही नहीं मिलेगा तो गन्ना बो कर क्या होगा ? मैंने कहा कि अब वह जमाना चला गया जब किसानों को गल्ला जलाना पड़ता था उनको कीमत नहीं मिलती थी । इस बात से उनके मन में कुछ विश्वास जमा या नहीं यह मैं नहीं जानती । लेकिन कृषि मन्त्री से मैं यह आग्रह जरूर करूंगी कि गन्ने के लिये बजट म वह ज्यादा ध्यान दें जिससे किसानों को गन्ने की कीमत ज्यादा मिले, उन्हें हर सुविधा मिले और बकाया मिले ताकि उनके मन में खोया हुआ विश्वास पुनः पैदा हो सके और हमारे किसान गन्ना उत्पादन करें । मुझ आपने समय दिया । इसके लिए आभारी हूं और कृषि मन्त्री का समर्थन करती हूं ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताब का समर्थन करता हूं । मुख्य मुद्दा जो कृषि की प्रगति के सम्बन्ध में है वह यह है कि पर्याप्त बजट और उसका भरपूर सदुपयोग अभी बजट के बारे में चर्चा की गयी । सरकार की कथनी और करनी में फर्क पाया गया । जिस पर विशेष ध्यान देने की बात कही गयी सरकार ने उसका बजट ही घटा दिया । इसलिए मैंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है । खास बात मैंने यह देखी कि पिछली सरकार की नीतियों की आलोचना करके, अपनी कमियों को छिपाने की चेष्टा सरकारी पक्ष बराबर करता आ रहा है कोई नीति ऐसी इंगित नहीं की गयी कि जनता शासन काल में यह नीति गलत रही है और उसका सबसटीट्यूट हमारे पास है । पिछली सरकार की जो कमियां रहती है, उससे जो आप अनुभव प्राप्त करते हैं, उसके सन्दर्भ में आप एक नीति निर्धारित करने की चेष्टा करते हैं । कुछ कमियां हर सरकार में रहती है इससे इनकार

नहीं किया जा सकता। लेकिन उन कमियों को दिखला कर हम अपनी कमियो पर परदा डालने की कोशिश करते हैं तो यह उचित नहीं है। मान्यवर, मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि आने वाले वर्ष में ज्यादा खाद की खपत होगी। पिछले साल जो सूखा पड़ा उसके कारण किसानों के पास पैसे की कमी रही। जिससे खाद की खपत निहायत ही कम है।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं किसान के पास पैसा रहेगा, उसकी आमदनी बढ़ी रहेगी तो वह पर्याप्त साधन उपलब्ध कर लेगा, अपने पैसे से ज्यादा से ज्यादा खाद खरीदने की चेष्टा करेगा, ताकि उसकी पैदावार बढ़ सके। सन् 1967 से लेकर सन् 1970 तक जो मूल्य रहा है और आज जो है, उसका अवलोकन आप करें। उस वक्त स्थिति यह थी कि 80 से 85 रुपए क्वींटल तक गेहूं की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी, 100 रु0 क्वींटल में धान बाजारों में बिका करता था। लेकिन उस वक्त हमको 42 रुपया बोरी यूरिया खाद मिला करती थी, 10 रुपया एकड़ ट्यूबवेल की सिचाई थी, 16 रुपया एकड़ में किसान नहर का पानी सिचाई हेतु प्राप्त करता था, फार्मूसन ड्रैक्टर का दाम 25 हजार के करीब उस वक्त था और 80 रुपया क्वींटल लोहा मकान निर्माण हेतु मिलता था और 7 रुपए बोरी में सीमेन्ट मिलती थी तथा 42 रुपए हजार ईंट बिका करती थी। (व्यवधान) लेकिन आज उसके मुकाबले में 104 रुपया बोरी यूरिया खाद बिक रही है, 24 रुपए के लगभग में हम ट्यूबवेल का पानी लेते हैं और 40 रुपया एकड़ नहर से लिए हुए पानी का देना पड़ता है, 80 हजार रुपया फार्मूसन ड्रैक्टर का दाम पहुंच गया है। आज 8 रुपया किलो में चीनी बाजारों में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, 4/5 हजार रुपया पम्पिंग सेट का दाम हो गया है और दूसरी तरफ जो हम किसान खेतों में पैदा करते हैं--117 रुपया हाइयेस्ट गेहूं की कीमत है, 100 रुपया क्वींटल धान और साढ़े बारह रुपए क्वींटल गन्ने की कीमत है। मैं कहना चाहता हूं कि किसान द्वारा उत्पादित चीजों के मूल्य और कारखानों में उत्पादित तैयार चीजों के दामों में इतनी बड़ी विषमता रहेगी, तो किसान के शरीर पर आपको चमड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी। आज मंडी समितियों की पर्याप्त आय हो रही है, लेकिन जो मनोनीत करके बेताज के बादशाह, अध्यक्ष वहां बैठाल दिए गए हैं वह सब आय चूस लेते हैं, उसका कोई लाभ गरीब किसान को नहीं मिल पा रहा है। लोकतांत्रिक व्यक्तियों के हाथों में सत्ता रहेगी तो वह डरेंगे कि जनता हमें दुबारा न चुनकर निकाल देगी, लेकिन जब इस तरह से ऊपर से लोग थोप दिए जायेंगे तो वे जनता के शोषण के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। उनका चुनाव टाला जा रहा है और अपने लोगों को ऊंचे ओर आमदनी वाले पदों पर बिठालने का प्रयास किया गया है। मंडी समितियों का चुनाव तत्काल किया जाना चाहिए। धन्यवाद

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का जो बजट यहां रखा गया है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यह बजट

[श्री श्याम लाल बाजपेयी]

कितना महत्वकांक्षी और उत्साहवर्धक है। हमारे विरोध पक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, वह इतना हास्यास्पद है जैसे लगता है कि विरोध पक्ष के साथियों ने मजाक बनाने का बीड़ा ही उठा लिया है और हर नेक काम में वे बाधा बन कर ही सामने आते हैं, प्रदेश की उन्नति से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां ये सब बातें हैं, वहां मैं अपने नौजवान कृषि मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कृषि विभाग में कुछ मूलभूत ऐसी त्रुटियां हैं जो पिछले तीन वर्षों से जनता और लोक दल की सरकार के जमाने से चली आ रही हैं और इस विभाग को बिल्कुल ही चौपट और निरंकुश कर दिया है।

अब मैं अपने माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो हमारे जिले के कृषि अधिकारी हैं, उनको जनता का सच्चा सेवक बनाने की आवश्यकता है। उनको शहनशाह बनकर बैठने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। उनका सामन्तशाही का रूप नहीं होना चाहिए। आज उत्पादन के नाम पर प्रदेश में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। लेकिन जो आलू पैदा किया जाता है वह सड़कों पर सड़ जाता है। कोल्ड स्टोरेज वाले हैं वे 10 रुपए के हिसाब से वसूल करते हैं। इस प्रदेश की सरकार चाहें पिछली सरकार हो या यह सरकार इसके जिलाधिकारी जो अपने को किसानों के रक्षक कहते हैं जब किसानों का आलू सड़कों पर सड़ता है तो उस समय उसकी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है।

अब मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है दिलाना चाहता हूं जिसमें सरकार का काफी धन लगाया जाता है। प्रातःस्मरणीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त के समय में सन् 1953 में फल उपयोग निदेशालय का मुख्यालय रानीखेत में स्थापित हुआ था लेकिन श्री एस0 एस0 तिवटिया ने 3 जो एक बहुत बड़े राजयोतिज्ञ के रिश्तेदार हैं, रानीखेत से उस फल उपयोग उद्योग निदेशालय को रानीखेत से लाकर यहां लखनऊ में स्थापित कर दिया है। फल उपयोग के विकास के लिए सरकार ने 70 लाख रुपया लगाया जिसमें 65 लाख रुपया मैदानों में और 5 लाख रुपया केवल पर्वतीय क्षेत्र के लिए खर्च किया गया। हमें तो ऐसा लग रहा है कि माननीय गोविन्द वल्लभ पंत को मरे हुए तो बहुत दिन हो गए लेकिन तेवटिया साहब ने उनकी अन्त्येष्टि आज कर दी है। मान्यवर, वहां पर चौपटिया गार्डन है जिसमें हजारों मन फल पैदा होता था लेकिन अब वहाँ पर केवल 40 किलो ही पैदा हो रहा है। यह उनकी उपलब्धियां बता रहा हूं। फलों के उत्पादन में जहां आज हिमांचल प्रदेश प्रथम स्थान पर पहुंच गया है वहां पर हमारा प्रदेश शून्य बिन्दु पर पहुंच गया है। यह हालत हो गई है केवल आपके डाइरेक्टर के कारण। इनका एक ही काम है विलास लीलाओं में लिप्त रहना।

(व्यवधान)

एक और बात मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पशुपालन विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। पशु चिकित्सालयों में जो पशुओं के इन्जेक्शन लगाने के लिए नियुक्त किये जाते हैं उनकी हालत यह है कि वे आदमियों के इन्जेक्शन तो लगाने के लिए जाते हैं पर पशुओं के लिए जरूरत पड़ने पर नहीं जाते।

माननीय, हमारे यहां हैदरगढ़ क्षेत्र के मलवारा पशु चिकित्सालय में कोई पशु चिकित्सक नहीं है। उसके लिए हमने कई बार लिखा। इस ओर ध्यान दिया जाये।

दुग्ध की दशा आज गांव से लेकर शहर तक खराब हो रही है। किसान का शोषण होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

अन्त में मैं फिर एक बार माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सत्ता पक्ष के लोग अगर अपने दिलों को टटोल कर देखें तो उनकी एक-एक बात कटौती प्रस्ताव के समर्थन में कही गई बातों से मेल खाती है। वह बात अलग है कि दलगत अनुशासन के नाम पर वे बजट का समर्थन कर दें।

माननीय, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है और 70 फीसदी प्रदेश की आबादी कृषि पर निर्भर है। आज किसान की हालत बहुत खराब है। वह बुरी तरह से बेहाल है। हमारे क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है और न ही कोई शीतगृह बनाया गया है। व्यक्तिगत प्रयासों से मलवारा कस्बे में एक शीतगृह बनाया गया, पर उसके रास्ते में बिजली बाधक बन गई। पावर स्टेशन स्वीकृत होते हुए भी नहीं बनाया जा रहा है। कृषि से सम्बन्धित बिजली भी है। जहां कृषि मंत्री जी खाद आदि की बात करते हैं वहां उनको दूसरे विभाग जो कृषि के विकास में बाधक बन रहे हैं उसको भी देखना चाहिये।

[3 बजे अपराह्न]

माननीय, मैं आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारे माननीय बाजपेयी जी ने एक बड़ी अच्छी बात उठाई कि जिलों-जिलों में कृषि अधिकारी जो बैठे हैं, बहुत से तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के अनगिनत सिलसिले लगे हुए हैं। लेकिन वह अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी लूट-घसोट का सिलसिला जारी है। उनके बारे में शासन को सोचने का मौका नहीं मिलता और इस विभाग में चाहे जितना पैसा यहां से बजट में ले लें, चाहें, जितना पैसा भी आप स्वीकार करा ले, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा उन कृषि अधिकारियों की जेब में जायेगा। कृषि के लिए, किसानों के

(श्री राम आसरे वर्मा—)

लिए नहीं खर्च होगा । एक मिसाल मैं आपको यहां और देना चाहूंगा, एक डेरी के सिलसिले में । लखनऊ में ही डेरी है और उस डेरी में लाखों रुपया किस तरह से हड़पे जाते हैं, अधिकारियों द्वारा । 1975 में एक रिपोर्ट लिखाई गई और उस रिपोर्ट में जो मुलजिम बनाये गये, वही दूसरे मुलजिम को दूसरे मुकदमें के मामले में सस्पेन्ड करते हैं, अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए । एक साधारण कर्मचारी अद्या प्रसाद द्विवेदी के कार्यकलाप के बारे में छानबीन की गई और उसे बहाल किया गया है । मान्यवर, जो मुलजिम अधिकारी हैं, वही उससे कहते हैं कि या तो 10 हजार रुपये दो, तब तो इस मंत्री के आदेश की वकत होगी, वरना इसकी वकत नहीं होगी । मान्यवर, उसी मुकदमें में जितने लोग हैं, सिर्फ मुलजिम बन कर घूम रहा हैं और बाकी अधिकारी लोग लूट-खसोट कर रहे हैं । कुछ अधिकारी लोग इस डेरी को अपनी बपौती समझे हुए हैं । जहां पर माननीय मंत्री जी तमाम बातों को सोचते हैं वहां पर इस बात को भी देखें चाहे पशुधन का हो चाहे दुग्ध का हो, इन विभागों में जो साधारण कर्मचारी हैं, उनको सताये जाने का सिलसिला जारी है । जिस मुकदमें का मैं चिक्र कर रहा था उस पत्र का हवाला देना चाहूंगा, जिस पत्र से वह बहाल किया गया । यह मान्यवर शासन ने 5047/12 या-4-5 (15-79), दिनांक 27-10-79 द्वारा मिल्क कमिश्नर को आदेश दिया था, उसे बहाल करने के बारे में और उसे बहाल करने का जब यह आदेश जाता है तो उससे रुपया मांगा जाता है । तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से इस बात के लिए कहूंगा कि जिन लोगों ने उस मुकदमें में अपराध किया है, वह तो घूम रहे हैं और एक साधारण कर्मचारी के ऊपर अपराध थोपा जा रहा है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस मामले को भी देख लें कि किसी साधारण कर्मचारी के गर्दन केऊपर छुरी न रखी जाय । मान्यवर, इन बातों के साथ में पुनः कटौती के प्रस्ताव पर जोर देता हूं ।

*श्री राम कुंवर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी अपने विचारों को रखने का मौका दिया । महोदय जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो बजट आया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं यह समझता हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उस तरफ के बैठने वाले हों । दोनों की जिम्मेदारियां बराबर हैं । बल्कि मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि उस तरफ के लोगों की अधिक जिम्मेदारी है । बजट के सम्बन्ध में कई दिनों से मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा हूं और देख रहा हूं कि हमारे किसी भी माननीय सदस्य ने कोई एक भी ऐसा सुझाव नहीं दिया कि इसमें जो टैक्स लगा हुआ है, वह गलत है या जो टैक्स लगाये गये हैं, उसमें कुछ छूट गया है, या कुछ कम है या अधिक । अथवा इस मद से पैसा घटाकर इस मद में कर दिया जाय और इस मद में इतना बढ़ा दिया जाये । अर्थात् किसी भी ओर से कोई ठोस सुझाव नहीं आये । मैं आपके माध्यम से महोदय कुछ सुझाव, कुछ बातें किसान और जनता के हित की रखना चाहता हूं क्योंकि हम इन्हीं सबके बीच से चुनाव लड़कर और जीत कर आये हैं । मान्यवर, इस प्रान्त में उगभग 80 प्रतिशत किसान रहते हैं या मजदूर । मेरे खयाल से सही मायनों में पूरे प्रान्त की उन्नति किसी एक दल विशेष पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इन सभी के हित का एक मात्र जिम्मेदार किसान ही हैं । जबकि आज से कुछ साल पहले यही किसान रस पी-पीकर अपना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जीवन निर्वाह करता था। मुझे याद है बरेली का किसान सड़ा हुआ रस ही पीकर किसी प्रकार से अपना जीवन निर्वाह किया करता था। इसलिए मैं समझता हूं कि आज सारी जिम्मेदारी किसान की ही है। इसलिए कृषि मंत्री जी से चाहूंगा कि उनको सबसे ज्यादा बल इस ओर देना चाहिए कि जहां 80 फीसदी लोग गांव के इस पर निर्भर करते हों तो वहां उतनी समस्यायें भी खेती से सम्बन्धित उत्पन्न होती होंगी। खेती में मोटे रूप में 4 आवश्यकतायें पड़ती हैं। खेत बीज, जुताई और पानी और सबसे ज्यादा आवश्यकता आज सिंचाई की है। पानी इनको सही तौर परन हीं मिल पा रहा है। पानी अगर सही- ही ढंग से मिले और अगर इन 3 चीजों की कमी भी हो तो काम चल सकता है। इस ओर मेरे खयाल से 100 में से 27 प्रतिशत तक ही अभी तक साधन उपलब्ध हो पाये हैं। इस गति से यदि काम होगा तो कैसे देश और प्रदेश का किसान का स्तर ऊपर उठेगा दूसरी तरफ इस व्यवस्था के बावजूद सरकार को ध्यान देना नितान्त आवश्यक है कि कृषि का उत्पादन जब बढ़ेगा जब उत्पादकों को उसका सही मूल्य मिलेगा। जितनी भी मंहगाई आज बढ़ रही है। वह सब किसानों से ही अधिक सम्बन्धित है। चाहे खाद हो, बीज हो, कृषि में काम आने वाले उपकरण हों। इन्हीं सब चीजों के ऊपर मंहगाई बढ़ रही है। जिसे 80 प्रतिशत किसान ही भोग रहा है। उसे दिल्ली और लखनऊ के रहने वाले लोग नहीं भोग रहे हैं। इसलिए सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान किसान का ही हो रहा है। आज वास्तविकता तो यह है कि भाव अगर गिरे हैं तो उस चीज के गिरे हैं, जिनसे सीधा सम्बन्ध किसान की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। आज अगर किसान मक्का बोता है तो उसकी लागत प्रति किलो पर लगभग 3-4 रु0 पड़ती है और जब बिकने को जाता है तो 3-4 आने में बिकता है। यही हाल गन्ने का भी हमारे प्रदेश में है। मुझे एक बात याद आती है आज से कुछ वर्ष पहले कि जब कुछ किसानों ने गन्ने को लेकर प्रदर्शन किया था तो उसमें वह लोग यही नारा लगा रहे थे कि "तुम्हारे प्यार में, गन्ना गया रुपया चार में।" 4-6 रुपये गन्ना बिका और आज लकड़ी 20 रुपये कुंतल बिक रही है। एक तरफ आप कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं किन्तु जो किसान सही रूप में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उसका सही मूल्य उसके उत्पादन का आप नहीं देते हैं। आज जब किसान गेहूं बेंचता है तो एक रुपया पांच पैसे किलो बिकता है और जब वही किसान गेहूं का बीज खरीदता है तो उसे 3 रुपये और साढ़े तीन रुपये में खरीदना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि कृषि का उत्पादन बढ़े तो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि किसान को उनके उत्पादन का सही मूल्य मिले। उनका मनोबल ऊंचा हो उनकी हैसियत बढ़े तभी उत्पादन बढ़ सकता है। सिंचाई और खाद की समुचित व्यवस्था अगर आप करेंगे और किसानों को थोड़ी भी मदद देंगे तो आज का किसान इतना जागरूक है कि वह कृषि का उत्पादन बढ़ायेगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं मेरे जिले का नाम जहां से मैं चुनकर आता हूं उसका नाम आजमगढ़ है और मेरे क्षेत्र का नाम भी आजमगढ़ है। जब हम

(श्री राम कुंवर सिंह--)

उत्पादन की बात करते हैं दुर्भाग्य है कि आज तक वहां पूरे क्षेत्र में सिंचाई के साधन बिल्कुल नहीं है । पूरे क्षेत्र में केवल एक ट्यूबवेल ह । जिस क्षेत्र से म जीतकर आया हूं उस पूरे क्षेत्र में केवल 9 किलोमीटर पक्की सड़क बनी हं, अस्पताल एक भी नहीं है, वहां पर एक भी बिजली का बल्ब नहीं जलता है । मैं मंत्री से और सरकार से निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ पूर्वी जिले और उन पूर्वी जिलों में सबसे पिछड़ा हुआ आजमगढ़ जिला और उस आजमगढ़ में सबसे पिछड़ा हुआ गहवरपुर क्षेत्र है । तो इन शब्दों के साथ मैं अपने कृषि मंत्री जी से और सरकार से कहूंगा कि जिन जिलों में आज तक उद्योग नाम का कोई काम नहीं हुआ है वहां लोग खेती पर जिन्दगी निर्वाह करते हैं इस प्रकार से टूटे-फूटे शब्दों में जो सुझाव हमने रखे हैं मंत्री जी उन पर अधिक बल देकर कृषि उत्पादन बढ़ायेंगे, धन्यवाद ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, आपने जो समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, भारत वर्ष कृषि प्रधान देश है और यह उत्तर प्रदेश है जहां 80 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं जिनकी जिन्दगी खेती पर चलती है । मान्यवर, आज खेती की हालत खराब है । आज खाद के दाम, बिजली के दाम, पानी के दाम बढ़ा दिये गये हैं उसके साथ-साथ मान्यवर, आज खेती की पैदावार घट रही है, उसके कारण किसानों के पास पैसा नहीं है और अधिक पैसा लगाकर जब किसान फसल पैदा करता है तो उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जहां पानी के दाम बढ़े है, मान्यवर, सारे पूर्वांचल में बाढ़ के कारण, पानी जमा होने के कारण धान की फसल नष्ट हो गई है । जो बची है वह भी झुलसा रोग से बेकार हो रही है । मान्यवर, किसान जो दवाई छिड़क रहा है वह इतनी बेकार है कि 2-2, 3-3 बार छिड़कने के बाद भी रोग बढ़ता जा रहा है । मान्यवर, जब किसान बुआई करके उसके बाद पैदा करता है तो फसल का दाम तय होता है । मान्यवर, जब किसान अधिक पैसा लगाकर मजदूरी देकर, अधिक खाद आदि से पैदावार करता है तो उसका दाम जो तय होता है वह बहुत कम तय किया जाता है । मान्यवर, आपने जो पुस्तिका उपलब्ध कराई है उसमें है कि जब बीज तैयार किया जाता है तो उसकी लागत 108 रुपये कुन्तल लग रही है । तो मान्यवर, किसानों की लागत 108 रुपये नहीं तो कम से कम 100 रुपये से कम नहीं पड़ेगी । और उसके बाद गेहूं का रेट जो तय करते हैं 112, 15, 17 रुपये वह कितना कम है । मैं चाहूंगा कि आज फसलों के दाम बोआई से एक माह पहले तय कर दें ताकि किसान कर्ज लेकर पैदावार अधिक से अधिक बढ़ा सकें । मैं चाहूंगा कि जब धान पैदा हो जाता है तो मजबूरी में किसान सस्ते दाम पर बेचता है और सेठ साहूकार मंहगा बेचते हैं । इसलिए नियम बना दें कि 16 फीसदी से अधिक भाव सेठ साहूकार न लेने पावें । लघु सिंचाई के बारे में आप जानते हैं कि आज सिंचाई के साधन, बिजली की स्थिति क्या है, 3-4 घण्टे बिजली मिल रही है । लघु सिंचाई के अन्तर्गत पम्पिंग सेट सवा छः एकड़ तक के किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर खरीदने की अनुमति प्रदान करें ताकि सिंचाई के साधन बढ़ सकें ।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जो मण्डी समितियां हैं, देवरिया जिले में एक स्थान है गौरी बाजार जहां पर 2, 3 सौ क्विंटल गेहूं रोज बिकता है । बिहार जाता है

या कहीं और चला जाता है, मैं चाहूंगा कि मण्डी समितियां गौरी बाजार में स्थापित की जायें यहां रेलवे का साधन है रोडवेज की बसें आती जाती हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको इस कृषि विभाग में कृषि निदेशक से लेकर आपका जो सीड स्टोर इंचार्ज है 50 करोड़ के ऊपर गबन किये हैं और तमाम जांच भी हुई है लेकिन वे आज भी नौकरी में बरकरार हैं। 25 ऐसे हैं जो 2, 3 लाख से ज्यादा गबन करके बरकरार हैं। मैं चाहूंगा कि आप विशेष सेल नियुक्त करके कृषि निदेशक से लेकर सीड स्टोर इंचार्ज तक के जो गबन हैं उसकी जांच करा लें और सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

हार्टिकल्चर निदेशालय के जो डाइरेक्टर हैं तिवतिया साहब वह पहाड़ के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वह पूर्वी और मैदान के बारे में कुछ नहीं सोचते। ऐसे अधिकारी से क्या लाभ जो पहाड़ और पूरब, पश्चिम की बात करें। बरहज में एक कोल्ड स्टोरेज है जहां 12 लाख रुपये का आलू सड़ गया। तमाम कृषकों ने लिखा पढ़ी की, मांग पत्र भेजा कि मुआवजा दिलवाया जाये लेकिन आज तक बरहज कोल्ड स्टोर से कोई पूछने वाला नहीं है। तो कृपया उधर भी ध्यान दें कि जो 1978–79 में जिनका आलू सड़ गया उसका मुआवजा दिलवाने का कष्ट करें।

आलू की हालत आप जानते हैं। देवरिया जिले में आलू का एक बडवा फार्म है जिससे बीज किसानों को नहीं मिलता है और पिछले साल आलू गायब कर दिया गया और कहा गया कि फैजाबाद और इधर–उधर जा रही है लेकिन मुझे मालूम है कि बिचौलियों द्वारा वह देवरिया, पडरौना, गौरा बाजार में बेचा गया।

पशु पालन के बारे में कहना चाहता हूं कि आज देवरिया जिले में बीमारी के कारण सैकड़ों पशु बीमारी से मर गये और झूठमूठ में कागज में कहते हैं कि टीका लगवा दिया लेकिन कहीं भी टीके नहीं लगाये गये। झूठ–मूठ में रिपोर्ट करते रहे हैं लेकिन आज भी पशु बड़ी संख्या में बीमारी से मर रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इधर भी ध्यान दें। और दूसरी बात कहूंगा कि आपका जो गोरखपुर राजकीय विद्यालय है, उसमें लड़कों के ऐडमीशन का इंटरव्यू हो गया है, उसकी लिस्ट बन गई है लेकिन ऐडमिशन रोक दिया गया। मेरा निवेदन है कि उस लिस्ट को तुरन्त लागू किया जाय ताकि लड़कों का ऐडमीशन हो सके।

*श्री भोला पाण्डेय––

मान्यवर, आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस देश की आत्मा गांवों में बसा करती है और गांवों के अधिकतर लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर रहा, करता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भोला पाण्डेय--]

लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सन् 1977 से 1979 तक जो जनता पार्टी और लोकदल की हुकूमत इस प्रदेश में चल रही थी, उसके जिन लोगों ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वायदे किए थे, उस जनता पार्टी और लोकदल के हुकूमत करने वालों ने किसानों की आत्मा में एक-एक कील ठोंकने का काम किया। हमारी पार्टी हुकूमत के अंदर आई और उस समय किसानों के बीच जो वायदे किए गए थे, मुझे पूरा यकीन है कि इस बजट को देखकर असहाय हो रहा है कि हमारी सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने में सक्षम होगी। लेकिन इसके साथ-साथ मान्यवर, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस बजट को पेश करके एक महत्वपूर्ण अध्याय कृषि विभाग में जोड़ा है।

मान्यवर, इसी के साथ में आपकी मारफत से, कुछ ठोस और स्पष्ट सुझाव भी देना चाहता हूं। मान्यवर, जैसा कि आप चाहते हैं, औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन इन दोनों में समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। हम गांवों के विकास गांवों की समस्याओं और किसानों की समस्याओं के समाधान के बारे में जो कल्पना करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि जो औद्योगिक उत्पादन मूल्य हुआ करता है और जो कृषि उत्पादन का जो मूल्य हुआ करता है, उसमें समानता लाई जाय। मान्यवर, जनता पार्टी के जमाने में जो कृषि यंत्र और किसानों को उपलब्ध कराने वाले बीज थे और कृषि कार्य में लगने वाले जो अन्य तमाम चीजें हैं उनके मूल्यों में वृद्धि हुई। लेकिन मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि चीनी के दाम सरकार ने बढ़ाये। लेकिन जिस तरह से चीनी के दाम बढ़ाये हैं, उसी तरह से किसानों को गन्ने का मूल्य अधिक किया जायेगा और मुझे यकीन है कि माननीय कृषि मंत्री जी गन्ने का मूल्य बढ़ाने की कृपा करेंगे।

दूसरी बात, जो सामने आ रही है, वह कीमतों की बात है। कृषि वस्तुओं के उत्पादक और सरकार के बीच एक बाजार की समस्या हुआ करती है। उनमें मूल्यों के निर्धारण, वस्तुओं के वितरण और खरीददारी की बात हुआ करती है। मान्यवर, जनता सरकार में देखने को मिला कि उसने बिचौलियों का काम किया तथाकथित जनता पार्टी के नेताओं ने। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार बिचौलियों को समाप्त करेगी और सीधा सम्बन्ध किसानों और सरकार के बीच स्थापित करेगी। इस बाजार की उचित व्यवस्था के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है और हम इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो युवा किसान हैं, उनको प्रोत्साहित किया जायेगा और उनको सही मायने में प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि हमारे युवा किसानों के सामने जो तरह-तरह की समस्यायें हैं उनका समाधान किया जा सके और सबसे पहली जरूरत है कि उनको प्रोत्साहित किया जाय ताकि वे आगे बढ़कर कृषि कार्य के लिए आ सकें। इसी के साथ यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि कृषि विभाग के अंदर जो नियुक्तियों का सवाल आता है, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता किसानों के घरों से आए हुए बच्चों को दी जाय और उनको कृषि विभाग के अंदर होने वाली नियुक्तियों में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, पश्चिमी बंगाल में वहां की सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि जो वहां वृद्ध किसान हैं उनको पेंशन दी जायगी। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार के निर्णय को देखते हुए, जो वहां पर जनवादी हित

में काम किया गया है तो इस सूबे के अंदर भी वृद्ध कृषकों को पेंशन देने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, जहां तक कोल्ड स्टोरेज का सवाल है, कई जगहों पर देखने को मिलता है, मैं केवल अपने जनपद की ही बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरे सूबे के अन्दर जो कोल्ड स्टोरेज वहां पर आलू रखने की स्थिति नहीं है। आलू सड जाता है किसान का। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कृषि मंत्री जी से कि जो पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में बने हुए कोल्ड स्टोरेज हैं उनके ऊपर सरकार नियंत्रण रखे और सुव्यवस्थित तरीके से वहां आलू रखने का इंतजाम किया जाय। इसके साथ ही साथ कृषि के उत्पादन को जहां बढ़ाने की बात है वहां कृषकों को सम्मान देना बहुत जरूरी है। सम्मान कैसे दिया जाय जिससे वह खेती के काम को आगे बढ़ा सकें इसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। मुझे उम्मीद है कि छोटे तबके के किसानों को सम्मान देकर खेती के काम को आगे बढ़ायेंगे।

मान्यवर, कई जगहों पर आज बाढ़ की बीभत्स विभीषिका है, बड़ी भयानक स्थिति है। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, बीज की व्यवस्था नहीं है, खाद की व्यवस्था नहीं है। बाढ़ से प्रदेश की तमाम जनता त्रसित है। मैं जोरदार शब्दों में मांग करना चाहता हूं कि बलिया के दोआबा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं वहां एक-एक इंच जमीन जलमग्न हो चुकी है। वहां बीज और खाद बाढ़ पीड़ितों में मुफ्त रूप से वितरित करें। मान्यवर, बीजों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने आरोप लगाए हैं। मैं मानता हूं और इस बात से इंकार नहीं करता हूं कि जो हमारा डाइरेक्ट्रेट आफिस है, कृषि विभाग का निदेशालय है, वे निदेशक महोदय के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कई वर्षों से वहां कृषि विभाग में वह सेवा कर रहे हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि निदेशक महोदय का सीधा सम्बन्ध गांवों से नहीं रह गया है। इसलिए जरूरी है कि कृषि विभाग के अंदर जोरदार तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन का तरीका अपनाया जाय जिससे गांव की जनता से इसका सीधा सम्बन्ध हो सके। प्लांट प्रोटेक्शन विभाग का जहां तक सवाल है, दवा छिड़कने में, हर चीज का दुरुपयोग इस समय भी, हमारी सरकार के अंदर हो रहा है। मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता, मैं स्वागत करता हूं, पशुपालन विभाग के अधिकारी जब से कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आई है तबसे पशुपालन को और समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री भोला पांडेय--

चूंकि मैं बलिया जनपद से आता हूं, उस क्षेत्र की तरफ मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां एक डेरी फार्म दोआबा क्षेत्र में खुलवाने की व्यवस्था की जाय।

[श्री भोला पाण्डेय--]

लालगंज बाजार, रेवती बाजार, सोरांनी, बादिलपुर में ठंडाघर खुलवाने की व्यवस्था करें ।

(कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । एक चीज समझ में नहीं आती है कि बोलने का अवसर आप स्लिप के आधार पर या सीनियारिटी के आधार पर देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अपने विवेक के आधार पर देता हूं ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, हमारी जो अर्थ व्यवस्था है उसका मूल आधार कृषि है और अपने प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का 70 फीसदी आबादी जो है वह कृषि के ऊपर आधारित है, बाकी 30 फीसदी में से बहुत से उद्योग-धंधे ऐसे हैं जो कृषि पर आधारित हैं । तो चाहे जो योजना बनाई जाय वह तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक उस 70 फीसदी के हित होने की योजना दृष्टि में रखकर न बनाई जाय । विशेष रूप से अपने प्रदेश में जो किसान हैं उसमें 14 फीसदी किसानों को छोड़कर 86 फीसदी किसान गरीबी की रेखा के नीचे का जीवन बिता रहे हैं । तो जो योजना बनाई जाय वह ऐसी हो जिससे किसानों का हित हो सके और उसमें जो पिछड़े प्रदेश के हिस्से हैं जैसे बुन्देलखंड, उसको विशेष स्थान होना चाहिए । बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि चाहे बजट कृषि का हो या दूसरे बजट हों प्रदेश में जो पिछड़े क्षेत्र हैं जैसे बुन्देलखंड उनकी तरफ कभी भी प्रदेश की सरकार का ध्यान नहीं जाता है और पूर्व की तरफ तथा पहाड़ की तरफ ध्यान दिया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा तो आपकी तरफ ध्यान गया है ।

श्री शंकर सिंह--

उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, किसान की तरक्की तभी हो सकती है जब सबसे पहले उसको उसकी उपज का उचित मूल्य मिले । मान्यवर, पिछले दशक के पहले से देखें तो जाहिर हो जाता है कि कृषि उत्पादन जो किसान करता है उसमें चाहे गेहूं हो, गन्ना हो या आलू हो उसका आज जो मूल्य वही है जो 10-12 वर्ष पहले रहे हैं, उसमें कहीं भी विशेष बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, कभी-कभी किसान को कुत्ते की तरह टुकड़े फेंककर एक-दो रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी जाती है जिससे किसान की हालत नहीं सुधरने वाली है । अफसोस होता है कि पिछले दशक के अंत में जब गल्ले की कमी हुई और भयंकर स्थिति आ गई तो बाहर से गल्ला आयात किया गया तो उस समय देश के किसानों को आवाहन किया गया तो देश के किसान ने अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई

52--कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक-विकास), अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 98--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम

और अपना ध्यान न रखकर अपनी जमीन और जेवरों को गिरवी रखकर उत्पादन के लिए उसने सारी चीजें दांव पर लगा दिया लेकिन आज उसकी हालत खराब है और आप देखें कि प्रदेश का अधिकतर किसान कर्जदार है । आपने साहूकारों को गांव में समाप्त कर दिया लेकिन कोआपरेटिव संस्थायें, लैन्ड डेवलपमेन्ट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक नये साहूकार बन गये हैं और इस तरह साहूकारी प्रथा समाप्त नहीं हुई है । आज 50 फीसदी किसान कर्ज को नहीं दे पा रहे हैं । उनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वह कर्जे का भुगतान कर सकें । इसलिए मान्यवर, सरकार को इस पर सोचना चाहिए ।

मान्यवर, बुन्देलखंड पूरा सूखा का मारा है । पिछले साल सूखों में अधिकांश जालौन का रकबा बोया नहीं जा सका । वहां सिंचाई के कोई साधन नही हैं । बेतवा कनाल से थोड़ा पानी मिलता है लेकिन पानी न बरसने से जलाशय सूख गये, बिजली नहीं जिससे ट्यूबवेल बंद पड़े रहे । उसका नतीजा हुआ कि पिछले वर्ष से किसान किस तरह जिंदा है उसको वहां का किसान ही जानता है और अबकी अतिवृष्टि ने किसानों को मार दिया । 75 फीसदी मकान ध्वस्त पड़े हुए हैं । मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप अपने स्तर से जितने किसानों के ऋण हैं उनको माफ कर दें तभी किसान जिन्दा हो सकते हैं वरना उनको बचाने वाला कोई नहीं है । किसान इतने गहरे गड्ढे में चला गया है कि उसको उठाया नहीं जा सकता । इस बात को आप जरूर नोट कर लें ।

दूसरी चीज जहां किसानों को उचित मूल्य मिल सकें वहीं कृषि उत्पादन बढ़ाना भी आवश्यक है जिसके लिए अच्छे बीज, अच्छी किस्म की खाद, पानी और फसल की सुरक्षा वे चार चीजें आवश्यक हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन चार चीजों में से कौन सी चीज आपके हाथ में है । जहां तक मूल्य का सवाल है समझता हूं वह आपके हाथ में नहीं है । उसके लिए कमीशन बैठा है, केन्द्र बैठा है, ए0 पी0 सी0 हैं । वहां पर आप को सुनने वाला कोई नहीं है । आप तो कह देंगे कि कृषि मंत्री होने के नाते मैंने तो 1.75 गेहूं का मूल्य रखा था लेकिन ए0 पी0 सी0 नहीं माने । यह आपके हाथ में नहीं है । जहां तक बीज का सवाल है मैं समझता हूं कि बीज का वितरण भी आपके हाथ में नहीं है । बीज का वितरण अधिकतर सहकारी संस्थायें करती हैं । आपके महकमे से जो थोड़ा बहुत बीज दिया भी जाता है उससे उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है । आपका जो नेशनल सीड्स कारपोरेशन है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है । टी0 डी0 सी0 से थोड़ा बहुत बीज आपको मिल सकता है । आपने सीड सर्टिफिकेशन संस्थान और खोल दिया है । इस संस्था से किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा है । हमारे डिस्ट्रक्ट जालौन में टी0 डी0 सी0 का प्रोग्राम दिया गया, एन0 एस0 सी0 का प्रोग्राम दिया गया लेकिन किसान अपना बीज न टी0 डी0 सी0 के पास पहुंचा सका न एन0 एस0 सी0 के पास । आपका एक बीज एन0 एस0 सी0 पास करता है टी0 डी0 सी0 उसको फेल कर देता है । उसका कारण क्या है । एन0 एस0 सी0 कहता है कि आपके बीज में जो फारेन

[श्री शंकर सिंह--]

मैटर है उसको साफ कर सकते हैं । डी० डी० सी० कहता है कि फारेन मैटर का कानपुर में जो प्रोसेसिंग प्लान्ट लगा है उसमें प्रोसेसिंग कर देंगे, इसमें कोई फारेन मैटर नहीं बच सकता है । आपकी जो सीड सार्टिफिकेशन संस्था है वह इसको मानने के लिए तैयार नहीं है । पिछले वर्ष किसानों को इसी तरह परेशान किया गया । हमारे यहां के बहुत से किसान प्रोग्राम किए थे । बीज फेल होने पर डाइरेक्टर को उन्होंने अपने सीड भेजे निदेशक ने डिप्टी डाइरेक्टर को एन० एस० सी० कानपुर भेजे । उन्होंने अपने सामने प्रोसेसिंग किया और प्रोसेसिंग करने पर उन्होंने खुद प्रमाणित किया कि सीड में कोई फारेन मैटर नहीं है । किसानों को परेशान करने से फायदा क्या है । इस तरह से कि आपका बीज खराब है उसमें फारेन मैटर आ जाता है, इस तरह का बहाना लेकर किसानों का हित होने वाला नहीं है, जबकि प्रोसेसिंग प्लान्ट में बीजों को प्रोसेस किया जाता है और प्रमाणित किया जाता है । इस तरफ आप ध्यान दें ।

खाद के बारे में बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जो रेट कुछ महीनों पहले जनता पार्टी सरकार, लोकदल सरकार ने लागू किए थे उनमें कमी कर दी गयी थी उनमें बढ़ोत्तरी हो गई है । 20 प्रतिशत किसानों को सब्सीडी दी जा रही थी । यूरिया 75 रुपया बोरी मिलता था । आज वह 105 रुपये में मिल रहा है । आपका डी० ए० पी० का रेट आज 156 रुपया है । क्या तमाशा है । एक तरफ किसान जो उत्पादन करता है उसमें दो रुपया बढ़ोत्तरी मिलती है जबकि दूसरी तरफ जो चीज आपकी फैक्टरी में होती है उसके दाम डेढ़ गुना ज्यादा कर दिये जाते हैं । तो कम से कम आपके हाथ में यह काम हो और उसमें आप विचार करें । इसके अलावा सिंचाई का जहां तक सम्बन्ध है सिंचाई का बजट आने पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा । फसल की सुरक्षा के सम्बन्ध में यह कहूंगा कि यह विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है । आप कहते हैं कि बहुत अच्छी दवायें देंगे लेकिन देखा यह गया है कि उनके छिड़कने से पौधे मर जाते हैं । आप सर्विस चार्जेज लेते हैं लेकिन उसके लिए आदमी पहुंचता ही नहीं और छिड़काव करने वाले यंत्र खराब पड़े रहते हैं किसान को लाभ नहीं पहुंचता । इटावा में जब आप छिड़काव करायें तो भोला पांडे जो आपके साथ होंगे ही तो जहाज जालौन की ओर भी मोड़ कर वहां भी छिड़काव करवा दीजियेगा । बलराम होने के साथ आप हलधर भी हैं । हलधर से हमारी सहानुभूति है । हमारे जिले के पड़ोसी होने के नाते आप हमारा भी ख्याल रखियेगा ।

श्री सोमाश प्रकाश--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है । हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषक को रोटी की हड्डी के समान समझा जाता है बीज के ऊपर आज सबसे ज्यादा ध्यान हमारा होना चाहिए ।

(इस समय 3 बजकर 41 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

बीज से ही हमारे उत्पादन पर असर पड़ता है । अच्छे किस्म का तथा उन्नतशील बीज होगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा । अगर बीज में कमी है तो उत्पादन पर भी उसका असर पड़ेगा । बीज के बारे में बहुत गंभीरता से मंत्री महोदय

विचार करें । सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है जब बीज का वितरण हो तो वह इस प्रकार से किया जाय अगर किसान को मिले हुए बीज में कोई कमी आती है तो यह देखा जाये कि वह कहां से आया है । बोने के बाद इस बात का पता नहीं चलता कि वह कहां से आया । जहां से वह चला वहां बैग पर उसका नाम होना चाहिए और उस पर खराब बीज की जिम्मेदारी डाली जाय । इसके अलावा जो उन्नतिशील बीज हैं वह हमारे प्रदेश के बड़े तथा साधन सम्पन्न किसान को ही मिल पाता है, छोटा कृषक उसे बीज का फायदा नहीं उठा पाता है । जब तक उस बीज का लाभ छोट किसान को नहीं मिलेगा तब तक उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं हो पायेगी । इसके लिए मेरा सुझाव है कि छोटे किसान को बीज में सबसिडी दें और उसको थोड़ी कीमत पर उन्नतशील बीज दिलाया जाय । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम अपने प्रदेश का उत्पादन नहीं बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन की बात आती है । यह सही है कि अच्छे बीज से पैदावार बढ़ती है लेकिन जब उसमें बीमारियां लग जाती हैं तो उसका असर फसल के उत्पादन पर पड़ता है । देखा यह गया है कि आपका विभाग इस सम्बन्ध में किसान से कोई सम्पर्क नहीं रखता है । इसके लिये प्रभावशाली कदम उठाया जाय । कर्मचारी जो हैं वे किसानों से सम्बन्ध स्थापित करें और अच्छी से अच्छी दवा सुचारू रूप से किसानों को उपलब्ध कराई जाय और वे उनको यह भी जानकारी दें कि कौन सी बीमारियां लगी हैं और क्या दवा छिड़की जायगी । जो हमारे प्राइवेट दवाइयों के उत्पादन करने वाले हैं वे अपना प्रतिनिधि रखते हैं प्रचार के लिए । उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वे किसानों से सम्बद्ध होते हैं वे जाते हैं और किसानों को बताते हैं हमारी कम्पनी ने दवा निकाली है और आप दवा छिड़किये। मान्यवर, मैंने कभी नहीं देखा कि हमारी कृषि विभाग के कर्मचारी किसानों के पास गये हों और उनको इसके बारे में बताये हों । इसका मुझे बहुत अफसोस है । इसके साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि विभाग द्वारा जो दवा दी जाती है वह महंगी होती है और आम बाजार में वही दवा सस्ती बिकती है । इस ओर भी मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में वे पता करें कि क्या कारण है कि आपके विभाग वाले उसी दवा को मंहगी देते हैं और बाजार में सस्ती है । इसके अतिरिक्त फलों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । हमने अपने प्रदेश में फलों के बारे में स्कीम भी बनायी है, प्रोग्राम भी हमारा है कि हम अधिक फल उगायें । लेकिन इस सम्बन्ध में भी विभाग के कर्मचारियों की तरफ से हमारी बागों के कृषकों को सहायता नहीं दी जाती है । उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रखा जाता है । वे न वहां जाते हैं और न ही वहां कोई प्रभावशाली कदम उठाते हैं । उनकी तरफ से हम लोगों को कोई सलाह मशविरा या किस तरह की हमें परेशानी हो रही है या उसके सम्बन्ध में कोई राय वगैरह हमें उनसे नहीं मिलती है । अतः, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा कि हार्टिकल्चर इन्स्पेक्टर के पास एक रजिस्टर रख दिया जाया करे जिसमें यह दर्ज हो जाये कि उसने हर महीने में दो बार फलों उद्यान मालिक से मिला और उनको फलों की परेशानी का समाधान किया । एक

[श्री सोमांश प्रकाश--]

निश्चित क्षेत्र उसको दे दिया जाय जिससे कि वह वहां के उद्यान मालिकों से सम्पर्क स्थापित कर सके। साथ ही उसमें यह भी देखा जाय कि उससे फलों के उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई ह।

मंडी स्थल की बात भी यहां पर कही गई। मेरे जनपद में दो मंडियों के स्थल हैं एक मुजफ्फरनगर और शामली। मान्यवर, मैंने देखा है कि आजतक कोई भी व्यापारी वहां नहीं गया है। इन मंडल स्थल पर लाखों, करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हुआ और एक भी व्यापारी वहां अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिये आप इस दिशा में सख्त कदम उठायें और व्यापारियों को मंडी स्थल पर भेजें। अगर ऐसा नहीं होगा तो दो-चार साल बाद वह मंडियां गिर जायेंगी और बरबाद हो जायेंगी। इसलिये इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

पशुधन के विषय में निवेदन करना चाहूंगा कि पशु हमारे किसान की सम्पत्ति हैं। हमारा जो एनिमल हस्बेंडरी विभाग है उसके द्वारा पशुओं का ठीक तरह से इलाज नहीं होता है। आज भी जो हमारे पहले के लोग पशुओं का इलाज करते थे वे ही उल्टी सीधा दवायें दे देते हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हमारे इस विभाग के कर्मचारी भी इस सम्बन्ध में किसानों से सम्पर्क नहीं रखते हैं और नहीं मिल पाते हैं जिसके कारण उनको बहुत परेशानी होती है। इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इस तरफ प्रभावशाली कदम उठाये जायें जिससे किसानों को किसी शिकायत का मौका न रहे।

फसलों के बीमे के बारे में कहना चाहता हूं कि फलों का भी बीमा होना चाहिये। यह एक बहुत अच्छी योजना है और अत्यन्त आवश्यक है। देवी आपदायें आती हैं और इस योजना के अन्तर्गत उनको राहत दी जा सकती है। अगर हम यह योजना प्रारम्भ कर दें तो किसान को सुविधा दे सकते हैं।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने चौथे नम्बर पर मेरा नाम भेजा है

श्री अधिष्ठाता--

इधर से एक सदस्य के बोलने के बाद आपको मौका मिलेगा।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे कृषि के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है। मान्यवर, हम चाहे जिस दल से आते हों जिस किसी दल में विश्वास रखते हों सब लोग किसान को भगवान मानते हैं। वे किसान को एक नम्बर पर और भगवान को दूसरे नम्बर पर मानते हैं।

यह प्रसन्नता की बात है आज कृषि की उन्नति के लिये यह बजट रखा गया है लेकिन जब भी मैंने इस पर विचार किया तो मैंने पाया कि इस बजट को रखने में उन्होंने आंकड़ों के बीज डाल कर स्याही से सींच कर उसे कागज की कलम से फाड़ने की कोशिश की है और व्यावहारिक रूप में उनका किसान से कोई दूर का भी संबंध नहीं है। मेरा आग्रह है आपके माध्यम से और मंत्री जी को यह सुझाव देना है कि वह एक ऐसे निगम की स्थापना करें जिसके माध्यम से कृषि

52--कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक-विकास), अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 93--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम

कार्यों में लगने वाले बीज, खाद, बिजली, पानी और जो किसान की मजदूरी जोड़कर उसके उत्पादन का मल्य निर्धारण किया जा सके। उस पर आश्रित रहने वाले परिवार और उनके जीवन की व्यवस्था हो सके। वह संगठन किसानों के जीवन को ऊपर लाने का विचार कर। एक किसान का बेटा होने के नाते मैंने अनुभव किया है कि आज कितनी मजबूरी में खेती की जा रही है। अगर वह खेती नहीं करता है तो तुरंत बिक जायेगा और करता है तो धीरे-धीरे बिकेगा। मान्यवर, किसान की मजबूरी का उपहास ऐसे विवेकशील लोग ही कर सकते हैं। सत्ता पक्ष के लोग यह कहते हैं कि लोकदल और जनता पार्टी की यह देन है। आज जो इस पद पर हैं वह एक लम्बे समय तक सत्ता में बैठे रहे और आप सुधारवादी अपने को कहते हैं तो इस कलंक को आप धो सकें तो मैं आपको सहयोग करूंगा।

माननीय श्रम मंत्री जी ने खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की बात की है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो मजदूरी उनकी तय की गयी थी क्या उसे वह मजदूर आज पा रहे हैं। पहले जो मजदूरी वह पाते थे उसे भी आज आप नहीं दिला सकते हैं। कोरे कागजी नारों की सालीनता में आकर यह बात करते हैं। उनको सही रूप में जीने का हक आपने नहीं दिया है। मान्यवर, इस विभाग से सभी विभागों का संबंध है लेकिन सहकारिता विभाग से निकट का संबंध है। यह विभाग किसानों की खेती के पैसे की दृष्टि के सहयोग करता है और भोले-भाले किसानों से जो अपने घर पर बैठे हैं उनके नाम पर रुपया दिला देते हैं और वसूली के समय सूद और ब्याज सभी कुछ ले लेते हैं। उसे पैसा नहीं मिलता है किसान की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, शिकायतों की सही जांच करने की कोशिश नहीं की जाती। अगर आप यह सोचते हैं कि यह बजट आपने किसानों के हित के लिये रखा है तो यह सत्ता पक्ष के लिये लुभावना जरूर हो सकता है, यह आपकी मृग मरीचिका हो सकती है। इससे किसान का हित नहीं होने वाला है। यह आपकी कोरी आशायें हैं न इसमें फल है न फूल है।

मान्यवर, खाद आप सप्लाई करते हैं व्यावहारिक रूप में देखें तो खाद तब पहुंचती है जब बीज पड़ जाता है और जब उसका समय खतम हो जाता है। खाद बेचने की आपने जिसको अनुमति दे रखी है वह किसान को खाद नहीं देता है बल्कि एक आदमी को थोक में बेच देता है। खाद और बीज जिनको बेचने के लिए आपने एजेन्सी दिया है उनका किसान से दूर का भी संबंध नहीं है वह किसान की फटी चमड़ी को उधेड़ कर उसकी टोपी पहनना चहते हैं और उस चमड़ी की टोपी को पहनकर सुधार करने की बात सोचते हैं। आपका कृषि विभाग किसी प्रकार किसानों के हित में नहीं चल रहा है। आपका एक छोटा कर्मचारी पी0जी0आई0 होता है, वही इस विकास का भगवान है। मुझे व्यावहारिक अनुभव है कि मेरे जिले के कृषि अधिकारी और उप निदेशक बी0 जी0 आई0 को स्थान्तरित कर नियुक्ति करने में 25 और 50 हजार की रिश्वतखोरी करते हैं। मैं नाम भी बता सकता हूं। आपके पास क्या प्राविधान है इस

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र-]

धोटाले को रोकने का आपका वित्तीय प्रारूप मिथ्या है। जिला कृषि अधिकारी देवरिया की शक्ति के सामने स्वयं माननीय मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते। मुझ प्रसन्नता हुई कि आपने अवगत कराया कि मामले की जांच करेंग। उसके बाद प्रसन्नता हुई उनका स्थानांतरण कर दिया, उनकी जांच करा रहे हैं। लेकिन पुनः हताश हुआ। सुन रहे हैं कि उनका ट्रांसफर रुक गया है। मुझे आपकी नेकनियती में कोई कमी नहीं दिखलायी देती लेकिन आपके विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की नेकनियती में शंका है और निस्संदेह कोई काली बात कही है।

किसान गरीब होता है। हम सब किसानों के पुत्र हैं। किसानों को जो ऋण दिया गया है वह लम्बी किस्तों में वसूल किया जाय। आश्चर्य है कि शीत गृह शहरों में होते हैं और आलू ग्रामों में पैदा होता है, जहां से शहरों तक आने के साधन नहीं हैं, आलू सड़ जाता है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय पूरा हुआ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

आप शीतगृहों की स्थापना देहातों में करें, बिजली की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, जिससे किसान खुश हो। धन्यवाद।

श्री मुईद अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज कृषि बजट पर जो अनुदान रखा गया है उसके समर्थन में मैं बोलते हुए थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं। यह कृषि बजट कृषकों से सम्बन्धित है। यह बजट किसानों के हित में होना चाहिये, किसानों की राहत में होना चाहिये। किसान एक ऐसा वर्ग है जो देश का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। अगर किसान का विकास न हुआ, किसान समृद्धशाली न हुआ तो देश और प्रदेश का हित नहीं होगा। यहां का किसान बेजबान मजबूर है। वह अपनी बात कहना नहीं जानता। वह अपना संगठन बनाना नहीं जानता। इस प्रदेश में जितने भी विभाग हैं, जितने भी अधिकारी हैं सब अपने कामों का मूल्य, प्रतिफल चाहते हैं। लेकिन किसान बेजबान हो कर अपना काम कर देता है। उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है यह सरकार के ब्यूरोक्रेट तय करते हैं। वह किसान का दर्द क्या जानें ? जाके पैर न फटी बेबाई वे क्या जाने पीर पराई। किसान आज सबसे परेशानी की हालत में है और दिन-प्रति दिन परेशान होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पिछले ढाई सालों में रही है। आंकड़ों द्वारा इसको देखा जा सकता है। चाहे आलू रहा हो, चाहे गन्ना रहा हो, कोई भी फसल रही हो, आंकड़े देख लीजिये, पिछले साल जो आलू का भाव था वह देख लीजिये। (व्यवधान) मुझे बोलने दिया जाय तो बोलूं। (व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इस तरह से आप जितना समय इनका लेंगे, उतना समय इनका बढ़ेगा।

52--कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग औद्यानिक-विकास), अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या--59--पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 98--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम

[4 बजे अपराह्न]

श्री मुईद अहमद--

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि पिछले वर्ष आलू का जो भाव था वह प्रदेश के इतिहास में इतना सस्ता कभी नहीं रहा। वही स्थिति गन्ने की और अन्य अनाजों की भी रही थी। पिछले वर्ष क्रय-केन्द्रों पर जो गेंहूं बिकता था, उसे सीधे किसान वहां पर नहीं ले जा पाता था, जब तक बिचौलिया यानी बीच का बनिया उस गेंहूं को उससे खरीदकर, क्रय-केन्द्रों पर ले जाकर न दे। किसान गल्ला पैदा करे तो सबसे कम कीमत उसकी हो जाती है और जब किसान के अपने घर का पैदा किया हुआ गल्ला व्यापारियों के कोठे में पहुंच जाए तो उसका मूल्य कई गुना ऊंचा हो जाता है। तो यह प्रदेश की स्थिति है। जब किसान ने गेंहूं पैदा किया तो सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया, तो भी व्यापारी बीच में आ गया था और हर क्रय-केन्द्र पर वह पहुंच गया और उसके वजह से समर्थन मूल्य से भी कम मूल्य पर किसान का गेंहूं और अन्य अनाज बिका। किसान की हालत को और खेती को सुधारना है तो खेती के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, उनको उदार नीति के साथ, सब्सिडी (Subsidy) के साथ किसान को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तभी इस प्रदेश का उद्धार और कल्याण हो सकता है। चाहे वह बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स हों, सारे के सारे अनुदान के साथ किसानों को मिलने चाहिए। सरकार की तरफ से उसे जो सर्टीफाईड बीज उपलब्ध कराये जाते हैं, वह ऐसे होते हैं कि उनका काफी प्रतिशत जमता ही नहीं है। उन सर्टीफाइड सरकारी बीज पर किसान अपना खून पसीना बहाता है, लेकिन उसमें उसको कुछ नहीं मिलता है।

एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं। छोटा हो या बड़ा ट्रैक्टर हो या हल, उसके दाम चौगुने-बस गुने दामों पर बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई भी ट्रैक्टर जो पहले 30/40 हजार में आता था अब वह 70/80 हजार में है। यह किसान के यंत्रों की स्थिति है। इस प्रदेश और इस सरकार का दुर्भाग्य था कि खाद की कीमत बढ़ाई गई। उसके बाद यह तय हुआ जब सरकार पर प्रेशर पड़ा और आलोचना हुई, कि हम 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत लघु और सीमान्त किसानों को कटौती देंगे। किन्तु इसका भी कोई लाभ उन किसानों तक नहीं पहुंच सका है, जिसके लिए यह सुविधा दी गई। कटौती के माध्यम से केन्द्रों पर दलाल लोग इकट्ठा होते हैं और वही उसका लाभ उठाते हैं और बेजुबान किसान लाभ नहीं उठा पाता है। यह कटौती हटाकर, कुछ रुपया और देकर दाम गिरा दिया जाए, जिससे वास्तव में किसानों को कुछ राहत मिल सके। जनपद सुल्तानपुर में आज से 5 साल पहले एक भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया था, जो 74 में पूर्वांचल जिलों के अन्तर्गत एक अकेला केन्द्र था। लेकिन उसे भी नहीं रहने दिया गया और बाद में उसे बहुगुणा जी पौड़ी-गढ़वाल लेकर चले गये। लखनऊ में या पूर्वांचल में एक भी इस प्रकार का प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि उस प्रशिक्षण केन्द्र को वापस सुल्तानपुर भेज दिया जाए, जिससे

[श्री मुईद अहमद---]

पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के किसान लोग उसका फायदा उठा सकें। इसके अलावा जो आपका भूमि संरक्षण विभाग है उसमें कार्यरत लोग बैठकर अनियमितताय चला रहे हैं, वे हरामखोरी कर रहे हैं, उनके ऊपर आप निगाह रखिए और सख्त से सख्त कार्यवाही कीजिए। मान्यवर, हमारे जनपद सुल्तानपुर में एक तिवारी नाम के इस विभाग में कर्मचारी हैं जो डिप्टी डायरेक्टर से मिले रहते हैं। उनके खिलाफ मैंने एक शिकायत भी की है, अगर उसकी जांच की जाय तो पता लगेगा कि फर्जी भरती कर ली है, फर्जी प्रोमोशन्स कर लिए हैं और उनकी कमियां अवश्य निकलेंगी।

अन्त में, मैं दवाओं के बारे में कुछ कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, जो दवायें सरकार के द्वारा किसानों को दी जाती हैं उनमें कोई पोटेन्सियेलिटी नहीं रहती, ताकत नहीं रहती ताकि वे अपना असर कर सकें। ऐसा लगता है कि जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, वे उनमें मिलावट कर देते हैं जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो पाता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, आज जो सदन में बजट प्रस्तुत किया गया है मैं तो देखता हूं कि इसमें कोई नयी बात नहीं कही गयी है। यह एक प्रकार से मृगतृष्णा के समान है और पुरानी बोतल पर नया लेबिल लगाने की कल्पना मात्र है। मैंने इसकी सभी अनुदानों को देखा लेकिन मुझे किसी में भी कोई नयी बात दिखायी नहीं दी। अभी मैं अपने कई माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था। उसके दरमियान उनके द्वारा 3 साल के लोकदल और जनता शासन काल की जितनी भी बुराइयां वे कर सकते थे की लेकिन क्या उन्होंने अपने 31 वर्षों के शासन काल को और भी ध्यान दिया जब कि वे बरसरे इक्तिदार थे उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके प्रशासन में क्या-क्या नहीं हुआ ?

मान्यवर, हमारा देश और प्रदेश खेतिहर है। इसमें 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि किसान इस देश की रीढ़ है, इसकी सारी अर्थ व्यवस्था किसानों के ऊपर ही निर्भर करती है। इस बजट में यह आशा व्यक्त की गयी है और यह कहा गया है कि किसानों की हालत सुधारी जायेगी और उपज बढ़ायी जायेगी। तो यह उपज कैसे बढ़ेगी ? अनाज की उपज कैसे बढ़ेगी और दूसरी चीजों की उपज कैसे बढ़ेगी ? इनके लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है। खेती के लिए पानी और खाद की आवश्यकता होती है। कीड़े फसल न खा जायं, उसके लिए अच्छी दवाओं की जरूरत होती। इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। यह सरकार किसानों की बड़ी वकालत करती है, उनकी बड़ी हमदर्द बनती है मगर किसान की पैदावार को बढ़ाने के लिए जिस खाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसकी कीमत इस सरकार ने कितनी अधिक बढ़ा रखी है। पिछले साल किसान सूखे से तबाह हुआ, इस साल बाढ़ से हुआ, इसको देखते हुये मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि खाद की कीमत को कम किया जाये। आप अपने मंत्रि मन्डल की बैठक में खाद के दाम कम कराने के लिये सोचें। जनता सरकार के जमाने में खाद की बोरी का दाम 75

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

52--कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक-विकास), अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या--59--पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 98--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम

रुपये था, आपने कितने ज्यादा बढ़ा दिये हैं। जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छी थी।

अपने प्रदेश में ऊसर और बंजर भूमि लगभग 12 लाख हेक्टर के हैं। सरकार गरीबों को पट्टे पर जो जमीन देती है, उनकी आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण वे उस जमीन को खेती योग्य नहीं बना पाते। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे उस जमीन में अच्छी खाद और अच्छा बीज डाल सकें। नतीजा यह होता है कि उपज अच्छी नहीं हो पाती। इसके लिए मेरा सुझाव है कि सरकार एक खेतिहर सेना भर्ती करे। जो जमीन बंजर हो उसको पहले खेती योग्य बनाया जाये और उस पर होने वाला सारा खर्च सरकार स्वयं वहन करे। जब वह जमीन खेती योग्य हो जाये तब उसे किसान को दिया जाये पट्टे पर। आज बंजर जमीन किसान के नाम लिख दी जाती है और उस पर लगान पड़ने लगता है जब कि उपज अधिक हो नहीं पाती।

खेती के विकास के लिये यह आवश्यक है कि किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाये। इसके लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिये और कृषि की शिक्षा कम्पलसरी कर दी जानी चाहिए स्कूलों में।

दलहन और तिलहन की उपज बढ़ाने पर बड़ा जोर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन आप देखें कि आप को तेल भी बाहर से मंगाना पड़ रहा है। एक तरफ दलहन पर सरकार काफी पैसा खर्च करती है और मान्यवर, हम सभी लोग जो हैं, जब घर में खाना खाने जाते हैं, तो खाने के साथ जो दाल की कटोरी होती है, वह रोजमर्रा छोटी होती चली जा रही है। इसका सीधा, साफ मतलब है कि दाल की पैदावार अपने देश में बहुत कम हो रही है। मान्यवर, दाल में बहुत प्रोटीन होती है, तो मान्यवर, मेरा सुझाव है कि वास्तव में सरकार यह चाहती है कि हम दलहन और तेलहन को अगर बढ़ावें, तो इस बात को सोचना पड़ेगा। इन सुझावों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, इनको कटोरी छोटी होती चली जा रही है, इनको कटोरा दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय प्रदीप कुमार जी आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

श्रीमती बेनी बाई--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन के लिए खड़ी हुई हूं। मान्यवर, यह हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान देश है और इसकी 85 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, जिनका मुख्य रोजगार खेती है।

[श्रीमती बेनी बाई--]

इसके लिए मान्यवर, बीज खाद पानी वगैरह समय पर मिल जाय, तो बुंदेलखंड ही पूरे उत्तर प्रदेश को खिला सकता है। यह जो नई वैराइटी के बीज हमारे यहां पर बांटे जाते हैं, उनको बेंचा जाता है, उसमें होता क्या है कि बड़ा किसान तो खरीद लेता है, लेकिन छोटा किसान उस बीज को नहीं खरीद पाता है। मेरा आपके द्वारा मान्यवर, निवेदन माननीय मंत्री जी से है कि जैसे अन्य बीज सवाये पर देते हैं, उसी तरह नया वैरायटी के बीज, जो पंतनगर का है, उस को भी सवाये पर दें। इसी तरह से खादें डी० ए० पी० यूरिया तथा अन्य खादें जो हैं, उनके दाम बहुत हाइएस्ट हो गये हैं, जो बोरी 100 रुपये की मिलती थी, वह 150 की हो गयी और जो 80 को मिलती थी, वह 125 की हो गयी है। तो मान्यवर, बड़ा किसान तो इस खाद को खरीद लेता है, लेकिन छोटा किसान नहीं खरीद सकता है, जिससे उसकी हालत वहीं पर ज्यों के त्यों रह जाती है। इस तरह से भूमि संरक्षण में आपके यहां खेती बंधियो डाली जाती है। भूमि संरक्षण अधिकारी बीज ठेके पर देते हैं, होता क्या है, गांवों में जाकर मजदूरी किसी को 3 रुपये किसी को 4 रुपये देते हैं। मैं चाहती हूं कि जो सरकारी रेट है, उसी पर दिया जाना चाहिये। जब फसल होती है, उस समय यह बंधियों का काम शुरू होता है। मैं चाहती हूं कि जब फसल कट जाय तब चालू होना चाहिये, नहीं तो होता क्या है, एकड़ों जमीन बेकार हो जाती है। आपने जो भूमि संरक्षण समिति जिलों में एक आदमी की बनाई है यह कम से कम 10 आदमी की समिति होना चाहिए। जो सही सजेशन दे सके।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्रीमती बेनी बाई--

इस तरह से मान्यवर, जो माननीय मन्त्री जी ने मंडियां बनाई हैं, हमारे यहां 6 मंडियों में से एक मंडी है जिसका मंडी स्थल है बाकी किराये के चल रहे हैं। इसलिए बाकी मंडीस्थल शीघ्र बनाये जाने चाहिए जिससे सुचारुरूप से काम चल सके। इसी तरह से पशुपालन के संबंध में कहना चाहती हूं। पशु दो-दो चिकित्सालय, एक-एक ब्लाक में होने चाहिए मान्यवर, अगर बीमारी फैलती है, तो हजारों के हजारों पशु मर जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री गौरी शंकर भैया--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इस संबंध में मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, विरोध पक्ष द्वारा कटौती का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, प्रदेश की नीति निर्माताओं और देश के चलाने वाले लोगों ने कृषि विभाग

(इस समय 4 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

की स्थापना इसी लिए की थी कि कृषि में उत्पन्न समस्याओं को यह दूर करने का कार्यक्रम बनायेगी पर आज वह ही देश के किसान का दुश्मन हो गया है। जिस प्रकार से किसान की खेती का शत्रु चूहे व अन्य पशु होते हैं, उसी प्रकार से तीसरे शत्रु इस विभाग के अधिकारी गण हो गये हैं। किसानों की समस्याओं को

52--कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक-विकास), अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या--59--पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 98--पशुधन विभाग-पूंजीगत, परिव्यय, अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम

लेकर सत्तापक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने दो बातें कहीं कि एक किसान की प्रगति में बाधक अधिकारी और दूसरी बात उन्होंने कही कि जनता पार्टी और लोकदल की सरकार के समय में किसान का अधिक नुकसान हुआ। इस संबंध में उस माननीय सदस्य का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब हिन्दुस्तान को आजादी मिली थी तो उस समय जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रधान मंत्री की हैसियत से शपथ ली तब हिन्दुस्तान के हर आदमी का 25 रु0 दुनियां के बैंकों में जमा था और जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन् 1980 में शपथ ली तो दुनिया के देशों का हिन्दुस्तान के हर आदमी पर 650 रुपया कर्ज हो गया। यह प्रोग्रेस रेट है आपकी सरकार का। और इन्हीं 30 वर्षों के बीच में 3 वर्ष तक जनता सरकार रही तो इसमें से उसका हिस्सा केवल 1 रु0 आता है। इस लिए आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सब किसकी देन है। इन्हीं बातों के साथ साथ मैं अब अपने जिले की तरफ आता हूं। यह उस समय की बात है जब कि हमारे जिले के ही कृषि मंत्री और डायरेक्टर हुआ करते थे। उस समय की बात है, बलिया में विश्व बैंक की मदद से 100 ट्यूबवेल लगाये जाने थे। दुर्भाग्य की ही बात है कि उन ट्यूबवेल का लगना अभी तक नहीं हो पाया पता नहीं वह योजना ही कहां गायब हो गयी। उसमें हमें भी तमाम दौड़ भाग करनी पड़ी। फाइलों को इधर से उधर लेकर दौड़ता रहा। पर कुछ भी अभी तक नहीं हो सका इन अधिकारियों की मेहरबानी के कारण। इसके अतिरिक्त मन्डी समितियों को स्थापित करने की जो बात कही गयी उनके बारे में भी कहना चाहता हूं कि हमारे चिलबड़ागांव में भी एक मन्डी समिति के लिए कुछ जमीन एक्वायर तो कर ली गयी है, परन्तु अभी तक एक ईंट तक वहां नहीं डाली गयी है। इसके साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे जनपद में मिल्क कलेक्शन सेन्टर हैं। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां 6 महीने से दूध का कलेक्शन का काम बंद पड़ा है। एक छटांक दूध भी कलेक्ट नहीं किया जा रहा है और आफिस उस कलेक्शन सेंटर का कायम है, अधिकारी और कर्मचारीगण आते हैं और बगैर कुछ काम किये मुफ्त की 6 महीने से तनख्वाह ले रहे हैं। इसलिए माननीय कृषि मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह उस मिल्क सेन्टर को पुनः स्टार्ट करायें, जिससे काफी जो नुकसान हो रहा है और जनपद की जनता दूध की सुविधा से वंचित है, उसे प्राप्त हो। साथ ही जो 6 महीने से मुफ्त तनख्वाह अधिकारीगण ले रहें हैं, उसका भी सही उपयोग हो सके। इसके साथ और एक बात कहना चाहता हूं कि इस विभाग के जो अधिकारी हमारे जनपद में हैं उनसे जो विकास होनी चाहिये थे। वह विकास उनके रहते जनपद में नहीं चल रहा है। जहां तक कटौती का सवाल है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में मन्त्री इनके काम करने की कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिये विरोध पक्ष ने कटौती का प्रस्ताव रखा है कि बजट राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय, जब इनका वेतन रोक दिया जायेगा तो अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पता लगेगा कि किसानों को जो आटा, दाल खरीदना पड़ता है उसकी असली कीमत

[श्री गौरी शंकर भैया]

क्या है । मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं । आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिये पुनः आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

माननीय अध्यक्ष, महोदय आपने मुझे कृषि के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । (विपक्ष के सदस्यों द्वारा कुछ बोलने पर) कृपया आप शान्त रहे मुझे बोलने दें । इस देश की तीन चौथाई जनता कृषि पर अपना जीवनयापन करती है उसके लिये इतना कम बजट रखना मेरे लिये सौभाग्य की बात नहीं है । मैं मंत्री से निवेदन करूंगा कि उत्पादन के ऊपर विशेष ध्यान दें । उत्पादन में जो डिमोन्सट्रेशन का काम होता है वह केवल बड़े किसानों के खेतों पर किया जाता है, इसमें छोटे किसानों को प्रोत्साहन मिले तो अधिक लाभ हो सकता है । श्रीमन् खाद, बीज और पानी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । रोगों के बचाव आदि पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है मान्यवर, आजकल बीज बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं । प्रदेश में जो ए0 डी0 ओ0 एग्रीकल्चर है । ए0 डी0 ओ0 एम0 आई0 है उन लोगों को अधिकतर गांव वाले जानते ही नहीं कि उनका काम क्या है ? जब तक इनका डिमान्सट्रेशन पूरी तरह से नहीं होगा, तब तक यह ठीक नहीं होगा । दूसरे मान्यवर, हमारे देश के अन्दर प्रदेश के अन्दर बहुत उसर है । नदी नाले के कटाव की जमीन है, आपने दिया है ऊसर के लिये कुछ कर रहे हैं परन्तु मान्यवर इस साल सख्त वर्षा हुई आज तक 75 वर्षों में वाटर लागिंग, इतनी वर्षा कभी नहीं हुई थी । भूमि संरक्षण विभाग ने क्या कोई सुझाव दिये, इसका कारण क्या है । मान्यवर, कारण यह है कि खेतों की मिट्टी कटकर नदियों में जा रही है और नदियों का पेट ऊंचा होता जा रहा है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 20 वर्षों में यदि इसका सुधार न किया गया तो सारी धरती जलमग्न रहेगी । साथियों, क्षमा कीजियेगा, माननीय अध्यक्ष जी, मेरे कुछ माननीय सदस्य हंस रहे हैं । कभी-कभी जबान से शब्द छटक जाते हैं, साथी न माने ठीक है । हर ब्लाक में अच्छे बीज उत्पादन की व्यवस्था की जाये तो इससे लाभ हो सकता है । मान्यवर, बिजली, खाद, पानी हर चीज का सम्बन्ध में कृषि से है । माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा कि आपने तो पिछले 3 वर्षों में इस देश के अन्दर कृषि में गिरावट आई उसको आपने दिखा दिया आप अब देखिये हमारे कार्यों को कि किसका पलड़ा भारी पड़ता है । माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं कृषि मन्त्री से आग्रह करूंगा कि कृषि में कुछ करिश्मा करें । जापान को नकल खेती में करें । आपने तो अपना हाथ दिखला दिया अब जरा हमारा हाथ देखिये । 30 साल का बड़ा ख्याल आता है लेकिन 3 साल के अन्दर जो दीमक घर में लग जाती है वह घर बेकार कर देती है, उसको नहीं देखते हैं । आप कृषि को जो कृषि का बेटा बनता है जो किसानों का नेता बनता है, उसने कृषि को चौपट कर दिया है । मैं कहना चाहूंगा कि मेरे मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उनकी बातों को ताईद करता हूं कि उन्होंने इन दीमक लगे हुए 3 वर्षों के अन्दर जो लग गया था, उनको झाड़ कर, कुछ लोग कहते हैं सब्जी वाला बजट कम किया है, कुछ लोग कहते हैं कि मसाला का बजट कम किया है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने इतने दिनों से जो खराब किया है उसको सुधारने के लिए मुझे थोड़ी कंजूसी से काम करना होगा ।

सबसे ज्यादा गड़बड़ी क्या है । प्रशासन में आई० ए० एस० अधिकारी हर क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है । जैसे एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, फल संरक्षण, दुग्धशाला, पौधशाला, चाहे जिस क्षेत्र में वह एक्सपर्ट हो जाता है । इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे आदमी की व्यवस्था करें जो सब माध्यम से जाहिर हो कि इस व्यक्ति की खेती में रुचि है । सबसे ज्यादा अगर कोई दल महात्मा दिखाई देता है तो कृषि में । फूड रिजर्वेशन विभाग, फल विभाग, पौधशाला वाले, शोध शाला वाले, भूमि संरक्षण वाले बैठे हैं, तो आखिर करते क्या हैं भाई ? हमारे यहां बीरापुर एक गांव है उसमें मेड़ बन्दी हुई थी । एक-दो साल पहले और पर साल ही मेड़ों का पता नहीं था । तो ऐसा मेड़ बन्दी से क्या फायदा भाई ? प्रतापगढ़ जनपद में बीरापुर गांव है वहां पर बहुत पहले ही मेड़ें सरपट हो चुकी थीं । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि इन चीजों की ओर विशेष ध्यान दें । दुग्धशाला की बात कही । इसमें पता नहीं कि यह कौन सा दूध होता है कि सफेद तो रहता है लेकिन वह किस प्रकार है, कहां से आता है सुधार किया जाय । पाउडर बना लेते हैं, न जाने क्या बना लेते हैं, सोयाबीन का होता है या काहे का होता है, बहरहाल दूध नहीं होता है । तो मान्यवर, यह उनको कमाने के लिए नहीं बल्कि दूध दिया जाता है स्वास्थ बनाने के लिए ।

(व्यवधान)

लाल बत्ती तो हुई नहीं, खड़े कहां से हो गये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

(कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

केवल इतना कहूंगा कि जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं वह काम करने के लिए हैं । हरी खाद की व्यवस्था एक दम बन्द होती जा रही है ....

(व्यवधान)

इन सुझावों पर अगर काम होग तो उत्तर प्रदेश की प्रगति हो सकती है । धन्यवाद, जय हिन्द ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह का नाम पुकारे जाने तथा कई सदस्यों के बोलने की मांग करने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

23-23, 24-24 लोग इस पर बोल चुके । इसका कोई समय होगा कि आप लोग बोलते ही रहेंगे ?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय जसवन्त सिंह जी, आप बैठ जाइये ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, जिन लोगों ने चर्चा में भाग लिया है मैं उनका बड़ा आभारी हूं । मान्यवर, जो बातें मैंने कही थी, उससे सहमति किया है सभी माननीय सदस्यों ने भले ही उस पक्ष के बैठे हुये लोग जिस दलदल में फंसे हैं, उसके कारण अनुदान का समर्थन कर रहे हों । लेकिन, मान्यवर, इन लोगों ने मेरी सभी बातों का समर्थन किया है जिसको कि मैंने कहा था । मान्यवर, जो बातें माननीय सदस्यों ने कही है, उसके विषय में चर्चा कर देना चाहता हूं । माननीय शर्मा जी ने कहा था कि सिर्फ गांव में खरंजा लगाने से गांव का विकास नहीं हो जायेगा । यह भी कहा गया कि बेरोजगारी को दूर किया जाय । इस सम्बन्ध में, मान्यवर, मैं आई० एल० ओ० द्वारा पब्लिश "Labour absorption in Indian—Agriculture Some explanatory investigation"—Published by I L. O. यानी भारतीय कृषि में मजदूरों की उपयोगिता—इसके बारे में कुछ विशेष विश्लेषण के साथ की गयी जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं । इस रिपोर्ट का कुछ अंश आपके समक्ष, मान्यवर रखना चाहता हूं--

"It ends up by saying that going district to district by and large, there is a reason to beleive that the new technology will increase the amount of labour force and possibly raise the elasticity of output to employment at 0·5. That is to say, for every 1 per cent increase in agricultural income, it is expected that the labour force will increase by 1/2 per cent."

यानी जिलेवार जांच करने से यह देखा गया है कि जब कृषि की आमदनी में बढ़ोत्तरी होती है तो उससे लेबर फोर्स की उपयोगिता/आवश्यकता भी बढ़ जाती है और निष्कर्ष यह निकाला गया है कि अगर 1 प्रतिशत कृषि आमदनी में वृद्धि होती तो 1/2 प्रतिशत जो कुशल मजदूर हैं, उनकी उपयोगिता/आवश्यकता बढ़ती है ।

तो श्रीमन्, जरा ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश की कृषि आमदनी 3,000 करोड़ रुपया है। एक प्रतिशत भी अगर बढ़ोत्तरी कर दिया तो आपके यहां जो बेरोजगारी की समस्या है, इसको हल करने में काफी हद तक यह सहायक हो सकता है। तो श्रीमन्, इस नाते भी आवश्यक है कि कृषकों की आमदनी को बढ़ाया जाय।

श्रीमन्, मैंने किसानों की पैरिटी प्राइस, समता मूल्य, दिलाने की बात किया था। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की एक सब-कमेटी की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना चाहता हूं) जो इस प्रकार की है--

Report on working Sub-group on "price support to agricultural commodities and incentives to farmers."

यानी एक सब-कमेटी बनी हुयी थी जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है कि किसानों को कैसे समता मूल्य दिया जाय, उन्हें इनसेन्टिव दिया जाय, उसको कैसे कार्यान्वित किया जाय। इसके बारे में यह रिपोर्ट है। यह कमेटी उत्तर प्रदेश एग्रोकल्चरल (इन्जीनियरिंग) डिपार्टमेंट के आफिस मेमोरेन्डम संख्या ई-3173/12-ए, दिनांक 7 जून, 1968, को सेट-अप हुयी थी। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि माननीय कृषि मन्त्री जो विशेष रूप से इस सब-ग्रुप द्वारा जो संस्तुतियां दी गयी थीं, उनके पैरा 3.2, 3.3, 3.5, 3.7 और 3.16 को देखने का कष्ट करें।

श्रीमन्, इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा गया है कि किसान को जो दाम दिलाये जायं उसको कलकुलेट कैसे किया जाय। यह रिपोर्ट आज तक पड़ी हुयी है। मैं चाहूंगा कि कृषि मन्त्री जो इसको कार्यान्वयन में लायें। श्रीमन्, डेरी की समस्या है। आपके यहां पर दुग्ध योजनायें बनायी गयीं हैं। लेकिन क्या यह देखा गया है कि जिस क्षमता की वह दुग्धशालायें लगायी जा रही हैं उस क्षमता में वहां पर दूध भी उपलब्ध है या नहीं? पहले आपको डेरी योजनायें लगा दी गयीं हैं। आर्टिफिसियल इन्सेमिनेशन की वह सारी योजनायें बेकार पड़ी हुयी हैं। अभी तक वह पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही हैं। मेरा अनुरोध है कि जहां पर आप डेरी योजना लगाते हैं वहां पर आर्टिफिसियल इनसेमिनेशन का प्रोग्राम शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण गति से चलाया जाय। इससे छोटे किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी। हमारे बस्ती जिले को फैजाबाद डेरी योजना की शेडो में रखा गया है लेकिन फैजाबाद डेरी योजना बस्ती शहर से उत्तर की तरफ को दूध के क्षत्र को नहीं ले रही हैं और न उनके लिये यह संभव है कि इतनी दूर का क्षेत्र वह ले सकें। केवल हरैया तहसील को फैजाबाद डेरी योजना में ले रहे हैं। मेरा निवेदन है कि डुमरियागंज, नौगढ़, खलीलाबाद, बांसी तहसीलों को गोरखपुर डेरी योजना से सम्बन्ध कर दिया जाय ताकि किसान को सुविधा मिल सके। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जो आपके कृषि यंत्र हैं उनके दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है और

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह—]

उनकी क्वालिटी पर कोई कंट्रोल नहीं है । मैं उनकी राय से बिलकुल सहमत हूं । इसके बारे में मेरा सुझाव है कि अपका एग्रो है, अगर वह चाहे तो वहां पर छोटे इंपलीमेन्ट, बुलक ड्रान इपलीमेन्ट छोटे किसानों के लिये बना सकता है । यद्यपि छोटे यंत्रों को बनाने में एग्रो को नुकसान होगा लेकिन केवल लाभ की दृष्टि से न देखकर छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से एग्रो को छोटे किसानों के लिये बुलक ड्रान इंपलीमेन्ट, बैल चालित यंत्र बनाने चाहिये जिससे किसानों को छोटे यंत्र उपलब्ध हो सकें । आप इनकी क्वालिटी और दाम को भी नियंत्रित कर सकते हैं । एग्रो के सम्बन्ध में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपका आटो ट्रेक्टर कारखाना है जिसमें आप ली लैंड ट्रेक्टर बनाने जा रहे हैं, एग्रो में असेंबलीयूनिट है, यदि संभव हो तो उस ट्रैक्टर की असेंबली को एग्रो से कराने की व्यवस्था कर सकते हैं । इस ट्रैक्टर के उपयोग के लिये जो एग्रो इंपलीमेन्ट की जरूरत हो वह आप एग्रो और आटो ट्रैक्टर्स के बीच एक कांट्रेक्ट करा दें ताकि जितने ट्रक्टर्स बनें उसके लिये इंपलीमेन्ट एग्रो सप्लाई कर । श्रीमन्, माननीय सदस्य श्री नंद किशोर सिंह ने एक सुझाव रखा था कि दामों की पहले घोषणा करें । मैंने स्टडी ग्रुप की जो रिपोर्ट आपके सामने रखी है उसमें भी इसकी संस्तुति की गयी है । माननीय सदस्य ने जो कहा था कि एक महीने पहले घोषणा कर दी जाय तो इस सम्बन्ध में स्टडी ग्रुप की जो रिकमेन्डेशन हैं उसके अनुसार कम से कम 6 महीने पूर्व ही दामों की घोषणा हो जानी चाहिये ताकि किसान यह समझे कि इस फसल को बोने में लाभ है अथवा नहीं । मेरा निश्चित मत है कि अगर यह अपनाया जाय तो आलू और गन्ना दोनों फसलों में जो भी लूट और स्कैरसिटी हो जाती है उस पर काफी हद तक नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है । माननीय सदस्य श्री भोला पांडेय ने कहा कि युवक किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । आपकी एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटीज हैं वहां पर जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके निकल रहे हैं मैं चाहूंगा कि आप इसका एक आंकड़ा निकलवा लें उसमें से कितने लोग सचमुच में खेती के पेशे में जा रहे हैं । मेरा अपना ऐसा अन्दाजा है कि अधिकांश लोग, करीब-करीब सभी, केवल नौकरी के लिए ही कृषि पढ़ रहे हैं । आपको इस भावना को हटाना पड़ेगा । यह तब तक नहीं हट सकता जब तक कृषि के पेशे के लोगों को भी उतना ही सम्मान नहीं प्राप्त हो जितना अन्य पेशे के लोगों को प्राप्त होता है । जब तक उन को हर सुविधा न प्राप्त हो, तब तक शहर के पढ़े हुये आदमी, नौजवान, गांवों में जाना पसन्द नहीं करते हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि एक तो गांवों में उनको यातायात की सुविधा दी जाय । वहां पर उन्हें यह आभास हो कि कृषि के पेशे में भी उनको सम्मान मिलता है ।

चौधरी शंकर सिंह जी ने बीज प्रमाणीकरण संस्था के बारे में बात कही । मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं । 1978 के रबी के लिए मैंने और श्री भानु प्रताप सिंह, भूतपूर्व कृषि राज्य मन्त्री, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट आफिसर, बस्ती के यहां से प्रमाणित बीज खेत पर बोने के लिए लिया था और हम दोनों व्यक्तियों की सम्पूर्ण गेहूं की फसल नष्ट हो गई । वह प्रमाणित बीज था । आपके बीज प्रमाणीकरण संस्था की मोहर लगी हुई थी । मैं इतना ही कहना चाहता हूं बाकी आप जांच करा लें ।

एग्रो के माध्यम से श्रीमन्, छोटे किसानों की प्लान्ट प्रोटेक्शन इक्वीपमेन्ट दिये जाते हैं । हो क्या रहा है । आपके कृषि विभाग से डिमान्ड दी जाती है

एग्रो को कि एक परटिकुलर फर्म से ही इक्वीपमेन्ट सप्लाई किये जायं। इतनी बुरी तरह मान्यवर, इस में धांधलेबाजी है, इतना कूड़ा सामान दिया जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज इस पूरी व्यवस्था को बदल दें। जो भी प्लान्ट प्रोटेक्शन इक्वीपमेन्ट की योजना चल रही है छोटे किसानों को सब्सीडी पर देने के लिए उसके लिए एग्रो० आई० एस० आई० इक्वीपमेन्ट का टेन्डर काल करें जितनी कम्पनियां आई० एस० आई० मार्क इक्वीपमेन्ट बनाती हैं उनके टेन्डर काल किये जायं और उसके हिसाब से सामान खरीदा जाय। किसी एक फर्म के नाम से आदेश न दिया जाय। जब जाकर प्रतिस्पर्धा होगी और सामान की क्वालिटी में इम्प्रूवमेन्ट होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि चूंकि सभी माननीय सदस्य मेरी राय से सहमत हुये हैं, मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। धन्यवाद।

श्री बल राम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों का कि जिन्होंने काफी बड़ी तादाद में आज के इस कृषि विभाग के अनुदानों के सम्बन्ध में वाद-विवाद में भाग लिया।

वास्तव में इस वाद-विवाद के अन्तर्गत बहुत ही उपयोगी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं। हमारी सरकार का पूरा प्रयास होगा कि उनके जो उपयोगी सुझाव हैं उनको माने और उन को लागू करे ताकि कृषि विभाग की, पशुधन विभाग की और दुग्ध शालाओं की हालत को सुधारा जा सके और तेजी से काम किया जा सके ताकि हमारे प्रदेश के किसानों की हालत सुधर सके।

मान्यवर, यों तो विपक्ष का काम ही, उन का धर्म ही, आलोचना करना होता है....।

एक सदस्य--

सुझाव देना भी है....।

श्री बलराम सिंह यादव--

सुझाव के लिए मैंने धन्यवाद दे दिया है लेकिन आलोचना करना धर्म ही होता है। मैं उसे बुरा नहीं मानता लेकिन....।

श्री मोहन सिंह--

उसे नहीं मानना आप लोगों का धर्म है....।

श्री बलराम सिंह यादव--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी उठाई हैं माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने और भी विपक्ष के सदस्यों ने कृषि विभाग की कार्य शली के बारे में। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं क्या आज से कुछ महीने पहले जब उनकी हुकूमत थी तब क्या उन्होंने इन बातों पर विचार नहीं किया था ?

श्री शंकर सिंह--

विचार नहीं किया तभी हम यहां आ गय ।

श्री बलराम सिंह यादव--

जो कमियां ओर सुझाव सुधार के लिये विपक्ष के सदस्यों ने पेश की है बहुत ही अच्छा होता यदि ढाई वर्ष पहले इनमें से एक भी सुझाव का वह अनुपालन कर सकते । मैं समझता हूं कि शायद आज उनको इतनी आलोचना करने का अवसर नहीं मिलता । दिवाकर विक्रम सिंह जी ने खाद के भाव बढ़ने की बात कही । मैं स्वीकार करता हूं कि भाव बढ़े हैं लेकिन हर व्यक्ति उस बात को जानता है कि खाद के भाव किन परिस्थितियों में बढ़े हैं । खाद का निर्माण नेप्था से होता है जो अरब कंट्रीज से आता है और उसके दाम उन अरब मुल्कों न बढ़ा दिये हैं जिसकी बजह से यहा खाद के दाम बढ़ाने पड़े (व्यवधान) जहां तक छोटे किसानों को छूट का सवाल है वह आपके समय में भी दी जा रही थी और आज भी उनको दी जा रही है (व्यवधान) दिवाकर विक्रम सिंह ने यह कहा कि किसानों की हालत खराब है । जो ऋण उनको दिया जाता है उसे मफ कर दिया जाना चाहिये । यह प्रश्न आज का नहीं है, पहले भी था जब उनकी हुकूमत थी, उस समय आपने क्यों विचार नहीं किया । आप कुछ कर नहीं सके और आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि यह कर दिया जाय (व्यवधान) यह न्याय संगत नहीं है । दिवाकर विक्रम सिंह ने कहा कि सन्देश जो हैं उनमें आई० ए० एस० आफिसर्स ही है । यह सही है कि उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स वही हैं लेकिन 90 प्रतिशत स्टाफ कृषि विभाग का है जिससे पूरा सहयोग सन्देशों को कृषि विभाग का है । एग्रो के बारे में दिवाकर विक्रम सिंह ने कुछ बातों को उठाया । मैं उनसे सहमत हूं और हमारा पूरा प्रयास है कि एग्रो की दशा को सुधारा जाय । एक प्वाइंट यह है कि 1 जून से 8 जून तक जो खाद की कीमतें बढ़ी थीं तो उनका कहना यह था कि पहले हफ्ते में ही बिक्री दिखा कर खाद गोदामों के इंचाज ने काफी कमाई की, बेईमानी की । इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने विभाग को निर्देश दिये थे कि पिछले 3 वर्ष की तुलनात्मक बिक्री इस हफ्ते की देखी जाय और एक हफ्ते की इस वर्ष की देखी जाय 1 जून से 8 जून तक । वह जांच कराई गई है । उससे कुछ भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आये हैं । 18 मामले प्रकाश में आये हैं और उसके सम्बन्ध म 18 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है यह मैं आपको सूचना देना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

जब मंत्री जी बैठे नहीं, खड़े हैं तो आप नहीं पूछ सकते ।

श्री कुबेर भंडारी––

विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और एक स्पष्टीकरण का मौका भी नहीं मिल रहा है....

श्री अध्यक्ष––

भ्रष्टाचार तो बहुत है लेकिन आप उसको आज ही समाप्त नहीं कर सकते हैं ।

श्री बलराम सिंह यादव––

मान्यवर, होर्टिको के बारे में कहा गया है । यह एग्रो की एक सब्सिडियरी कम्पनी है । इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है । लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि इस होर्टिको का पुनर्गठन किया जाय, इसकी वित्तीय मदद की जाय और उसके अन्तर्गत जो फैक्ट्रियां हैं उनको चलाने का भी पूरा-पूरा प्रयास किया जाय ।

आलू के विपणन के बारे में माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जिक्र किया है । उनका यह सुझाव बहुत उपयुक्त है और उसके बारे में भी विचार किया जायेगा ।

गोबर गैस संयंत्र के बारे में निवेदन है कि 1978–79 में इस दिशा में 50 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था और इस वर्ष 1980–81 में 60 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । धान की मुख्य पौधशालाओं को स्थापित करने के लिये उसकी योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष 2·40 लाख का प्राविधान किया गया था जब कि इस वर्ष 5 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । उत्तर प्रदेश में तम्बाकू विकास की योजना के अन्तर्गत वरजीनिया तम्बाकू की योजना जो केन्द्रीय सरकार से पोषित थी उसमें 2·81 लाख का पिछले वर्ष प्राविधान था और इस वर्ष 2·82 लाख का प्राविधान किया गया है । माननीय रियासत हुसैन जी ने यह शिकायत की कि उनकी पौधशाला पर रामकेला आम की पौध उपलब्ध नहीं होती। कोई खास किस्म की पौध उपलब्ध न हो लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो दूसरी पौधशालायें हैं उसमें उसका प्रबन्ध कर दिया जायेगा ।

माननीय रियासत हुसैन ने कहा कि हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या जो अन्वेषण केन्द्र हैं वह जो हाई इल्डींग वैरायटी बनाते हैं वह एक या दो ही तरह के बीज बनाते हैं और वही चलते रहते हैं । ऐसी बात नहीं है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई क्षेत्र में यू० पी० 115, एच० पी० 1209 और बिठूर पूर्वी की पैदावार 50 क्विंटल पर हेक्टेयर है, चना के–468, के–850 की पैदावार 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है । असिंचित क्षेत्र के लिए भी प्रजातियां डेवलप की हैं। डी० डब्लू० एस० 410 और मुक्ता की पैदावार 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है । दो असिंचित तथा सिंचित क्षेत्र के लिए एच० 208 डेवलप किया गया है ।

[5 बजे अपराह्न]

[श्री बलराम सिंह यादव—]

माननीय ऊदल जी ने सेवों के विपणन के बारे में जिक्र किया उनका अच्छा सुझाव है। सरकार हार्टिको के जरिये से इस बात का प्रयास कर रही है कि जो हमारे यहां फल पैदा होते हैं उनका विपणन समुचित रूप से हो।

हमारे यहां सरप्लस आलू होता है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया। आलू खराब न हो उसके लिए हार्टिको एक फैक्ट्री लगाने का विचार कर रहा है पोलैंड के कोआपरेशन से ताकि जो सरप्लस आलू होता है वह इस्तेमाल हो सके और आलू का मूल्य स्थिर किया जा सके। माननीय ऊदल जी ने फर्जी खाद के सम्बन्ध में जिक्र किया। मैं मानता हूं कि कुछ व्यापारी फर्जी खाद बेचते हैं इसकी शिकायत शासन के पास भी आती है। शासन हर बार दुकानों पर छापे डालता है और जो सब-स्टैंडर्ड खाद पायी जाती हैं उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। इस वर्ष और पिछले वर्ष भी ऐसी कार्यवाही की गयी है।

माननीय राम आसरे वर्मा ने अदालत प्रसाद दूबे, लखनऊ डेरी के किसी कर्मचारी के बारे में शिकायत की है और कहा कि इस कर्मचारी को रि-इंस्टेट किया गया है, शासन के आदेश के बाद भी उसे चार्ज नहीं दिया जा रहा है। अगर यह बात सही है तो मैं आश्वासन देता हूं कि उसको चार्ज दे दिया जायेगा। कई माननीय सदस्यों ने किसान की पैदावार के बारे में जिक्र किया। यह बात सही है कि किसान जो चीज पैदा करता है उसको उसे उचित मूल्य मिलना चाहिये ताकि उसकी दशा में सुधार लाया जा सके। प्रदेश सरकार ने एग्रीकल्चर प्राईस कमीशन को खरीफ के जो सीरियल्स हैं उनका समर्थित मूल्य 140 रु० पर क्विंटल देने के लिए कहा है। आप जानते हैं कि समर्थन मूल्य का निर्धारण एग्रीकल्चर प्राईस कमीशन करता है जो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। हमने 140 रु० खरीफ सीरियल्स के लिए मांगा है।

श्री वियासत हुसैन—

मोटे धान का मांगा है या बारीक धान का।

श्री बलराम सिंह यादव—

मोटे धान का। माननीय सुरेन्द्र सिंह और कई अन्य विधायकों ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि मंडी समितियां बन चुकी हैं लेकिन उनमें अभी कारोबार शिफ्ट नहीं हुआ है। यह बात सही है और मंडी समितियों में कारोबार शिफ्ट करने के लिए हर जगह कार्यवाही की जा रही है।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं हर माननीय सदस्य से चाहता हूं कि इस समय जो भाषण चल रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनें।

श्री ब[illegible]सिंह यादव—

लगभग 14 मंडी समितियों में कारोबार शिफ्ट हो चुका है जो दिक्कत आ रही है, व्यापारियों का कहना है कि मंडी समितियों में दुकानों का किराया ज्यादा है। यह भी शासन के विचाराधीन है। जो किराया तय किया गया है दूकानों का

उसको पचास परसेंट कर दिया जाय। जब यह निर्णय हो जायगा तो स्वतः ही सभी व्यापारी संघ समितियों में जायेंगे। कोई दिक्कत नहीं पैदा करेंगे। कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि कृषि विद्यालयों में प्रवेश के लिए चयन समितियां घोषित नहीं की गयी है। ऐसा बात नहीं है। सम्भवतः उनको जानकारी नहीं होगी। सभी कृषि विश्वविद्यालयों में चयन समितियां बना दी गयी हैं। उनकी घोषणा विधिवत कर दी गयी है। माननीय मुईद साहब ने यह कहा कि जिलों में छोटे किसानों को सब्सिडी देने के आदेश अब तक नहीं पहुंचे हैं। सम्भवतः उनको जानकारी नहीं होगी। यह आदेश 28 अगस्त को पहुंच चुके हैं। हर जगह मिलेगी। चिन्ता न करें। अगर कहीं नहीं मिलती है तो शिकायत करेंगे तो मैं कार्यवाही करूंगा।

एक शिकायत यह की गयी कि विदेशी पशु प्रजनन केन्द्र, चमोली के लिए पिछले वर्ष 60 जर्सी गायें व दो गायें इंडियन डेयरी कारपोरेशन द्वारा आयात किया जाना था। चूंकि दर निर्धारण नहीं हो सका इसके कारण पशुओं का आयात नहीं किया जा सका। इस वर्ष पूरा प्रयास है कि इनका आयात कर लिया जाय।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम बिल्कुल बोगस है। ऐसी बात नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान के 1979-80 के जो आंकड़े आए हैं, जो रेजल्टस आये हैं, उनमें 46 परसेन्ट गायों में कन्सेप्शन और 45 परसेन्ट भैंसों में कन्सेप्शन हुआ है।

बेबरिया जनपद के बारे में कहा है कि वैक्सिनेशन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। इसके हमारे पास आंकड़े आये हैं। वहां पर किसी जानवर की बीमारी की वजह से डेथ नहीं हुयी है। एक जानवर की डेथ फ्लड की वजह से हुई है। 1 लाख 13 हजार 727 जानवरों को वैक्सिनेशन दिया जा चुका है।

जितनी मुख्य बातें थी, उन सभी का लगभग मैंने जवाब दे दिया है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मंत्री जी आपको एक बात कहनी रह गई।

श्री अध्यक्ष--

बाजपेयी जी आप बैठ जाएं, जब तक मंत्री जी न बैठें आप न खड़े हों।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

जो ऊबड़-खाबड़ जमीन है, उसको समतल बनाने के लिए क्या योजना है?

श्री बलराम सिंह यादव--

वह योजना है, यदि आप चाहेंगे तो वह आपके यहां कार्यान्वित करा दूंगा। मैं अन्त में दिवाकर विक्रम सिंह जी से, जो कि इस सदन के सदस्य हैं, मेरे मित्र

[श्री बलराम सिंह यादव--]

हैं और बहुत योग्य कृषक भी हैं, निवेदन करूंगा कि वह कृपा करके अपने कट मोशन को, जबकि उनकी इतनी मांगे हमारे द्वारा मान ली गई हैं, वापस ले लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

क्या माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52-के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,49,76,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,35,92,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(अनुदान पास कराते समय 'हां' की जोरदार आवाज होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

मेरा एक निवेदन है किसी को और कुछ बोलना-कहना न आता हो, समझ में आता है, लेकिन 'हां' न कहना आवे यह समझ में नहीं आता है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,19,23,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 60--पशुधन विकास (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 98--पशुधन विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्य 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 120--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,08,33,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,48,75,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,63,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 98--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 98--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)--पूंजीगत परिव्यय में संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 की आज केवल 2 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें मैंने एक सर्वश्री हरिवंश सहाय व नन्द किशोर सिंह की सूचनायें दिनांक 11 सितम्बर, 1980 को आलमबाग, थाना कृष्णनगर, लखनऊ की श्रीमती शीतल रानी शर्मा, पत्नी श्री आर० के० शर्मा, इन्जीनियर की हत्या के सम्बन्ध में थी, स्वीकृत की है । दूसरी सूचना अस्वीकृत की है ।

बस्ती जनपद में दस लाख रुपये मूल्य का गेहूं फर्जी नाम से बिहार के लिए तस्करी में ले जाते हुए पकड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

*खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री अजीत सिंह सेठी)—

दिनांक 29-30 अगस्त, 1980 को रात्रि में सूचना मिलने पर कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से गेहूं बाहर भेजा जा रहा है, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, बस्ती को तत्काल छापा मारने के लिए निर्देश दिया गया। श्री रमा शंकर सिंह, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) ने मार्केटिंग विभाग एवं पुलिस के साथ उसी रात छापा मारकर 824 बोरा गेहूं बस्ती स्टेशन के माल गोदाम पर तथा 803 बोरा गेहूं पांच वैगनों में लदा हुआ पकड़ा (वैगन संख्या 44332, 5628, 15862, 51879 तथा 14609) यह गेहूं सीनपुर, खैरा, मुजफ्फरपुर, तिनसुकिया, बांकुरा, बिहार प्रान्त के स्टेशनों के लिए बुक किया गया था। इस प्रकार बस्ती रेलवे स्टेशनों के लिए बरामदगी कुल 1627 बोरे गेहूं की थी न कि 1800 बोरा जैसा कि नियम 51 की सूचना में अंकित किया गया है।

2—रेलवे माल गोदाम के अभिलेखों से यह भी पता चला कि ऐसे व्यक्तियों के नाम से जो खाद्यान्न के लाइसेंसी नहीं हैं गेहूं बुक करके वैगनों से गोरखपुर एवं अन्य स्टेशनों पर रवाना कर दिया गया है। उन्हें रास्ते में ही रोक लेने हेतु रेडियोग्राम से अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी गोण्डा, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक गोरखपुर, जिलाधिकारी देवरिया, चीफ कामर्शियल सुपरिन्टेन्डेन्ट, एन० ई० आर०, लखनऊ से अनुरोध किया गया। स्टेशनों के सक्षम अधिकारियों से भी टेलीफोन पर सम्पर्क करके इसी प्रकार के अनुरोध किये गये। इस कार्यवाही के फलस्वरूप जनपद गोण्डा में 3 वैगन संख्या 20748, 40433, 24432 जो दिनांक 26, 27 और 29 अगस्त, 1980 को क्रमशः नयागांव, खैरा एवं कानपुर के लिए बुक किये गये थे तथा जिनमें 483 बोरा गेहूं था, को नियुक्त अधिकारी ने गोण्डा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 7 तथा भटनी स्टेशन पर एक वैगन सील किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। परन्तु उनके विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। गोण्डा में रोके गये वैगनों की स्थिति स्पष्ट नहीं है और इसकी जांच की जा रही है।

3—बस्ती में पकड़े गये 1627 बोरे गेहूं के बारे में धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती की नोटिस दे दी गयी है। गोरखपुर तथा भटनी में पकड़े गये खाद्यान्न के सम्बन्ध में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

4—गेहूं भेजने वाले व्यक्तियों के बारे में जांच कराये जाने पर पता चला कि दो खाद्यान्न लाइसेंसी सर्वश्री रंगीलाल गुप्त तथा जैसवाल ट्रेडर्स के नाम क्रमशः 160 बोरा गेहूं तथा 43 बोरा गेहूं है, जबकि उक्त लाइसेंसियों ने अपने अभिलेखों में क्रमशः 112 तथा 53 बोरा गेहूं दिखलाया है। इस प्रकार की भिन्नता दण्डनीय अपराध है। इसके फलस्वरूप जयसवाल ट्रेडर्स, रंगी लाल गुप्त तथा अन्य के विरुद्ध जिनके नाम गेहूं की बुकिंग थी थाना कोतवाली, बस्ती में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30-8-1980 के 10.30 बजे दिन दर्ज करा दी गई। श्री रंगीलाल गुप्त ने 31-8-1980 को स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्म समर्पण किया जिन्होंने उसे जमानत पर छोड़ दिया। दिनांक 1-9-1980 को जयसवाल ट्रेडर्स के

[श्री अजीत सिंह सेठी--]

पार्टनर रामजी जायसवाल को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा उन्हें थाना हवालात में बंद किया गया। बंदी बनाने का तथ्य रपट नंम्बर 32, दिनांक 1-9-1980 रोजनामचा आम थाना कोतवाली में दर्ज है। यह अभियुक्त दिनांक 2-9-1980 को 9.05 बजे पूर्वान्ह में रपट नम्बर 7 पर रिमान्ड के लिए मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट न्यायालय रवाना किया गया जहां उसकी जमानत न्यायालय द्वारा हो गयी। उसी दिन अर्थात 2-9-1980 को उक्त अभियुक्तों की जमानत के निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल कर दिया गया जिसमें अग्रिम कार्यवाही न्यायालय द्वारा की जानी है। मेसर्स रंगी लाल गुप्त तथा जायसवाल ट्रेडर्स के खाद्यान्न लाइसेंस क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर द्वारा निलम्बित करके अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। यह कहना गलत है कि रंगी लाल गुप्त एवं रामजी जायसवाल को कोतवाली से छोड़ दिया गया और कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

5--जहां तक इसका प्रश्न है कि 22 बैगन गेहूं जो 8-8-1980 को टू0 एफ0 एम0 ट्रेन से एन0 आर0, एम0 आर0, एम0 आर0 डब्लू0, आर0 एम0 ई0, एस0 बी0, एन0 एफ0 के बैगनों में लदकर बिहार के लिए रवाना किया गया है, के सम्बन्ध में रेलवे माल गोदाम का 25-8-1980 से 29-8-1980 तक "हू बीट लोडिंग स्टेटमेन्ट ऐट बी0 एस0 टी0 दिनांक 25-8-1980 से 29-8-1980" तक का निरीक्षण किया गया। परन्तु उनसे केवल वर्णित तथ्य ही सिद्ध हुए।

6--जहां तक इसका सम्बन्ध है कि वह गेहूं रक्सौल होते हुए नेपाल और चीन चला जाता है, निवेदन है कि ऐसा कोई तथ्य अभी जांच में नहीं आये फिर भी फूड सेल द्वारा इसकी जांच करायी जायगी। इसी प्रकार गेहूं के अवैध व्यापार के सम्बन्ध में भी जांच कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। जहां तक इस कथन का प्रश्न है कि यह वही तस्कर गिरोह है जो सन् 1973 में आगरा कांड में शामिल था, की जांच की जा रही है।

7--राजकीय तन्त्र के द्वारा नेपाल की ओर तस्करी रोकने के लिए यदा कदा बॅरियर के माध्यम से विभिन्न विभागों के सहयोग से जांच की जाती रही है। कोई तथ्य सीमेन्ट, शकर या अन्य किसी प्रकार के तस्करी का मामला जानकारी में नहीं आया और न पकड़ा गया। अन्य किसी गैर सरकारी व्यक्ति ने भी कभी इस बात की सूचना नहीं दी कि कोई शकर, सीमेन्ट या अन्य खाद्य पदार्थ नेपाल को जा रहा है जिससे कि यदि अवैध रूप से कोई चीज नेपाल ले जायी जा रही थी तो उसे पकड़ा जा सकता।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

माननीय, माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य में कहा गया है कि जो दोनों मुलजिम पकड़े गये और वह कोतवाली में बन्द रहे और मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया। मेरी निश्चित जानकारी है कि कोतवाली में रोका गया। इतना यह भयंकर मामला है जिसमें आपने कहा है बैगनों के बारे में कि उसकी भी जांच हो रही है और यह भी आपने इसमें कहा है कि इसकी जांच करायी जायेगी। मेरी निश्चित जानकारी है कि 1973 में जो तस्करी करते थे, वह बागरा कान्ड में शामिल था और पकड़ा गया। यह जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन था इसमें क्यों नहीं उसे पकड़ा गया। यह मजिस्ट्रेट के सामने उसे ले जाया गया, यह बात गलत है। यह बिलकुल गलत है। बल्कि कोतवाली में उसे गद्दा दिया गया, वहीं सोते रहे। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

बस्ती जनपद में बस लाख रुपये मूल्य का गेहूं फर्जी नाम से बिहार के लिए तस्करी में ले जाते हुए पकड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अजीत सिंह सेठी--

यह सत्य नहीं है कि मुलजिमों को पकड़ कर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं पेश किया गया। दूसरे दिन मैंने अप्लाई किया कि इसकी बेल कैंसिल की जाय।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, आपने कहा है कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 7 तथा भटनी स्टेशन पर एक वैगन सील किये गये। आपने यह भी कहा है कि गोंडा में वैगनों को रोका गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि गोंडा स्टेशन पर लौटते हुए सीधे चला गया और गोंडा पहुंच गया। इसमें स्पष्ट कलक्टर का बयान है कि चार वैगन गोंडा में मिल गया था और वह बिहार का भी लौट कर गोंडा चला गया।

श्री अजीत सिंह सेठी--

गेहूं का व्यापार भारत में कहीं किया जाय। यह बंदिश नहीं है। वहां गेहूं जितना भी बुक हुआ वह सब बिहार के लिये बुक हुआ और अभी मेरी तफतीश जारी है। यह पूरी हो जाने पर ही बता सकुंगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गेंहूं पकड़ा गया है वह किस विभाग का था, उसका पता लगा लिया गया है ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

अभी तफतीश जारी है, रिपोर्ट पूरी तौर पर आने पर ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रंगी लाल गुप्त और जायसवाल ट्रेडर्स के पार्टनर श्री रामजी जायसवाल को कोतवाली में बन्द किया गया और दूसरे ही दिन इन दोनों की जमानत मजिस्ट्रेट के घर पर ही हो गयी। ऐसी कोई सूचना माननीय मन्त्री जी के पास आयी है ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुयी है।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुये यह स्वीकार करेंगे कि न्यायालय में उस रोज कोई आनरेरी मजिस्ट्रेट या अन्य कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था और इन लोगों की जमानत आनरेरी मजिस्ट्रेट के घर से हो गयी जबकि कोतवाली से कोई रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुयी थी और उन लोगों की रिहाई आर्डर मिल गया ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

अभी जैसा कि मैंने कहा कि तफतीश जारी है, रिपोर्ट आने पर ही कुछ बता सकूंगा।

श्री अध्यक्ष--

कानूनी ढंग से जिस तरह से जमानत होती है, वह की गयी उसके लिए मन्त्री जी क्या बतायेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, हमारे प्रश्न के उत्तर में तो माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि रिपोर्ट पूरी तरह से आयी नहीं है और अभी जांच करायी जा रही है । तो माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब जांच कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी तब वह समस्त आख्या क्या सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि जब जांच पूरी हो जायेगी तो जांच आख्या आप सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

रख देंगे ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज के भी किसी व्यापारी का इस में नाम था और उसको राजनैतिक दबाव व अन्य कारणों से छोड़ दिया गया ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

अभी उसकी जांच चल रही है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जिन अधिकारियों ने यह सूचना बना कर भेज दी, उसको मन्त्री जी ने बदल कर सूचना बता दी । मान्यवर, नियम 51 की यह सूचना है, परन्तु उत्तर उसके ऊपर नहीं है । माननीय सदस्यों का यह आरोप था कि जो फर्जी गेहूं बस्ती स्टेशन पर बुक किया, जिसके उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया है कि 1627 बोरे पकड़े गये और यह भी स्वीकार किया है कि 824 बोरा गेहूं बस्ती स्टेशन के माल गोदाम में और 803 बोरा गेहूं पांच वैगनों में पकड़ा गया । लेकिन मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने इस सब का जिक्र तो किया लेकिन 1424 बोरे गेहूं का कोई जिक्र नहीं किया । वह कहां चला गया । यह मान्यवर, बड़ी ही वैधानिक आपत्ति है मेरी नियम 51 की सूचना के अनुसार इन 1424 बोरों का कोई विवरण नहीं दिया गया, जो फर्जी नामों से बुक हुए थे । इसलिए मान्यवर, मेरी प्रार्थना यह है कि इन बोरों के बारे में भी मन्त्री जी कुछ जानकारी सदन को देते ।

श्री अध्यक्ष--

आप मुझे क्यों सम्बोधित कर रहे हैं, बार-बार । जो कुछ आपको कहना है, वह कृपया मन्त्री जी को ही सम्बोधित करके कहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो, मान्यवर, मेरी मन्त्री जी से केवल प्रार्थना यह है कि उन 1424 बोरों के बारे में भी पूरा विवरण कृपया दे दें ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

हमारे पास 1627 बोरे का डिटेल है । मान्यवर, मैं बता देता हूं । मेसर्स रंगीलाल गुप्ता, बस्ती 160 बोरा, मेसर्स जयसवाल ट्रेडर्स, बस्ती 43 बोरा, मे0 प्रकाश एन्ड कम्पनी, गोन्डा 171 बोरा, लवकुश, नरखैरिया, 80 बोरा, श्रीराम, रमवापुर, 80 बोरा, श्री हनुमान, सहियापुर 80 बोरा, रमेश चन्द्र, भानपुर, 80 बोरा राम सेवक, बस्ती 130 बोरा गेहूं बुक था यह तो मान्य 824 बोरे का है इसी प्रकार 803 का भी मेरे पास विवरण है । किन्तु अभी तक यह ट्रेस नहीं हो पाया है, जांच चल रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि जिन नामों का जिक्र है यही फर्जी नाम थे, जिन नामों का जिक्र है उनके खिलाफ कोई कार्रवाही की गई क्या वह लोग पकड़े गये उनके खिलाफ क्या मुकदमा कायम हुआ ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

दो लाइसेन्सी थे उनका ट्रेस हो गया है और ट्रेस नहीं हो पाया है जांच चल रही है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि बाकी 1424 बोरे गेहूं का पता नहीं है उसका ट्रेस नहीं हो पाया है । किन्तु कलेक्टर श्री रामा शंकर ने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई है उसमें 3 आदमियों के नामों को दर्ज कराया गया है कि फलां भानपुर का है फलां फलां जगह का है इस तरह से पूरा विवरण एफ0 आई0 आर0 में दर्ज है । मान्यवर, इसमें डुमरिया गंज के चकदेव हैं जो तस्करी कराते हैं उन्होंने बुक किया था और बाजरा काण्ड में भी इनका हाथ था ।

श्री अध्यक्ष--

एफ0 आई0 आर0 सबूत नहीं होता है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

एफ0 आई0 आर0 में किन-किन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री माता प्रसाद पान्डे--

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष--

चर्चा हो तो गई अब क्या बाकी है ?

मन्त्री जी आपके पास एफ0 आई0 आर0 की कापी हो तो पढ़ दें न हो तो बता द ।

(काफी देर तक मन्त्री जी द्वारा फाइल में रिपोर्ट ढूढ़ने पर)

श्री अध्यक्ष--

केवल प्रश्न इतना है कि एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई थी वह है या नहीं ? यदि हो, तो पढ़ दें न हो तो बता दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता--

इस समय सदन में, वैसे तो मान्यवर, सामूहिक उत्तरदायित्व है, लेकिन चिन्ता की बात है कि कोई भी कैबिनेट स्तर का मंत्री दिखाई नहीं दे रहा है जो उनकी मदद करे ।

श्री अध्यक्ष--

लगता है आपके पास सूचना नहीं है । आप केवल इतना बता दें कि रिपोर्ट है या नहीं ?

(शोर और हंसी)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, इसको टाल दिया जाये ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

इस वक्त फाइल में नहीं है ।

एक सदस्य--

मान्यवर, यह सदन को गुमराह करने का प्रश्न है ।

श्री रियासत हुसैन--

एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर । श्रीमन्, मैं आपसे इस बात की ओर व्यवस्था चाहता हूं कि इतना गम्भीर प्रश्न, इतनी बड़ी तस्करी का माननीय सदन में प्रस्तुत है लेकिन बड़े खेद की बात है कि कोई भी कैबिनेट स्तर का मंत्री इस समय सदन में नहीं है । जहां तक ज्वाइंट लाइबिलिटीज की बात है कैबिनेट मंत्रियों की होती है, स्टेट मिनिस्टर की नहीं होती है । इस ओर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह विभाग स्वतंत्र रूप से उनके पास है । वह पूरे इंचार्ज हैं इस विभाग के ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, विभाग की बात नहीं है, इन्डिवेन्डेन्ट हो सकते है । यह इनकी अन्दरूनी मामला है । माननीय सदन में कैबिनेट स्तर का कोई न कोई मंत्री माननीय सदन में हर समय मौजूद होना चाहिये ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सरकार जानबूझकर आर्थिक अपराध करने वालों को, अपने दल वालों को बचाना चाहती है और यह प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट केवल राजनीतिक

कार्यकर्ताओं पर ही लागू करना चाहती है । मान्यवर, इसके विरोध में मैं अपन दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(शोर)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

(शोर-व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

इसके विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री रियासत हुसैन सदन त्याग कर चले गये)

श्री मित्रसेन--

मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मित्रसेन सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, आर्थिक अपराधियों को यह सरकार पनाह दे रही है । इसके विरोध में माननीय अध्यक्ष महोदय मैं तथा मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री मोतीलाल देहलवी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, यह प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट में केवल राजनीतिक लोगों को बन्द किया जा रहा है और आर्थिक अपराधियों को पनाह दी जा रही है । इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ सदन त्याग कर चले गये ।)

(शोर)

(कुछ सदस्यों के सदन छोड़कर जाते समय पत्रकारों से बात करने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, कृपया बात चीत न करें । यहां से गैलरी में जायें ।

प्रदेश में अभ्यास पुस्तिकाओं एवं पुस्तकों में प्रयोग होने वाले कागज के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री पंचानन--

इस वर्ष सत्र के प्रारम्भ में इस प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय इसलिए बन्द कर दिय गए कि प्रदेश के अन्दर अभ्यास पुस्तिकायें और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं थीं । यह शिक्षा के प्रति उपेक्षा हुई । इसका ज्वलन्त उदाहरण है। मैं आपका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब यह समस्या उठ रही थी, तो सरकार की तरफ से समय-समय पर आंकड़े दिए जाते रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं को अभ्यास पुस्तिकायें उपलब्ध करायी जाती हैं । 14 लाख विद्यार्थी हाई स्कूल और इन्टर की परीक्षा में इस प्रदेश में शामिल होते हैं । सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो अभ्यास पुस्तिकायें वितरित करायी जाती हैं, अगर उनको पूरी तरह से वितरित कर दिया जाय तो प्रति विद्यार्थी डेढ़ का औसत है । आप विचार करें कि दर्जा 1 से 9 तक और कक्षा 11 और 12 के ऊपर के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिकायें उपलब्ध नहीं हैं । आज प्रदेश में इस कारण कठिन परिस्थिति पैदा हो गयी है और इसका कारण है कि पिछले जमाने में जनता पार्टी के राज्य में सरकार द्वारा मीसा बन्दी के नाम पर जो काला-बाजारी करने वाले लोग थे, उनको कागज का कोटा आबंटित किया गया । लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हमारी सरकार भी उन्हीं कालाबाजारियों पर विश्वास किये हुये है जिनका प्रदेश की नौकरशाही से सांठ-गांठ था और इसके कारण आज अभ्यास पुस्तिकाओं का कृत्रिम अभाव पैदा किया गया जबकि नया शिक्षण सत्र प्रारम्भ हो रहा था और हमारी पार्टी सरकार में आयी । मान्यवर, जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं, उन्होंने जानबूझ कर कृत्रिम अभाव पैदा किया कि अभ्यास पुस्तिकायें आज विद्यार्थियों को मिल नहीं रही हैं और उसकी पढ़ाई ठप है । इस बात को विचार करें कि आज अभ्यास पुस्तिकायें जो बाजार में ऊंचे मूल्य पर बिक रही हैं तो वे किसी विदेशी कागज के तो बनी नहीं बल्कि देशी कागज के ही बनी हैं । लेकिन इसके पीछे जो साजिश थी, जो तिकड़म था कालाबाजार करने वालों का, उन्होंने जानबूझकर समय से कागज नहीं उठाया और अभ्यास पुस्तिकायें तैयार नहीं किया । इसके पीछे उनकी साजिश थी कि निजी क्षेत्र में निर्मित अभ्यास पुस्तिकायें पहले बाजार में बिक जायेंगी और जब अभाव होगा तो अपने आप दाम बढ़ जायेंगे । कालाबाजारियों से उनकी सांठ-गांठ थी । मान्यवर, यह बात कही जाती है कि केन्द्र सरकार से कागज कम मिला । इसके बारे में निवेदन है कि केन्द्र सरकार को जो आंकलन प्रस्तुत किया गया हमारी आवश्यकताओं का कि इस प्रदेश को कितने कागज की आवश्यकता है, वह सही नहीं प्रस्तुत किया गया । यह निश्चित रूप से उन अधिकारियों का निकम्मापन है जो कि इस प्रदेश की आवश्यकताओं को समझ नहीं सके और इस कारण कागज का कोटा कम मिला । इसके बारे में, मेरा सरकार से निवेदन है कि तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ जो अभ्यास पुस्तिकाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिन्होंने गलत आंकलन प्रस्तुत किया, पूरे कागज का कोटा केन्द्रीय सरकार से नहीं लिया और जिनकी सांठ-गांठ से यह अभाव पैदा हुआ है, उनका पर्दाफाश होना चाहिये, उनकी जांच करायी जानी चाहिये और इस बात को सुनिश्चित कराया जाना चाहिये कि विद्यार्थियों को समय से अभ्यास पुस्तिकायें मिल जांय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके साथ माननीय, कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो पाठ्य पुस्तिकायें छपती हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा उसके लिये कोटा आवंटित होता है । इसमें भी, माननीय, बहुत भारी घोटाला है कि जो कागज प्रकाशकों को दिया जाता है, उसके बारे में उनसे हिसाब नहीं लिया जाता । मान लें 10 लाख किताबों का कागज दिया गया तो उनसे यह नहीं पूंछा जाते कि 10 लाख किताबें छपीं या 15 हजार छपीं । मेरी जानकारी है कि दो तरह की किताबें प्रचलन में हैं । एक तो ऐसी किताबें हैं, जो आउट आफ मार्केट हो गयी हैं । कुछ किताबों के लिए सरकार से कोटा लिया जाता है । कुछ किताबों का कवर बदल दिया जाता है और सारा का सारा कागज कालेबाजार में बेच दिया जाता है । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो कागज दिया जाता है किताबें छापने के लिए, इसकी जांच करायी जानी चाहिये कि जितना कागज सरकार ने दिया है, उतनी किताबों का मुद्रण किया है कि नहीं । यदि किया है तो उसके लिये इनकम टैक्स देना और उसके लिये कोई रजिस्टर बनाया होगा । लेकिन माननीय, पिछले तीन साल से बराबर कहता रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हुआ । माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने कहा था कि पहले स्टाक चेक करेंगे तो अगला कोटा दिया जायेगा । लेकिन उन कालाबाजारियों के दबाव में सरकार ने उस फैसले को रद्द कर दिया और उनके स्टाक को चेकिंग भी नहीं हुयी कि कितना कागज उनको मिला और कितना कागज उन्होंने छापा । वह सारा का सारा कागज आपके प्रकाशक कालाबाजार में बेच रहे हैं । अभ्यास पुस्तिकायें और पाठ्य पुस्तकें निर्माण करने वाले उस कागज को कालाबाजार में बेंच रहे हैं और उसका असर प्रदेश की गरीब जनता पर पड़ रहा है और उनके बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें और कापियां नहीं मिल रही हैं । शिक्षा व्यवस्था ठप हो रही है । अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि कालाबाजारियों के साथ सख्ती की जाय, अगर सख्ती नहीं की गयी तो हम गरीब जनता को कोई राहत नहीं दे सकते हैं । हमारी पार्टी सत्ता में आयी तो गरीब जनता को आशा थी, जनता की श्रीमती गांधी में आस्था थी, अगर कालाबाजारियों के साथ रियायत हुयी, पिछले शासन के जमाने में जो कागज का कोटा दिया गया अगर उन्हीं पर हमारी सरकार भरोसा करती है तो हम सही नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे और गरीब जनता को राहत नहीं मिल सकेगी । इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिये ताकि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें और अभ्यास पुस्तिकायें उपलब्ध हो सकें ।

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे माननीय सदस्य जी ने अपने भाषण में कापियों और पुस्तकों के बारे में कहा तो सबसे पहले इसका जवाब देते हुये मैं यह कहना चाहूंगी कि कितने स्टूडेन्ट्स हैं जिनके लिये कापियों और कागज का इन्तजाम करना है तो स्थिति क्लियर हो जायगी । इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल में 94 लाख के लगभग स्टूडेंट्स हैं । जूनियर हाई स्कूल में 28 लाख के करीब हैं और माध्यमिक स्कूलों में 18 लाख के करीब स्टूडेन्ट्स हैं तथा डिग्री कालेजों में 4 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं । कुल 146 लाख के लगभग हमारे स्टूडेंट्स हैं । उनके लिए कापियों और अभ्यास पुस्तिकाओं का इन्तजाम करने के लिए हमें कम से कम 21 करोड़ कापियों को एक साथ में आवश्यकता होगी । इसके लिए 13 हजार टन कागज होना चाहिए । इतना कागज अगर हमारे पास हो तो हम 21 करोड़ कापियां औसतन 15 कापी स्टूडेंट्स के हिसाब से दे सकते

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

है । स्थिति यह है, दुर्भाग्य यह है कि जब हमारी सरकार यहां बनी तो हमको विरासत में कर्जा ही कर्जा मिला । लायबिलटीज की एक लम्बी लिस्ट हमको मिली । जायदाद के नाम पर, गरीब से गरीब घर में भी जब कोई बूढ़ी मां या नानी दादी मरती है तो कम से कम एक आध अंगूठी वह बच्चों के लिए छोड़ जाती है । तो यहां पर जो पुरानी सरकार गयी तो हमारे लिए कर्जा छोड़ गयी । इनके सब प्रश्नों के जवाब को मैं एक कहानी में देना चाहती हूं । एक छोटी सी कहानी है । मेरे एक बेटा था, उस बेटे ने कहा मम्मी 30 साल तक तुमने घर की देख-भाल की है अब हमें भी कुछ टाइम दीजिये घर के देखभाल करने की । हमने कहा ठीक है, चलो तुम घर संभालो । 3 वर्षों तक उस बेटे ने घर की सारी जायदाद फूंक डाली और चले गये हीरो बनने ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

और मेरे लिए छोड़ गये कर्जे की लम्बी लिस्ट । मकान भी गिरवी, जेवर भी सब बिक गए औने पौने दाम पर, अब घर का भी ठिकाना नहीं है । अब सुई धागे और एक बाल्टी तक का इंतजाम भी हम बूढ़ी मां को करना है, करना है क्या करें ।

तो मान्यवर, पिछली बार ऐसा हुआ कि पिछले साल जो हमको कागज आबंटित हुआ वह आवश्यकता से कम हुआ और मिला तो कई मिलों से बिल्कुल नहीं । मिलों का पिछले तीन वर्षों में हाल यह हुआ कि सूखे के नाम पर या बिजली के नाम पर कि बिजली नहीं मिली तो कागज कैसे सस्ता दें । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इन मिल वालों से पूछना चाहती हूं कि बिजली मिली तो महंगा कागज तैयार किया और सस्ते कागज के लिये बिजली नहीं मिली । तो जो बिजली मिली उससे महंगा कागज तो बनाया लेकिन सस्ते कागज का भगवान मालिक । यह किस्सा हुआ है । इस बार हमने उनको चेतावनी दिया कि सस्ता कागज नहीं बनायेंगे तो हम उनको बिजली नहीं देंगे । तो मिल वालों ने थोड़ा थोड़ा कागज रिलीज करना शुरू किया है । अभी मैंने जैसा निवेदन किया था कि 13 हजार टन कागज की हमको आवश्यकता पड़ सकती है । तो मैं आपको बताऊं कि मैं किस मुसीबत में हूं । कागज हमको अक्तूबर-दिसम्बर, 1979 में 2 हजार टन का आबंटन हुआ, 1,954 टन जनवरी से मार्च, 1980 में और 2 हजार टन अप्रैल और जून, 1980 में जुलाई-सितम्बर में 2800 टन आबंटित हुआ । कुल मिलाकर 8754 टन अक्तूबर, 1979, से सितम्बर, 1980, तक आबंटित हुआ । इसमें से हमको 3 हजार टन एक बार मिला और 361 टन एक बार मिला जबकि 13 हजार टन की आवश्यकता है । 8 हजार टन जो कागज मिलना था उसमें से 5 हजार टन जो आबंटित हुआ है वह मिलों से मिलना है । 3 हजार टन जब हमारी प्रधान मंत्री यहां लखनऊ में आई थी तो उन्होंने हमारे निवेदन पर 3 हजार टन कागज भेजा है । इसके अतिरिक्त 700 टन के करीब और भेजा है । इस तरह कुल 5 हजार टन कागज मिलना है । चार हजार टन कागज जो मिला है वह केन्द्रीय सरकार ने परीक्षाओं के लिये दिया है । तो आबंटित तो ठीक हुआ है लेकिन जो मिलों से मिलना है वह उपलब्ध नहीं है । उसमें कोशिश कर रहे हैं कि वह हमको दे दें । जितना आबंटित हमको है यदि वह मिल जायेगा तो कोई कमी नहीं है । वैसे जितनी कापियां बांटी हैं वह लगभग 2 करोड़ के हैं । कापियां बांटने का तरीका

हमारा फूल प्रूफ सिस्टम है । हम जिले की रिक्वायरमेन्ट छात्रों का नम्बर देखकर कागज आबंटित करते ह । वह डी0 एम0 द्वारा पुस्तक बनाने वालों को हम कागज देते हैं और जब पुस्तकें बन जाती हैं तो उपभोक्ता सहकारी संघ को दे दी जाती हैं जितना कागज आवंटित होता है उतनी कापियां तौलकर वापस ली जाती हैं । इससे वह यह नहीं कर सकते हैं कि ब्लैक में कापियों को बेच दें । जैसे यदि एक हजार टन कागज आबंटित हुआ और दिया तो 1 हजार टन कापियां हमको मिलेंगी । तो हम उतनी कापियां ले लेते हैं । जो उपभोक्ता हैं उनको हम इन कापियों के लिए स्कूल और कालेजेज से सम्बद्ध कर देते हैं ताकि बच्चों को सड़क पर लाइन न लगानी पड़े और प्रिन्सिपल्स जितनी रिक्वायरमेंट छात्रों की संख्या के अनुसार हो उतनी कापियां उपभोक्ता भंडार से ले कर छात्रों में बांट देंगे स्कूल की तरफ से । इस प्रकार हमने कापियों का इन्तजाम किया है । और आप के माध्यम से मैं खुशी से इस बात का एनाउन्समेंट कर रही हूं कि अब कागज आना शुरू हो गया है और अगले दो एक महीने में किसी प्रकार की कापियों की कमी नहीं रहेगी । यह आप को विश्वास दिलाती हूं

(तालियां)

जैसा मैंने आपसे कहा सुई से लेकर लोटा, कटोरी, थाली तक का इन्तजाम करना पड़ रहा है । कुछ तो मुझे, एक बूढ़ी मां को, समय दीजिए कि वह घर को सूचारु-रूप से फिर से बना सके, कारोबार शुरू करे ।

जहां तक पाठ्य पुस्तकों का सम्बन्ध है, मान्यवर, इनके लिए लगभग 4000, 5000 टन कागज की हमारे प्रदेश में आवश्यकता है । इसमें सिस्टम यह है कि हमने एक जमात के अष्टम कक्षा तक की पुस्तकें नेशनैलाइज्ड कर दी हैं यानी सरकार लिखती है और पब्लिसर्स को दी जाती है, कन्ट्रक्ट दिया जाता है । इस सम्बन्ध में हमारे माननीय पंचानन राय जी ने कहा कि ब्लैक चल रहा है कापियों में भी और इसमें भी । कापियों के बारे में तो मैंने आपको बताया । जितना टन कागज दिया जायगा उसी तौल में उतनी कापियां ली जायंगी । तो वह एक फूल प्रूफ सिस्टम है । किताबों म गड़बड़ी हो सकती है । तो उसके अगेन्स्ट हमने यह इन्तजम किया है कि 1 से 8 जमात तक की जितनी पुस्तकें हैं वे हमारी लगभग राष्ट्रीयकृत, नेशनैलाइज्ड, पुस्तकें हैं । इसमें लगभग हमको दो करोड़ की जरूरत पड़ती है प्रति वर्ष । उसका सिस्टम हम ने यह किया है कि हम ढाई करोड़ पुस्तकें बनाने का आर्डर देते हैं दो करोड़ की जरूरत और आर्डर ढाई करोड़ का । ढाई करोड़ पुस्तकें प्रकाशक बनाये और ढ़ाई करोड़ बेचे । उसमें नियन्त्रण रखने के लिए हमने एक सिस्टम निकाला है (कवर्स हय बनाते हैं ।) ढाई करोड़ पुस्तकें प्रकाशक को बनाने के लिए दिये हैं तो हम ढाई करोड़ कवर्स, जो हमारे ट्रेड मार्क के कवर्स होते हैं, वे हम प्रकाशक को दे देते हैं । उतने ही कवर्स हैं जितनी किताबें प्रकाशकों को बनाने को दी हैं ताकि इसमें ऐसा नहीं हो कि हमने ढाई करोड़ किताबें बनाने को दी और उन्होंने तीन करोड़, चार करोड़ की किताबें बना कर ब्लैक में बेची । यह हमने सिस्टम निकाला है । अब इस साल हालत यह है क्योंकि कागज की कमी थी केवल डेढ़ करोड़ हम कवर्स दे सके हैं और डेढ़ करोड़ और देने हैं । वैसे इसमें कोई परेशानी अब नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

शार्ट इस्टेटमेंट आना चाहिए मंत्री जी का...

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

महंगाई की वजह से खास कर पुस्तकें जो हैं ...

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी को इसके बाद अभी उत्तर भी देना होगा ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने काफी स्थिति क्लीयर कर दी है । मैं पंचानन राय जी को विश्वास दिलाती हूं कहीं कोई ब्लैक हो रहा है तो उसकी जांच कड़ाई से होगी तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाही की जायगी ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, राय साहब ने जो विषय रखा है वह शिक्षित वर्ग से ही ताल्लुक रखता है । प्रदेश की सरकार से लेकर दिल्ली की सरकार तथा शिक्षा मंत्री तक उसका ताल्लुक है। मुझे ऐसा मालूम होता है। माननीय मुख्य मंत्री अपने मंत्रि परिषद् में कोई नया विभाग घर गृहस्थी का खोल दिया है जिसका सम्बन्ध जैसा माननीय शिक्षा मंत्री की बातों से लगा घर गृहस्थी से ज्यादा और शिक्षा से कम था । उन्होंने बताया कि 13 हजार टन कागज की उनको जरूरत है और उन्होंने यह तसलीम किया कि कागज का आवंटन भी हो गया है । लेकिन उनकी सारी तकरीर का जो जोर है वह इस बात पर है कि मिल मालिकों ने कागज नहीं दिया बावजूद आवंटन होने के । वे मिल मालिक कहां के हैं ? मध्य प्रदेश के, बम्बई अथवा मद्रास के हैं इसे मंत्री जी साफ कर दें । मिल मालिक अगर हमारे प्रदेश के बाहर के हैं तो क्या उन पर कोई कायदा कानून लागू नहीं होता ? जो ताजीरात हिन्द, सी० आर० पी० सी० तथा पी० डी० ऐक्ट बने हैं वे उन पर लागू नहीं होते ? यह शार्टेज हुई तो माननीय मंत्री जी ने यह कह कर छुट्टी पा ली कि पिछली जनता सरकार ने जो पाप किए हैं उनका भार वह ढो रही हैं । तो क्या इससे काम चल जायगा जब हम यह कहने लगे कि एक साल बिना इम्तिहान के सारे बच्चों को अगली कक्षा में तरक्की दे दी जाय ? इससे काम चलने वाला नहीं है । यह जिम्मेदारी आपकी है कि बच्चों को किताबें मिलना चाहिए और यह देखें कि बच्चों को वे कापियां न पहुंचने में कौन-कौन रोड़ा अटका रहे हैं ? जो लोग बच्चों की जिन्दगी से खिलवाड़ कर रहे हैं इससे उनका क्या हश्र होगा । आपका कर्तव्य है कि जो दोषी पाये जायं इसके लिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें ताकि आगे इस तरह की कार्यवाही न हो सके और उनकी जिन्दगी का खिलवाड़ न बनाया जा सके । कंज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर्स हैं, फेडरेशन है, प्रिन्सिपल है । यह जो तरीका आप एक के बाद एक अपना रहे हैं यह चीज फेल हो गयी तो यह करेंगे, यह चीज फेल हो गयी तो यह करेंगे कापी न मिली बच्चों को तो आप साल भर तजुर्बा करने लगे और एक के बाद एक रास्ता निकालने लगे यह किसी तरह उचित नहीं है । यह आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप ओन करें । इसके लिए राय साहब ने जो सुझाव दिया है कि कोई ऐसी हाई पावर कमेटी बनाई जाय जो इतने बड़े स्कैंडल की जांच करे जिसमें 146 लाख बच्चों

की जिन्दगी से खिलवाड़ किया गया है और इस कमेटी की जांच में जो भी दोषी पाया जायगा है मिल मालिक हो अथवा शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी हों, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय ताकि भविष्य में तकलीफ न हो। 8, 10 अक्तूबर तक सदन चलेगा। इस बीच में कहीं दोबारा नियम 51 अथवा 52 की बहस फिर न इस बारे में लानी पड़े। इसके लिये आप जिम्मेदार होंगी। केवल कह देने से काम नहीं चलेगा। राय साहब का जो सुझाव है उससे मैं सहमत हूं कि इसके लिए एक हाई पावर कमेटी एप्वाइंट की जाय।

श्री दामोदर शर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, अभ्यास पुस्तिकाओं के बारे में जो कमी चल रही है, मैंने कल भी पूछा था मंत्री जी से कि जो 30 पैसे की कापी थी वह बाजार में दो या तीन रुपये की बिक रही है और चोर बाजारी करने वालों के कोटे कैंसिल हुये हैं या नहीं, इसका जवाब अभी तक मंत्री जी ने नहीं दिया है। आज भी वे उसी तरह से ब्लैक कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। मैं भी खुद उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे काला बाजारी करने वालों के कोटे कैंसिल करने जा रहे हैं या नहीं ?

(इस समय 6 बज कर 13 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यदि ऐसा नहीं होगा तो मेरा निश्चित मत है कि फिर इसी सदन में नियम 52 की नोटिस दी जायेगी चाहे वह मैं दूं या पंचानन जी दें। मैंने कल भी कहा था कि आज भी किताबों और कापियों के लिए दुकानों में और आपके उपभोक्ता भंडारों में लाइन लगी रहती है, लेकिन फिर भी बच्चों को कापियां नहीं दी जाती हैं। उनको ब्लैक किया जाता है, प्रिन्सिपल खुद बाद में ले जाते हैं ब्लैक किया जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि मंत्री जी अभ्यास पुस्तिकाओं के बारे में बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको नहीं होने देंगी और शीघ्र ही बच्चों को कापियां उपलब्ध करायेंगी।

*श्री मित्रसेन—

माध्यक्ष, अभ्यास पुस्तिकाओं के बारे में माननीय पंचानन राय जी ने राय व्यक्त की है वह बहुत ही समयानुकूल है। माननीय मंत्री जी ने यह भावना व्यक्त की है कि जो कमियां हैं उनको जल्दी ही दूर कर दिया जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि अगर चीजों का अभाव है, कागज की कमी है तो फिर कापियां ब्लैक में कैसे उपलब्ध हो रही हैं। इसका अर्थ यह है कि चीजों को ब्लैक करने का अवसर दिया जा रहा है और उन चीजों के उपलब्ध होते हुए उनको नहीं दिया जा रहा है। यदि ब्लैक में चीजें न मिलतीं तो यह समझा जाता कि कागज का अभाव है अन्यथा जब ब्लैक में किसी भी कीमत पर मिल रही हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि चीजों का अभाव नहीं है लेकिन वह सरकार के नियंत्रण में नहीं है। साथ ही जिस तरह से आज शिक्षण संस्थाओं में असन्तोष है वह किसी आन्दोलन का रूप दे सकता है और फिर छात्रों के साथ लाठी चार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारी शुरू हो जायेंगी। इससे छात्र अलग नहीं रह सकते। छात्र के मां बाप तो उसकी शिक्षा के लिये धन खर्च करते हैं और उसको देखते हुए अभिभावक भी परेशान हैं, अध्यापक भी परेशान हैं और छात्र भी परेशान हैं। कागज का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मित्र सेन--]

कोटा लेकर मिल मालिक और उपभोक्ता भंडार उसका ब्लैक कर रहे हैं और उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार पूर्णरूप से अक्षम है । इससे जाहिर होता है कि यह कालाबाजारी खुले तौर पर प्रकाश में आ चुकी है । इसलिए सरकार ने इस तरह के लोगों को ही गिरफ्तार करने के लिए पी० डी० ऐक्ट बनाया है लेकिन अभी तक एक भी आदमी को इसके अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया गया है । अतः इस ऐक्ट को ऐसे लोगों पर भी लागू होना चाहिये । सरकार इसकी छानबीन करे कि क्यों ब्लैक में कापियां मिल रही हैं, किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है । आज तक एक भी ब्लैक मार्केटियर को गिरफ्तार नहीं किया गया है । अभी मंत्री जी एक कहानी सुना रही थीं । आज बच्चों के सामने जो समस्या है, अभिभावकों के सामने जो कठिनाई है उसको हल करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायं और जो समाधान प्रकाश में आये, जो चीजें प्रकाश में आयें उनको गिरफ्त में लिया जाय तब कोई सरकार सफल हो सकती है और समस्याओं का हल भी हो सकता है । अगर सरकार इन चीजों के कन्ट्रोल में स्वयं सक्षम नहीं है तो पंचानन राय जी ने जो कमेटी का सुझाव दिया है उसको स्वीकार करें, इस पर वह फिर से विचार करे और कमेटी के गठन के बारे में निर्णय करे ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय शिक्षा मंत्री ने जो गृहस्थी संभाली है उसमें उनको पहले देखना चाहिये कि उसमें जो चोर छिपा हुआ है वह उसे ठीक करे। जो भाषण का जाल उन्होंने बिछाया है उसमें वह स्पष्ट नहीं कर सकी कि आज उत्तर प्रदेश में कागज की कमी जो हुई है वह जानबूझ कर शासन के माध्यम से हुई है । इस सम्बन्ध में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं । राय साहब ने जो जांच कमेटी की मांग की है उसका कारण क्या है ? वह जानते हैं कि कागज बनाने वाले मिल मालिकों ने विधान सभा के चुनावों के पहले लाखों रुपया चन्दा दिया उसके लिए शासन ने आश्वासन दिया कि आपको अधिक कीमत में कागज बेचने का समय दिया जायेगा । क्योंकि विधान सभा के चुनावों के पहले केन्द्र के राज्य मंत्री उद्योग की कागज के मिल मालिकों से मीटिंग हुई थी उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि सस्ते मूल्य की जो कापियां हैं उसको 25 प्रतिशत बढ़ा कर बेचने की अनुमति दी जायेगी और जो खुले बाजार में महंगे कागज की कापियां हैं वह जितने में चाहें आप बेच सकते हैं । सरकार द्वारा कोटेदारों को सस्ते मूल्य का कागज नहीं दिया गया और महंगे मूल्य का कोटा मिल मालिकों द्वारा दे दिया गया । तो सस्ते मूल्य का कोटा क्यों नहीं दिया गया, जब कि पता था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर बाढ़ आई है और सूखा पड़ा है । यहां पर हर प्रकार से तबाही हुई है । जुलाई के प्रारम्भ में ही माननीय सदन ने शिक्षा मंत्री जी को आगाह कर दिया था इसके लिए 301 में सूचना दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में सस्ते मूल्य की कापियां नहीं प्राप्त हो रही हैं। शिक्षा मंत्री जी को चाहिये था कि मिल मालिकों से कहतीं कि सस्ते मूल्य का कागज पहले दिया जाय ।

हमारे झांसी जिले में जितना भी कोटा दिया गया था सस्ते मूल्य की कापियों का उसका एक हिस्सा ही प्राप्त हुआ जबकि जिलाधीश ने कोटेदार को बुला कर कहा कि यदि कागज नहीं लाते हो तो तुम्हारा कोटा समाप्त कर दिया जायेगा और दूसरे को कोटा दे दिया जायेगा । सहारनपुर की स्टार मिल ने उनको पूरा कोटा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं दिया। शिक्षा मंत्री जो से कहना चाहता हूं जब उनसे कहा गया तो उनको कागज दे दिया । इससे साफ जाहिर है कि मिल मालिकों ने इस प्रकार की सरारत को यह किसके द्वारा कराई गई, किसने उनको यह मौका दिया की जो घोटाला चल रहा है उसी कारण यह सब हो रहा है । मैं साफ आरोप लगाना चाहता हूं कि यह कमी सरकार ने पैदा की थी । इसलिये राव साहब ने जो समिति की मांग की है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय शिक्षा मन्त्री से कहता हूं कि वह इसकी अपने भाषण में स्पष्ट घोषणा करें । यह उनके लिये आदर्श उपस्थित होगा । इस समय मिल मालिकों द्वारा मंहगे मूल्य के कागज को बाजार में छूट दे दी गई है लेकिन शासन की नीति के अनुसार सस्ते मूल्य के कागज की कोटेदारों को क्यों नहीं दिया जबकि एक ही समय पर कोटेदार सस्ते मूल्य का कागज और महंगे मूल्य का कागज लेने के लिए मिल मालिक के पास जाता है, महंगे मूल्य के कागज का कोटा मिल जाता है सस्ते मूल्य के कागज का कोटा नहीं मिलता ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप विराजें । आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

पहाड़ों पर जिस लकड़ी से कागज बनता है जुलाई के महीने में समाचार छपा था कच्ची लकड़ी से भी स्टार पेपर मिल, सहारनपुर बड़ी तादाद में कागज बना रहा है । यह भी जांच करनी चाहिये जब उत्तर प्रदेश में कागज का उत्पादन अधिक था समय-समय पर कच्चे माल की कितनी खपत हुई और आज कितनी खपत हुई, जब उत्पादन कम हो गया है । कागज बनाने के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी पिछले वर्षों में ज्यादा खरीदा है । मेरा आरोप है, आज भी इन मिल मालिकों पर छापा डाला जाय उत्तर प्रदेश में कागज की कमी पूरी हो सकती है । लेकिन यह तभी होगा जब पी० डी० एक्ट का प्रयोग करें । जो राजनीतिक लोगों पर किया जाता है ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कागज का मसला केवल कागज का मसला नहीं है, सरकार और विरोधी पक्ष का मसला नहीं है यह साक्षर शिक्षित और बुद्धजीवी वर्ग का मामला है । हम शिक्षा माध्यम को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहते हैं । दुखित, दलित और उत्पीड़ित को शिक्षित कर उसके जिन्दगी को संवारना चाहते हैं । माननीय मन्त्री ने बताया कि मिल मालिक बात नहीं मानते । नैतिकता के नाते, यदि आपका आदेश कोई पालन नहीं करता तो कम से कम आप को हट जाना चाहिये, यह नैतिकता का तकाजा है । नहीं तो अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिये । कागज को नियन्त्रित करके बुद्धि विवेक को नियन्त्रित कर दिया गया है । यह उन लोगों को बेचने का अधिकार दिया गया है जो सर्व काली स्थितियों में रहते हैं, काला बाजार में रहते हैं, काले मन और विवेक के बीच में रहते है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

कोरम पूरा नहीं है । एक अहम मसले पर डिस्कशन हो रहा है । नियम के अनुसार कोरम की जरूरत है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कोरम के लिए घंटी बजायी जाये ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई) ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

माननीय, जिनको कागज बेचने के अधिकार दिये गये हैं, जिनको आपने एजेन्सी दे रखी है, हमने व्यवहारिक जीवन में उनको देखा है, उनके पास न केवल कागज बेचने की एजेन्सी है वरन् काले बाजार में जो अधिकांश सामान बिकते हैं, उन सभी के बिक्री के अधिकार उनके पास हैं । आपने कौन सी मान्यतायें निर्धारित की हैं कागज देने के लिए ? आज छात्रों की बुद्धि विवेक और उसके विकास पर इस कागज की कमी का बड़ा बुरा असर पड़ा है । जिनको नियंत्रित पुस्तकायें मिलनी चाहिये थीं, उनको नहीं मिली हैं । नैतिकता का तकाजा है कि आप शिक्षा को बेचेंगे नहीं, यहां भारत देश में शिक्षा का दान किया जाता था, अतः आपसे अपेक्षा है कि आप शिक्षा-दीक्षा का दान दिलायें । हमने पिछले साल देखा सलेमपुर की एक कागज एजेंसी की शिकायत की गई थी और उसको दूर करने के लिये कुछ असामाजिक तत्व सस्ते गल्ले के दुकानदारों से यह लिखवाते थे कि हमारे यहां इतना कागज लिया गया, हमारे यहां इतना लिया गया । यदि यही स्थिति रही तो यह कागज की सरकार कागज की इन पत्रावलियों में ही दौड़ती रह जयेगी और वह व्यावहारिक धरातल पर उतरकर कोई ठोस कार्य नहीं कर पायेगी । मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जबतक हम सदन में नहीं आते हैं, हमारी दृष्टि ठीक और पवित्र रहती है, लेकिन उनके माननीय सदन के सदस्य होने पर कुछ कम उन्हें दिखाई देने लगता है और मंत्री बनने पर कुछ बड़ी धूमिल छाया उन्हें दिखाई पड़ती है । मेरा निवेदन है कि वह कुछ बड़े चश्मे से देखें, जिससे सामान्य जन की सही आकृति आपको दिखाई दे और तमाम समस्याओं का सही समाधान शीघ्र निकल सके ।

*श्री अकबाल हुसैन--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय पंचानन राय जी ने इस सदन में जो प्रस्ताव रखा है, वह बहुत ही समयानुकूल है । उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि सत्तापक्ष में रहते हुए भी उन्होंने ऐसा सामयिक और जन हितकारी प्रस्ताव इस सदन में रखा है। मैंने मन्त्री जी की बातों को बड़े गौर से सुना, जैसा उन्होंने कहा हमारे प्रदेश के छात्रों को 26 करोड़ कापियों की जरूरत है और शिक्षा सत्र का तीसरा महीना चल रहा है, वह अबतक केवल दो करोड़ कापियां दे पाये हैं । इन अभ्यास पुस्तिकाओं के अकाल की हालत में विद्यार्थियों को जो दशा है, शिक्षा के संचालन में सभी सम्बन्धित लोगों को जो कठिनाई है और हो रही है, यह सब इससे स्पष्ट है । मैं गोंडा जनपद की बात यहां रखना चाहता हूं, मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वहां पर कन्ट्रोल की कापियां उसको उपलब्ध नहीं हो पाई हैं । शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य जब वहां जाते हैं तो डी० आई० ओ० एस० कहते हैं कि बलरामपुर से कापियां मिलेंगी और जब वह बलरामपुर जाते हैं तो कहा जाता है कि कापियां उपभोक्ता भंडार से मिलेंगी । वह इन स्थानों का चक्कर लगाते हुये अपने समय को नष्ट कर रहा है और हमारे बच्चों का समय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नष्ट हो रहा है। तो जो कापियों का अभाव है और साथ म जो पुस्तकों का अभाव है, उनके लिये मन्त्री जी ने बताया है कि कागज के अभाव के कारण ऐसा हुआ है, तो मैं सुझाव देना चाहता हूं--जब उन्होंने गृहस्थी की बात और कहानी सुनाई है, वह एक अच्छी मंत्री भी सिद्ध हो सकती हैं। उनको यह चाहिये था कि पहले से कागज का इंतजाम करातीं और अभी जैसा अग्निहोत्री जी ने कहा है कागज उत्पादन हमारे प्रदेश में बढ़ाया जा सकता है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। इसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि गोंडा जिले में कागज उत्पादन के साधन बहुत हैं। इस बारे में यदि वह उद्योग मन्त्री से परामर्श करके कागज का एक कारखाना वहां लगा दें तो अगले साल से कागज की कमी प्रदेश में दूर की जा सकती है श्रीमन् जब तक कागज का उत्पादन नहीं बढ़ाया जायेगा आने वाली पीढ़ियों में जब कि शिक्षा का प्रसार होगा, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और हमारी कागज की जरूरत प्रति दिन बढ़ती जायेगी। इसलिये हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि कागज का उत्पादन बढ़ाया जाय। इस समय सख्त जरूरत है कि एक्सरसाइज बुक्स और किताबें हमें कन्ट्रोल रेट पर दिलाई जायं और मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि उन भंडारों पर, जहां से काले बाजार में बिकती हैं और जहां पर इनकी होने की सम्भावनायें हैं, 2-4 दिन में एक साथ छापा डलवाया जाय ताकि जो जखीरा है, वह सामने आ जाय और हमारे बच्चों को कुछ राहत मिल सके। अन्त में माननीय पंचानन जी ने जिस समिति के गठन का प्रस्ताव किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसके गठन से इनकी समस्या हल हो सकेगी।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार नहीं कि कागज का अभाव हुआ है इसके पहले भी कई बार इसकी कमी हुयी है। हमारी कागज की जरूरत हर साल बढ़ जाती है। अगर पिछले वर्ष 1 लाख या 2 लाख विद्यार्थी थे तो इस साल 3 लाख या 4 लाख हो गये और अगले वर्ष 5 और 6 लाख हो जायेंगे और उनकी तादाद हर साल बढ़ती जाती है। तो सवाल सप्लाई और डिमान्ड का है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब चीजों की कमी होगी और डिमान्ड ज्यादा होगी तो कुछ न कुछ हद तक ब्लैकमार्केटिंग अवश्य होगी और दिक्कत पैदा होगी। यदि सामान काफी मात्रा में उपलब्ध रहेगा तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा। इसलिए कागज के अधिक उत्पादन की आवश्यकता है और वह इतनी मात्रा में हो कि हमारी जरूरतें पूरी हों। शिक्षा संस्थाओं को ही आवश्यकता नहीं है और भी कई प्रकार की आवश्यकतायें हैं। अतः इसमें कोई कमेटी के बनाने का मसला नहीं है, और न कोई कमेटी इसका हल निकाल पायेगी, न इसमें कोई स्कैन्डल ही है। कमेटियों के बनने से यह सवाल हल नहीं हो सकता है। यह लोग टर्म मेजर्स से हल हो सकता है, उत्पादन बढ़ाने से हल हो सकता है।

मेरा सुझाव है कि हमें प्राथमिकता देनी चाहिये। जिस कदर हमारे पास कागज उपलब्ध है और उसकी विद्यार्थियों और शिक्षा संस्थाओं में आवश्यकता है उसको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बाद और जो हमारी आवश्यकतायें हैं, उनको कम किया जाय लेकिन विद्यार्थियों को अवश्य ही एक्सरसाइज बुक्स और किताबें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल प्रताप सिंह---]

मिलनी चाहिये, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। विभागों की आवश्यकताओं को कम किया जा सकता है लेकिन चूंकि विद्यार्थियों के अध्ययन का प्रश्न है इसलिये कागज की कमी पूरी करनी चाहिये। अगले वर्ष और दूसरे वर्ष कागज की और कमी हो जायेगी उस कमी को पूरा करने के लिए हमें इम्पोर्ट करके पूरा करना चाहिये। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमें पहले से तय करना चाहिये इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह कमेटी का कोई मसला नहीं है। क्योंकि कोई स्कैन्डल नहीं हुआ है। इन्टेलेक्चुअलाइजेशन करने के स्थान पर हमारी प्रेक्टिकल एप्रोच होनी चाहिये और प्रेक्टिकल एप्रोच यह है कि हमें कागज का उत्पादन बढ़ाना चाहिए।

श्री पंचानन---

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में उन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला कि उत्तर पुस्तिकाओं और पुस्तकों का अभाव क्यों हुआ। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि पिछले साल जितनी जरूरत थी, उतना कागज उन्हें सेन्टर से नहीं मिला और इस साल जुलाई में जो मिला उससे वे आवश्यकता को वे पूरा करेंगी।

मैंने भी अपने भाषण में यही बात कही थी कि हमारे प्रदेश के अधिकारियों ने हमारी आवश्यकता को सही तरीके से केन्द्रीय सरकार के सामने पिछले वर्ष नहीं रखा और इसलिये हमको कम कागज मिला और उनकी सांठ-गांठ से ही कालाबाजारी हो रही है। पुस्तकों का अभाव है। मैं मंत्रीजी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि आगे आने वाले दिनों में इसका अभाव नहीं होगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं, चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के कि उन्होंने कुछ बड़े ही कान्सट्रक्टिव सुझाव दिये हैं। हम सभी का इस बात में इन्टरेस्ट है कि छात्रों का नुकसान न हो। मैं इसके लिये पंचानन राय, श्री रियासत हुसैन, श्री गुप्ता जी सभी को धन्यवाद देती हूं।

कुछ वजह से कापियों की कमी हुई। एक तो ब्लैक चल रहा है। दूसरे जैसे पंचानन राय जी ने कहा, पिछले वर्ष कुछ ऐसे लोगों को कागज आवंटित किया गया जिन्होंने घड़ल्ले के खुलआम ब्लैक किया। हम अब इसके लिये बहुत सतर्क हैं। अब हम जितन टन कागज देते हैं उतनी ही कापियां यानी उतने ही वजन की कापियां ले लेते हैं, कापियां बनाने वालों को बिक्रेता नहीं बनाते। अगर 1 टन कागज दिया तो उसी अनुपात में 16 हजार कापियां ले लेते हैं। फिर उपभोक्ता संघ के द्वारा, स्कूलों में जहां जितनी जरूरत होती है, उसके अनुसार उनका वितरण किया जाता है। इस तरह से हमने ब्लैक रोकने की कोशिश की है।

रियायती मूल्य की कापियों पर हमारा कन्ट्रोल रहता है, मंहगी कापियों पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है। अमीर आदमी उनको मंहगे भाव पर खरीदते हैं। हमारी यह कोशिश होगी कि 21 करोड़ कापियों की जो हम जरूरत है वह हम पूरी कर सकें। हमारी 64 पेज की कापी का मूल्य 35 पैसे है। दूसरी परेशानी

कागज के आवंटन की है। इसमें हमें मिल मालिकों ने कुछ लेडडाउन किया। मैं राजेन्द्र अग्निहोत्री जी की यह बात कतई मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि उन्होंने सस्ते मूल्य की कापियां इसलिये नहीं बनायीं क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपया दिया। किसको दिया, यह हमारी नालिज म नहीं है उनकी नालिज में होगा। एक पायी भी उन्होंने अगर हमारे हाथ में दी हो तो मैं इसी वक्त इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। अब हमने उनको काफी चेतावनी दिया है। हमने उनको यह कहा है कि रा-मैटेरियल की जो बात हुई, बड़ा अच्छा प्वाइंट रेज हुआ। उन्होंने यह कहा कि रा-मेटेरियल कोई लेत हैं, पेपर मिल के और वह महंगा कागज बेचते हैं। हमने यहीं उनको पकड़ा कि बिजली तुम हमसे लेते हो और रा-मेटीरियल लेते हो और सारे का सारा महंगा कागज देंगे। तो हमने यह कहा कि तुम्हारा रा-मेटीरियल बंद करवा देंगे और बिजली भी बन्द करवायेंगे। तब यह कागज अब ताबड़तोड़ भेजना शुरू किया है। झांसी की बात हुई।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जिस प्वाइंट को आपने कहा है, क्या उसकी जांच करायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हम ऐक्शन ले चुके हैं, भविष्य का सवाल ही नहीं उठता। अभी दामोदर शर्मा जी ने कहा मेरठ में साढे 4 से 5 लाख के करीब, यह महीने-दो महीने का फीगर है। राजेन्द्र अग्निहोत्री ने जो प्वाइंट रेज किया है, वहां पर 3 लाख कापियां जा चुकी हैं। तीसरी बात जो रेज किया है, वह वितरण प्रणाली में कमी है। यह तीन कारण है, जिसकी वजह से परेशानी है और तीनों के बारे में ऐक्शन लेकर हम कार्यवाही कर रहे हैं। वितरण के बारे में रियासत हुसैन साहब ने एक प्वाइंट रेज किया उनके संबंध में मैं एक शर कहना चाहती हूं। या रब न वह समझे हैं, न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको न दें मुझको जबां और। एक सिस्टम सरकार ने वितरण प्रणाली का बनाया है कि पुस्तक बनाने वालों को आवंटित किया गया है। एक स्टेज नं0 1, नं0 2 पुस्तक बनाने के लिये जितने कागज आवंटित किये गये हैं, उसी के तौल में उपभोक्ता भंडार को देंगे। तीसरी स्टेज है उपभोक्ता वाली कापियां देने के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री स्वरूप कुमारी बख्शी—

चौथी छात्रों को देने की है। ये 4 स्टेजेज हैं। 4 सिस्टम नहीं है। एक सिस्टम के 4 स्टेजेज हैं। मैंने यह किया है ताकि कोई कमी न रहे। मैं आदरणीय

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

श्री पंचानन राय जी से अनुरोध करूंगी कि वह लिखकर दें, नाम लिख कर दें जो डलंक कर रहे हैं, जिन्होंने हमें परेशान किया है। हम जरूर उनके खिलाफ ऐक्शन लूंगी और मैं यह भी आश्वासन देती हूं कि मिल मालिकों को भी भविष्य में हम उनके ऊपर कड़ी चेतावनी, हम दुबारा उनको देंगे कि अगर उनको रा-मैटेरियल चाहिए तो पहले छात्रों के लिए सस्ती कापियां दें वरना निकल जांय।

उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे प्रातः फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

16 सितम्बर, 1980

विधान परिषद

नत्थी 'क'

(देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 5 पर)

प्रश्नोत्तर में उल्लिखित जनपदों की सूची

1—उन्नाव

2—बदांयूं

3—ललितपुर

4—आगरा

5—झांसी

6—हमीरपुर

7—गोरखपुर

8—लखीमपुर-खीरी

9—फैजाबाद

10—बुलन्दशहर

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

संलग्नक

संस्था का नाम	प्रान्तीयकरण की तिथि	वास्तविक अधिग्रहण की तिथि
1	2	3
पौड़ी गढ़वाल--		
1--सितोन्सय इन्टर कालेज, कोट पौढ़ी गढ़वाल	1-7-79	1-7-79
2--इन्टर कालेज, रिखनीखाल, पौड़ी गढ़वाल	1-10-79	10-79
3--श्री शिवदयाल गिरिस इन्टर कालेज, दिउली, पौड़ी गढ़वाल	1-10-79	1-10-79
4--जनता इन्टर कालेज, कमलपुर, पौड़ी गढ़वाल	1-11-79	1-11-79
5--जनता इन्टर कालेज, कांसखेत पौड़ी गढ़वाल	1--1 1-79	29-2-80
	अल्मोड़ा	
6--परिषदीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मठखोला, अल्मोड़ा	1-7-79	25-7-79
7--पिंडारी इन्टर कालेज, चौड़ाखाल अल्मोड़ा	1-10-79	16-11-79
8--परिषदीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुनलाखेत, अल्मोड़ा	1-10-79	30-11-79
9--उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मूनान, अल्मोड़ा	1-11-79	1-11-79

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

अल्मोड़ा मैगनेसाइट लि0 में कार्यरत अस्थायी/स्थायी अधिकारियों/कर्मचारियों, जो अल्मोड़ा जनपद अथवा बाहर के रहने वाले हैं, की 1-7-80 की स्थिति के अनुसार विवरण :

श्रेणी	जिला अल ोड़ा के निवा ी		योग	जिला अस्मोड़ा से बाहर के निवासी		योग	
	अस्थायी स्थायी आकस्मिक			स्थायी	अस्थायी आकस्मिक		
1	2	3	4	5	6	7	8
1—प्रबन्धकीय एवं परिवेक्षीय कर्मचारी	57	..	57	12	..	12	69
2—कामगर कर्मचारी	565	11/46	576/46	26	2	28	650
योग ..	622	11/46	633/46	38	2	40	719

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

प्रश्न संख्या 6—अल्मोड़ा मैगनेसाइट लि0 द्वारा आरम्भ से माह जून, 1980 तक जितना कच्चा माल निकाला गया और जितना कच्चा माल स्थानीय, कारखाने में भेजा गया तथा कच्चा माल काठगोदाम/रामपुर रेलवे द्वारा टाटा नगर को भेजा गया है का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	कच्चामाल जो खादान से निकाला गया (टनों में)	कच्चामाल "2–7" जो खादान से अपने स्थानीय कारखाने भेजा गया (टनों में)	कच्चामाल 1/2 "2" अन्डर साइज्ड) जो खादान से काठगोदाम व रामपुर तदनन्तर रेलवे द्वारा टाटानगर को भेजा गया (टनों में)	कच्चामाल "1/2–2" (अन्डर-साइज्ड) जो खादान से काठगोदाम व रामपुर तदनन्तर रेलवे द्वारा अन्य स्थानों को भेजा गया (टनों में)
1	2	3	4	5
1971–72	93	..	..	20
1972–73	4,534	..	582	..
1973–74	7,527	5,804	2,091	..
1974–75	18,660	18,457	3,314	12
1975–76	29007	27,677	312	92
1976–77	51,740	51,301	145	2
1977–78	47,620	47,014	2,562	..
1978–79	48,455	46,677	1,901	..
1979–80 (जून 30, 1980 तक)	20,421	19,347	684	24
योग : ..	2,28,057	2,16,277	11,591	150

रेलवे स्टेशन टनकपुर द्वारा किसी प्रकार का कच्चा माल कम्पनी द्वारा नहीं भेजा गया ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

जनपद देवरिया

नाम विकास खन्ड	भवनहीन विद्यालयों की संख्या	निर्माणाधीन भवनों की संख्या
1	2	3
1—देवरिया	14	..
2—बैतालपुर	14	..
3—देसही देवरिया	14	..
4—पथर देवा	16	..
5—राम पुरकार खाना	7	1
6—गौरी बाजार	21	3
7—रुद्रपुर	37	..
8—सलेसपुर	13	2
9—लार	22	5
10—भागलपुर	9	1
11—बरहज	15	1
12—भलुअनी	12	5
13—भटनी	7	..
14—भाटपार रानी	15	1
15—बनकटा	18	2
16—पडरौना	16	2
17—बिशुनपुरा	19	..
18—दुधई	18	..
19—सेवरही	16	1
20—तमकुही	13	..
21—कसया	26	2
22—फाजिलनगर	9	3

1	2	3
23—हाटा	5	1
24—मोतीचक	16	4
25—रामकोला	9	..
26—कत्तानगंज	4	..
27—नवरंगिया	7	..
28—खड्डा	14	..
29—सुकरौली	15	..
नगर क्षेत्र		
1—देवरिया	7	..
2—पडरौना	3	..
3—गौरा बरहज	3	..
योग ..	434	34

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

तालिका

जनपद चमोली में वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में स्वीकृत मोटर मार्गों का विवरण

मोटर मार्ग का नाम	स्वीकृत मार्ग की लम्बाई कि0 मी0 में	31 मार्च, 1980 तक किया गया व्यय लाख रु0	31 मार्च, 1980 को अवशेष कार्य कि0 मी0 में	निर्माण कार्य में अवरोध का कारण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
(क) वर्ष 1977-78 में स्वीकृत मोटर मार्ग (नव निर्माण)-					
1--उखीमठ मनसूना	8.0	16.36	1		
(ख) वर्ष 1978-79 में स्वीकृत मोटर मार्ग (नव निर्माण)					
1--घाट रमणी	3.0	2.80	2	..	
2--गोचर सिदोली	3.0	3.0	0.5	..	
3--कर्ण प्रयाग कनखल रैखाल	3.0	1.64	0.5	..	
4--काकड़ा-गाड परकण्ड़ी कंडारा	4.0	0.20	4.0	ग्रामवासियों द्वारा एतराज के कारण समय पर कार्यआरम्भ नहीं हो पाया ।	

विधान सभा

1	2	3	4	5	6
5—ताल देवरिया ताल	4.0	6.01	1.50		
6—गोबिन्दघाट गुरुद्वारा पहुंच मार्ग (त्वरित योजना)	0.8	1.56	0.30	भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है ।	
7—उखीमठ विद्यापीठ मार्ग	2.50	3.98	1.0	..	
8—मोहन खाल चन्द्र नगर मोटर मार्ग	6.0	4.40	1.0	..	
(ग) वर्ष 1979-80 में स्वीकृति मोटर मार्ग					
1—रुद्र प्रयाग कोटेश्वर ऊमरी नारायण	15	कि0 मी0	15.0		
2—अगस्त मुनि डोवा गणेश नगर	5	..	5.0	सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।	

पी० एस० यू० पी०—39 विधान सभा—28-9-81—835 (पी०डी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा